वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2008 - 09

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

विषयसूची
CONTENTS

1. सिंहावलोकन
   Overview 1
2. नीतिगत कार्यप्रणालियाँ एवं आयोजना
   Policy Strategies and Planning 4
3. मानक
   Standards 4
4. प्रमाणन
   Certification 24
5. प्रयोगशाला सेवाएँ
   Laboratory Services 32
6. सतर्कता गतिविधियाँ
   Vigilance Activities 35
7. तकनीकी सूचना सेवाएँ
   Technical Information Services 37
8. प्रशिक्षण सेवाएँ
   Training Services 38
9. उपभोक्ता संबंधित गतिविधियाँ
   Consumer Related Activities 40
10. अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ
    International Activities 42
11. कम्प्यूटरीकरण एवं कार्यालय स्वचालन
    Computerization and Office Automation 45
12. परियोजना प्रबंधन
    Project Management 46
13. मानव संसाधन विकास
    Human Resource Development 47
14. वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा
    Finance, Accounts and Audit 48

सिंहावलोकन
Overview

भारतीय मानक ब्यूरो पूर्व में भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई के कर्मचारियों, परिसम्पत्तियों, देयताओं और प्रकार्यों को लेते हुए एक व्यापक विषय-क्षेत्र तथा अधिक शक्तियों सहित 26 नवम्बर 1986 के संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आया। इस परिवर्तन के माध्यम से, सरकार ने राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण और कार्यान्वयन में गुणता संस्कृति और चेतना तथा उपभोक्ताओं की अधिक भागीदारी का माहौल निर्मित करने की कल्पना की।

ब्यूरो 25 सदस्यों का एक कार्पोरेट निकाय है। ब्यूरो के अध्यक्ष केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और उपाध्यक्ष उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सांसद, उद्योग, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों और व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं।

भा मा ब्यूरो की संरचना पिछले पृष्ठ के अंदरूनी भाग पर दी गई है।

संगठनात्मक नेटवर्क

नई दिल्ली स्थित मुख्यालय सहित कोलकाता (पूर्वी), चेन्नई (दक्षिणी), मुम्बई (पश्चिमी), चंडीगढ़ (उत्तरी) और दिल्ली (मध्य) में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अहमदाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल, कोयम्बटूर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, परवानू, पटना, पुणे, राजकोट, तिरूवनन्तपुरम, विशाखापटनम और देहरादून स्थित शाखा कार्यालयों (पिछले कवर पृष्ठ के बाहरी भाग पर दिया गया है) के एक नेटवर्क सहित क्षेत्र की राज्य सरकारों, उद्योगों, तकनीकी संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों आदि के बीच प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो की गतिविधियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है :

क) मानक निर्धारण
ख) प्रमाणनः उत्पाद / पद्धतियाँ
ग) प्रयोगशाला सेवाएँ
घ) भारतीय मानकों / अन्य प्रकाशनों की बिक्री
ङ) अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ
च) उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ
छ) संवर्धन गतिविधियाँ

Bureau of Indian Standards (BIS) came into existence, through an Act of Parliament dated 26 November 1986, on 1 April 1987, with a broadened scope and more powers taking over the staff, assets, liabilities and functions of erstwhile Indian Standards Institution (ISI). Through this change over, the Government envisaged building a climate for quality culture and consciousness and greater participation of consumers in formulation and implementation of National Standards.

The Bureau is a Body Corporate consisting of 25 members representing both Central and State Governments, Members of Parliament, industry, scientific and research institutions, consumer organizations and professional bodies with Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its President and with Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its Vice-President.

The structure of BIS is given on the inside back cover page.

Organizational Network

With BIS Headquarters at New Delhi, a network of 5 Regional Offices (ROs) at Kolkata (Eastern), Chennai (Southern), Mumbai (Western), Chandigarh (Northern) and Delhi (Central) and Branch Offices (BOs) at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneshwar, Bhopal, Coimbatore, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Rajkot, Thiruvananthapuram, Vishakhapatnam and Dehradoon (depicted on the back cover page) serve as effective links between State Governments, industries, technical institutions, consumer organizations, etc of the region.

Activities

The activities of BIS can be broadly grouped under the following heads:

a) Standards Formulation
b) Certification: Product/Systems
c) Laboratory Services
d) Sales of Indian Standards/Other Publications
e) International Activities
f) Consumer Related Activities
g) Promotional Activities

ज) प्रशिक्षण सेवाएँ

झ) सूचना सेवाएँ

ञ) वित्तीय, संसाधन – संग्रहण और उपयोग आदि

भारतीय मानक ब्यूरो ने बदलते समग्र वैश्विक परिदृश्य में दबाव और गतिशीलता बनाए रखी है तथा वर्ष 2008-09 के दौरान चहुंमुखी प्रगति की है। ब्यूरो में 19591.41 लाख रू. की कुल आय दर्ज की गई जो पिछले वर्ष की आय 17283.12 लाख रू. से 13.36 प्रतिशत अधिक है, लगातार बीस वर्ष से भा मा ब्यूरो अपने व्यय और देयताओं का वहन करते हुए आत्मनिर्भर बना हुआ है।

वर्ष 2008-09 की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- व्यापक विषयों पर 319 राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण किया गया। इनमें से सार्वजनिक हित के कुछ महत्वपूर्ण मानक हैं : संरचना परियोजना प्रबंध के लिए सामान्य दिशा-निर्देश, पाइल फॉउण्डेशन की संरचना डिजाईन, द्रव के भंडारण के लिए संरचना ढांचा की रीति-संहिता, उच्च दृश्यमानता वाले चेतावनी कपड़े, एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र की दक्षता की सामान्य अपेक्षाएँ, वॉटर प्रूफ लाइनिंग के लिए लेमिनेटिड उच्च घनत्व पोलीइथीलीन (एचडीपीई) का बुना कपड़ा, गुणता प्रबंध पद्धति - अपेक्षाएँ, ऑटोमोटीव व्हीकल - दो एवं तीन पहिये वाले मोटर वाहनों के ब्रेकिंग सिस्टम की कार्यकारिता अपेक्षाएँ एवं परीक्षण प्रक्रियायें, नदी घाटी परियोजनाओं के लिए टोपाग्रॉफिकल सर्वेक्षण संबंधी मार्गदर्शन, अर्थ एवं रॉकफील बांधों की उपसतहों की खोज, खुले चैनलों के द्रव प्रवाह का मापन, पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी पारिभाषिक शब्दावली, सिंचाई उपकरण - एमीटर्स, सिंचाई उपकरण - छिड़काव यंत्रों के पाइप ग्रीनहाउसों के लिए प्लास्टिक फिल्में, फोटोग्राफी - मेडिकल रेडियोग्रॉफी कैसैट/स्क्रीन्स/फिल्म एवं हार्ड - कॉपी इमेजिंग फिल्म - आयाम एवं विशिष्टि, न्यूरोसर्जिकल इम्प्लॉण्ट - स्टेरिल, कॉम्पोस्टेबल प्लास्टिक्स। 31 मार्च 2009 तक कुल 18477 मानक लागू थे।
- अब तक 4527 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया गया है। मौजूदा आईएसओ/आईईसी मानकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए लगभग 84 प्रतिशत मानकों को सुमेलित किया गया है।
- वर्ष के दौरान, 2595 उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए। 31 मार्च, 2009 तक कुल 20972 लाइसेंस हॉलमार्किंग को छोड़कर प्रचालन में थे।
- वर्ष के दौरान पहली बार 13 नए उत्पादों को प्रमाणन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। ये उत्पाद है : प्रीमीफॉस मिथाइल 50 प्रतिशत ईसी, श्वसन-तंत्र सुरक्षात्मक डिवाइस - हॉफ मॉस्क; एसडीडब्ल्यू एचपी एवं ईडी डब्ल्यू एचपी के हैंड पम्पों के उप-समुच्चय; श्वसन - तंत्र सुरक्षा

h) Training Services

i) Information Services

j) Financial, Resources – Mobilization and Utilization etc

Bureau of Indian Standards has maintained the thrust and dynamism in the changing global scenario and exhibited an all round progress during the year 2008 - 09. It recorded a total income (including interest) of Rs. 19 591.41 lakhs and a growth of over 13.36 % over the income in the previous year which was Rs. 17 283.12 lakhs. For the twentieth consecutive year, BIS continued to be self reliant in meeting its expenditure and other liabilities.

The highlights of achievements during 2008-09 are:

- 319 National Standards covering wide range of subjects were formulated during this period. Some important standards of public interest are on General Guidelines for Construction Project Management, Design and Construction of Pile Foundations, Code of Practice for Concrete Structures for Storage of Liquids, High Visibility Warning Clothes, General requirements for competence of Assaying and Hallmarking Centers, Laminated High Density Polyethylene (HDPE) Woven Fabric (Geo-Membrane) for Water Proof Lining, Quality Management Systems – Requirements, Automotive Vehicles – Performance Requirements and Testing Procedures for Braking System of two and three Wheeled Motor Vehicles, Guide to Topographical Surveys for River Valley Projects, Subsurface Exploration for Earth and Rockfill Dams, Measurement of Liquid Flow in Open Channels, Glossary of Technical Terms Related to Environmental Impact, Irrigation Equipments – Emitters, Irrigation Equipments – Sprinkler Pipes, Plastic film for greenhouses, Photography – Medical Radiographic Cassettes/Screens/Films and Hard-Copy Imaging Films - Dimensions and specifications, Neurosurgical Implants – Sterile, Compostable Plastics. The total numbers of standards in force were 18 477 as on 31 March 2009.
- 4527 Indian standards have been harmonized with International Standards so far. Considering number of standards where corresponding ISO/IEC Standards exist, about 84% standards are harmonized.
- 2595 Product Certification licences have been granted during the period under consideration. The total number of operative licences as on 31 March 2009 were 20 972 (excluding Hallmarking).
- During the year 13 new products were covered for the first time under the product certification scheme. These products are Primiphos Methyl 50% EC; Respiratory Protective Device-Half Mask; Hand Pump Sub-assemblies for SDWHP & EDWHP;

डिवाइस, फुल फेस मास्क; परित्याज्य कान संरक्षक; ब्यूटाक्लोर 50 प्रतिशत; महिला साइकल फ्रेम; मल्टी स्लिप ज्वाईंट पिलर एकल प्रयोग रबड़ परीक्षा ग्लोब्ज; ग्रेन ओरिएण्टीड इलैक्ट्रीकल स्टील शीटस एवं स्ट्रीप्स; पोलीइथीलीन रस्सियाँ, नॉमिनल व्यास 4 मिमी से 36 मिमी; पॉलिश, कैनवस फूटवियर हेतु द्रव (सफेद) केवल बाष्प दाब स्टोव के प्रचालन के लिए सुवाहय एलपीजी कुकिंग साधित्र ।

- 31 मार्च, 2009 तक स्वर्ण आभूषणों के हॉलमार्किंग लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 6588 हो गई, जबकि 31 मार्च, 2008 तक यह संख्या 5403 थी। चाँदी के आभूषणों/कलात्मक वस्तुओं हेतु हॉलमार्किंग के लिए रजत लाइसेंसों (सिल्वर लाइसेंस) की संख्या 31 मार्च, 2009 को बढ़कर 463 हो गई, जबकि 31 मार्च, 2008 तक यह संख्या 405 थी। दक्षिण क्षेत्रीय प्रयोगशाला, चेन्नई को स्वर्ण मूल्यांकन के लिए संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- 76 गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस, 10 पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस तथा 7 व्यवसाय में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए।
- भा मा ब्यूरो की मानक मुहर का दुरूपयोग करने वाली फर्मों पर 156 छापे मारे गए और आईएसआई मुहर दुरूपयोग के 51 मामलों का निर्णय भा मा ब्यूरो के पक्ष में हुआ ।
- भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों की संख्या 20802 रही ।
- वर्ष 2008-09 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन परिषद (आईएसओ) के सदस्य के रूप में भा मा ब्यूरो ने अपने दायित्वों का निर्वाह किया। आईएसओ परिषद, आईएसओ का उच्चतम शासी निकाय है। भा मा ब्यूरो के महानिदेशक को 2009 तक के सत्र के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र के संपर्क क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ।
- विकासशील देशों के लिए मानकीकरण और गुणता आश्वासन पर इकतालीसवें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और प्रबंध पद्धतियों पर पाँचवें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) का स्थापना दिवस मनाने के लिए 14 अक्टूबर, 2008 को विश्व मानक दिवस का आयोजन किया गया। वर्ष 2000 का विषय **'सतेदी एवं सुदृढ़ इमारतें'** था।
- दिनांक 3 से 7 नवम्बर 2008 के दौरान 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया।
- 1 से 15 सितम्बर, 2008 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- दिनांक 31 मार्च 20 तक भा मा ब्यूरो में कुल 1699 व्यक्ति कार्यरत थे।

(शरद गुप्ता)
महानिदेशक

Respiratory Protective Device, Full Face Mask; Disposable Ear Protector; Butachlor 50% Granules; Ladies Bicycle Frames; Multiple Slip Joint Plier; Single Use Rubber Examination Gloves; Grain Oriented Electrical Steel Sheets and Strips; Polyethylene Ropes, Nominal dia 4 mm to 36 mm; Polish, Liquid (White) for Canvas Footwear; Portable LPG Cooking Appliances Operating at Vapour Pressure Stove only.

- The number of licences for Hallmarking of gold jewellery has grown from 5 403 on 31 March 2008 to 6 588 as on 31 March 2009. While, the number of silver licences for Hallmarking of silver jewellery/artifacts has grown from 405 on 31 March 2008 to 463 as on 31 March 2009. Southern Regional Laboratory, Chennai is being developed as a referral Laboratory for gold assaying.
- 76 Quality Management System certification licences, 10 Environmental Management Systems certification licences and 7 Occupational Health and Safety Management Systems certification licences were granted during the period.
- 156 enforcement raids were carried out all over India on firms misusing the BIS Standard Mark and 51 misuse cases of ISI Mark have been decided in favour of BIS.
- Number of Test Reports issued by BIS Laboratories was 20 802.
- Fulfillment of obligations by BIS as a member of International Organization for Standardization (ISO) Council for the 2008-09 term. ISO Council is the highest governing body of ISO. DG, BIS was appointed as Regional Liaison Officer for South Asian region till the term 2009.
- Holding of the 41st International Training Programme on Standardization and Quality Assurance for developing countries, and the Fifth International Training Programme on Management Systems for developing countries.
- Celebration of World Standards Day on 14 October 2008 to commemorate the establishment of the International Organization for Standardization (ISO). The theme for 2008 was **"Intelligent and Sustainable Buildings"**.
- Observance of the 'Vigilance Awareness Week' 3rd to 7th November 2008.
- Celebration of Hindi Pakhwara during 1st to 15th September 2008 where a lot of different competitions in Hindi were organized.
- As on 31 March 2009, a total of 1699 persons were on roll in BIS.

e-mail : dg@bis.org.in
website : www.bis.org.in

(Sharad Gupta)
Director General

नीतिगत कार्यप्रणालियाँ और आयोजना

भारतीय मानक ब्यूरो वर्ष 1947 से भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में देश में मानकीकरण अभियान का प्रवर्तन और पोषण करने के लिए सफलतापूर्वक कार्य करता आ रहा है । भा मा ब्यूरो ने अपने प्रचालन की दक्षता बढ़ाने और सेवाओं को अधिक उन्नत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

वर्ष के दौरान, नई नीतियों / निदेशों के कार्यान्वयन में भा मा ब्यूरो को सलाह देने के लिए कार्यकारिणी समिति की पाँच बैठकें आयोजित की गई, जब कि वित्तीय समिति की दो बैठकें हुई।

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहलें की गईः

1. उत्पाद प्रमाण के अन्तर्गत निरीक्षणों एवं प्रवर्तन गतिविधियों की आउटसोर्सिंग जारी रखी।
2. भारतीय मानक ब्यूरो एवं मानक एवं गुणता नियंत्रण प्राधिकरण (एसक्यूसीए) भूटान के बीच दिसम्बर 2008 को नई दिल्ली में मानक एवं अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग के लक्ष्यार्थ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।
3. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 के अंतर्गत, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से **"शैक्षणिक संस्थानों में मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण; मानकीकरण की राष्ट्रीय पद्धति एवं उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण / मा सं वि क्षमता निर्माण"** के नाम से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ चलाने का दायित्व भा मा ब्यूरो को सौंपा गया है इन योजनाओं की पूर्ण अवधि के लिए 46.22 करोड़ रू. की राशि स्वीकृत की गई । आरंभ हो चुकी इस परियोजना के लिए 2008-09 में 1.62 करोड़ रू. की राशि प्राप्त हुई।
4. भारतीय मानकों की ई- बिक्री की तैयारी।

मानक

मानक निर्धारण

मानकों के निर्धारण के लिए, भा मा ब्यूरो संबंधित विभाग परिषदों के तहत विषयों के विशिष्ट समूहों पर कार्य के लिए गठित विषय समितियों, उप–समितियों और पैनलों के रूप में समिति प्रक्रिया के माध्यम से कार्य करता है। विषय समितियों, उप–समितियों और पैनलों में उद्योग, सरकार, अनुसंधान और विकास संगठनों, उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि तथा वैयक्तिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

किसी केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, उपभोक्ता संगठन, औद्योगिक इकाई आदि सहित स्टेकहोल्डर द्वारा भारतीय मानक/मानकों के निर्धारण का प्रस्ताव दिया जा सकता है। विभाग परिषद द्वारा अनुमोदित हो जाने पर प्रस्ताव को भारतीय मानकों के निर्धारण के लिए एक उपयुक्त विषय समिति को अग्रेषित किया जाता है।

अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित 14 तकनीकी विभाग परिषदों द्वारा मानक

POLICY STRATEGIES AND PLANNING

The Bureau of Indian Standards (BIS) as the National Standards Body of India has been successfully promoting and nurturing the standardization movement in the country since 1947. BIS has initiated several steps towards enhancing the efficiency of its operations and upgrading of services.

The Executive Committee had five meetings during the year to advise BIS in implementation of new policy/directives while the Financial Committee met two times during the year.

The important initiatives were taken in the following areas during the year:

1. Continuation of outsourcing of inspections under Product certification and Enforcement activities.
2. An MoU was signed in New Delhi in December 2008 between BIS and Standards and Quality Control authority (SQCA) Bhutan aimed at Cooperation in the field of standards and conformity assessment.
3. Under the eleventh plan (2007-12), BIS has been assigned to carry out the centrally sponsored schemes viz. **"HRD & Capacity Building in Educational Institutions; National System of Standardization and Consumer Education and Training / HRD Capacity Building"** on behalf of the Department of Consumer Affairs, Ministry of Food, Consumer Affairs and Public Distribution, Government of India wherein an amount of Rs. 46.22 crores has been approved for the entire plan period. An amount of Rs. 1.62 crores has been received for these projects in 2008 - 09, which have been initiated.
4. Preparing for e - sale of Indian standards.

STANDARDS

STANDARDS FORMULATION

For formulation of standards, BIS functions through the Committee mechanism in terms of Sectional Committees, Subcommittees and Panels set up for dealing with specific group of subjects under respective Division Councils. The Sectional Committees, Subcommittees and Panels comprise of representatives from the industry, government, research and development organizations, consumer organizations and individual experts.

A proposal for formulation of Indian Standard(s) can be submitted by any stakeholder including Ministries of the Central Government, State Governments, Union Territory Administrations, Individual Consumer or Consumer Organizations, Industrial Units, etc. The proposal when approved by the concerned Division Council is forwarded to an appropriate Sectional Committee for formulation of Indian Standard(s).

Standards are made by 14 Technical Division Councils

तैयार किए जाते हैं। वर्ष के दौरान, मानक निर्धारण/गतिविधि का जायजा लेने के लिए, सिविल इंजीनियरी, विद्युत-तकनीकी, चिकित्सा उपकरण और अस्पताल आयोजना, पेट्रोलियम एवं कोयला संबंधी उत्पादों, खाद्य एवं कृषि, यांत्रिक इंजीनियरी, उत्पादन और सामान्य इंजीनियरी, वस्त्रोद्योग, परिवहन इंजीनियरी और जल संसाधन विभागों की बैठकें हुईं। 260 विषय समितियों की बैठक के साथ बड़ी संख्या में उप–समितियों और पैनलों की बैठकों का भी आयोजन किया गया, जिसमें मानकों के मसौदों और तकनीकी दस्तावेजों पर विस्तार से विचार किया गया। भा मा ब्यूरो की नीति नवीन प्रौद्योगिकियों पर मानक निर्धारण करने और पुराने मानकों को वापस लेने की है।

वर्ष 2008-09 में भा मा ब्यूरो ने 319 मानकों (137 नए और 182 पुनरीक्षित का निर्धारण किया, जिससे 31 मार्च, 2009 तक लागू मानकों की संख्या 18477 हो गई (*देखें* आकृति 1)।

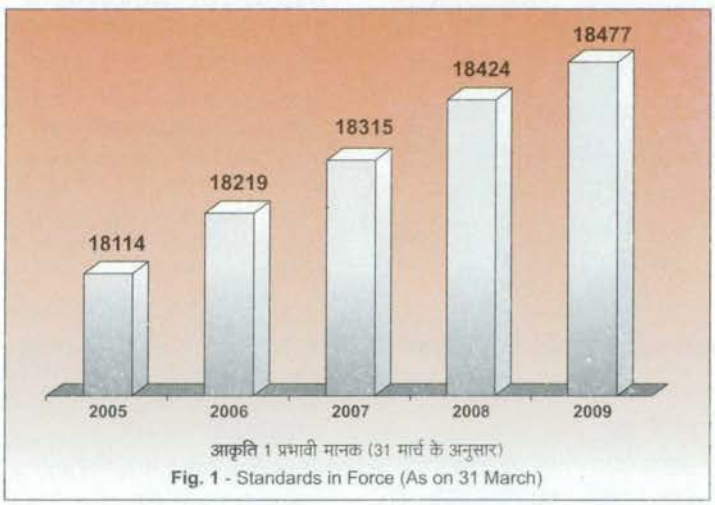

आकृति 1 प्रभावी मानक (31 मार्च के अनुसार)
Fig. 1 - Standards in Force (As on 31 March)

pertaining to specific fields. To take stock of standards formulation activity, Division Councils of Civil Engineering, Electro-technical, Medical Equipment and Hospital Planning, Petroleum and Coal Related Products, Food and Agriculture, Mechanical Engineering, Production and General Engineering, Textile, Transport Engineering and Water Resources departments met during the year. The meetings of 260 Sectional Committees, in addition to large number of Subcommittees and Panels were also held to consider draft standards and related technical documents in detail. It is the policy of BIS to formulate standards on emerging technologies and withdraw obsolete standards.

During 2008-09, BIS formulated 319 (137 new and 182 revised) standards, bringing the total number of standards in force to 18477 as on 31 March 2009 (*See* Fig. 1).

महत्वपूर्ण मानक

वर्ष के दौरान, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर नए निर्धारित अथवा पुनरीक्षित मानक निम्नानुसार हैं :

उच्च दृश्यमानता वाले चेतावनी कपडे (आईएस 15809 : 2008)

उच्च दृश्यमानता वाले चेतावनी कपड़े कार्मिकों के सुरक्षा उपकरणों में से एक है, जो इनके धारकों की उपस्थिति के सूचक हैं। ये दिन की सभी प्रकाश अवस्थाओं एवं रात में वाहनों की हैडलाइटों की चमक में धारकों की उपस्थिति को स्पष्टता प्रदान करते हैं। ये वस्त्रों और उनकी पृष्ठभूमि या आस–पास के परिवेश के बीच कॉन्ट्रॉस्ट बढ़ाकर सुस्पष्टता में वृद्धि करते हैं। दृश्यमानता जोखिमों की श्रेणियों की पहचान करके कॉम्प्लैक्स पृष्ठभूमि, वाहन ट्रैफिक घनत्व एवं स्पीड आदि के वर्कर जोखिमों के आधार पर वस्त्रों के लिए उपयुक्त चिह्नांकन सुझाया जाता है।

यह मानक सभी प्रकार के संगठनों पर लागू है, चाहे उनकी विषमताये तथा उनसे जुडे जोखिम कुछ भी हों। यह अन्य सभी प्रबंध पद्धतियों की तरह स्वैच्छिक है। इस प्रकार की पद्धति कानूनी अपेक्षाओं संबंधी संगठन की कार्यकारिता एवं अनुकूलता को दर्शाने में उन्हें समर्थ बनाती है। प्रमाणित संगठन को संगठन द्वारा पहचाने गये एवं प्रमाणन प्रक्रिया में शामिल सभी संबद्ध कानूनों की जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।

56 मिमी एवं ज्यादा की शैफ्ट ऊँचाई सहित घूर्णी विद्युतीय मशीनों की यांत्रिक कम्पन – कम्पन तीव्रता के मापन मूल्यांकन एवं सीमाएँ। (आईएस 12075 : 2008)

जब उपयुक्त नियंत्रित अवस्थाओं के तहत परीक्षण विभाग में मापन अकेले

Important Standards

Some of the important subjects on which new or revised standards were formulated during the year are listed below:

High visibility warning clothes (IS 15809 : 2008)

High visibility warning cloth is one of the personnel protective equipment worn as a means to provide visual signal of the wearer's presence and intended to provide conspicuity of the wearer under any light conditions by day and under illumination by vehicle headlights in the dark. Conspicuity is enhanced by increasing the contrast between the clothing and its ambient background or surroundings. Classes of visibility hazards are identified and appropriate markings for the clothing are suggested based on the worker risk hazards, such as complex backgrounds, vehicular traffic density and speed.

The standard is applicable to all kinds of organizations irrespective of its complexity as well as hazards associated with it and is voluntary in nature like all other management systems. A system of this kind enables an organization to demonstrate its performance and conformity to the legal requirements. Certifying organization should provide information listing all the legislations as identified by the organization and covered in the certification process.

Mechanical vibration of rotating electrical machines with shaft height 56 mm and higher — Measurement evaluation and limits of vibration severity (IS 12075 : 2008)

This standard specifies test and measurement conditions

मशीन पर किया जाता है तो यह मानक विद्युतीय मशीनों की कम्पन तीव्रता के स्तर के परीक्षण एवं मापन अवस्थाओं को निर्दिष्ट करता है तथा इसकी सीमा तय करता है। यह मानक शैफ्ट सेंटर ऊँचाई वाली डीसी मशीनों एवं तीन फेजी या एक फेजी एसी मशीनों एवं 500 आरपीएम से 3000 आरपीएम तक एवं सहित नॉमिनल स्पीड पर 50 एमडब्ल्यू तक पॉवर रेटित वाली मशीनों पर लागू है।

घरेलू एवं सदृश विद्युत साधित्रों की सुरक्षा : भाग 2 विशिष्ट अपेक्षाएँ (आईएस 302 - 2 - 201 : 2008)

यह मानक 250 वो से अनधिक रेटित वाले घरेलू एवं सदृश प्रयोजन के सुवाह्य विद्युत निमज्जन हीटरों की सुरक्षा से संबद्ध है। साधित्र सामान्यतः घरेलू प्रयोगार्थ नहीं होते फिर भी ये पब्लिक के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। अतः दुकानों में, बिजली उद्योग में और फार्मों में आमजन द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले ऐसे साधित्रों को इस मानक के कार्यक्षेत्र के भीतर रखा गया है।

पॉवर ट्रांसफार्मरों, पॉवर सप्लाई यूनिटों एवं सदृश साधित्रों की सुरक्षा : भाग 2 विशिष्ट अपेक्षाएँ, खंड 6 सामान्य प्रयोगार्थ आईसोलेटींग ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा (आईएस / आईईसी 61558 - 2 - 6 : 1997)

आईईसी 61558-2-6:1997 को ग्रहित करके भा मा ब्यूरो ने आईएस/आईईसी 61558-2-6:1997 बनाया है। यह विशिष्टि 1000 वो एसी अनधिक सप्लाई वोल्टता रेटित एवं 500 हर्टज अनधिक फ्रिक्वैंसी रेटित या अन्यथा वाले स्थावर या सुवाह्य एकल फेज या पोली फेज एयर कूल्ड आईसोलेटींग ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा के संबंध में लागू होता है। यह मानक असीमित आउटपुट रेटित आईसोलेटींग ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा में भी लागू होता है तथा ऐसे ट्रांसफार्मरों को विशेष ट्रांसफॉर्मर माना जाता है एवं ये खरीदार एवं सप्लायर के मध्य हुए करार के अधीन होते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी – सुरक्षा तकनीकें – सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुरक्षा प्रबंधः भाग 1 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुरक्षा प्रबंध की अवधारणा एवं मॉडल (आईएस / आईएसओ / आईईसी 13335 - 1 : 2008)

आईएसओ / आईईसी 13335 -1 को ग्रहित करके भारतीय मानक ब्यूरो ने आईएस / आईएसओ / आईईसी 13335 -1 : 2008 बनाया है। इस मानक में आईसीटी सुरक्षा के प्रबंध संबंधी दिशा-निर्देशो कों सम्मिलित किया गया है। मानक के भाग 1 में आईसीटी सुरक्षा की आधारभूत समझ के लिए अवधारणा एवं मॉडल तथा सामान्य प्रबंध मुद्दों को ध्यान में रखा गया है, जो आईसीटी सुरक्षा की सफलता योजना, कार्यान्वयन एवं प्रमाणन के लिए आवश्यक हैं।

ग्रीनहॉउस गैसें (आईएस / आईएसओ 14064 : 2006)

भाग 1 संगठन स्तर पर ग्रीनहॉउस गैस उत्सर्जनों और निष्कासन के परिमाणन और रिपोर्टिंग के लिए मार्गदर्शन सहित विशिष्टि – परिचय

भाग 2 परियोजना स्तर पर ग्रीनहॉउस गैस उत्सर्जन न्यूनीकरण या अपनयन का वृद्धिकरण के परिचय का परिमाणन, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए मार्गदर्शन – विशिष्टि।

and fixes the limit for the level of vibration severity of a electrical machine when measurement are made in the machine alone, at a testing department under properly controlled conditions. This standard is applicable to dc machines and three phase or single phase ac machines with shaft centre height 56 mm and higher and a rated power up to 50 MW at a nominal speed from 500 rpm up to and including 3000 rpm.

Safety of household and similar electrical appliances: Part 2 Particular requirements (IS 302-2-201 : 2008)

This standard deals with the safety of portable electric immersion heaters for household and similar purpose, their rated voltage being not more than 250 V.
Appliances not intended for normal household use, but which nevertheless may be a source of danger to the public, such as appliance intended to be used by laymen in shops, in light industry and on farms, are within the scope of this standard.

Safety of power transformers, power supply units, and similar: Part 2 Particular requirements, Section 6 Safety isolating transformers for general use (IS/IEC 61558-2-6 : 1997)

IS/IEC 61558-2-6 : 1997 has been formulated by BIS through adoption of IEC 61558-2-6 : 1997. This specification applies to stationery or portable single phase or poly phase air cooled safety isolating transformers associated or otherwise having a rated voltage supply not exceeding 1000 V ac and rated frequency not exceeding 500 Hz.

This standard is also applicable to safety isolating transformers without limitation of the rated output however such transformers are considered as special transformers and subjected to agreement between the purchaser and the supplier.

Information technology — Security techniques — Management of information and communications technology security: Part 1 Concepts and models for information and communications technology security management (IS/ISO/IEC 13335-1 : 2008)

IS/ISO/IEC 13335-1 : 2008 has been formulated by BIS through adoption of ISO/IEC 13335-1. This standard contains guidance on the management of ICT security. Part 1 of the standard presents the concepts and models fundamental to a basic understanding of ICT security, and addresses the general management issues that are essential to the successful planning, implementation and operation of ICT security.

Greenhouse gases (IS / ISO 14064 : 2006)

Part 1 Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals introduction.

Part 2 Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements introduction.

भाग 3 आँकी ग्रीनहॉउस गैस का मान्यकरण एवं जाँच के लिए मार्गदर्शन सहित विशिष्टि।

जलवायु बदलाव को राष्ट्रों, सरकारों, उद्योगों एवं नागरिकों के आने वाले दशकों में सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों के रूप में चिन्हित किया गया है। जलवायु बदलाव का मानव और प्राकृतिक प्रक्रिया दोनों पर प्रभाव पडता है। यह संसाधन उपयोग, उत्पादन एवं आर्थिक गतिविधि में विशेष बदलाव कर सकता है। प्रतिक्रिया स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर पहलें की जा रही हैं और पृथ्वी के वातावरण में ग्रीनहॉउस गैस (जीएचजी) को सीमित करने के लिए कार्य हो रहे हैं। ऐसी जीएचजी पहले इसके उत्सर्जन एवं / या अपनयन के परिमाणन, मॉनिटरिंग, रिपोर्ट एवं जाँच पर आश्रित हैं। ये मानक आईएसओ 14064 (भाग 1 से 3) : 2006 को ग्रहित करके भा मा ब्यूरो द्वारा बनाये गये हैं।

आईएस / आईएसओ 14064 –1 में संगठन – या कम्पनी – स्तरीय जीएचजी फैहरिस्तों के डिजाईन, विकास, प्रबंध एवं रिपोर्ट करने के सिद्धांत एवं अपेक्षाओं के विवरण हैं। इसमें जीएचजी उत्सर्जन को परिसीमित करने, संगठनों के जीएचजी उत्सर्जन एवं अपनयन के परिमाणन एवं जीएचजी प्रबंध को उन्नत करने के लक्ष्यार्थ विशिष्ट कम्पनी कार्यवाहियाँ या गतिविधियाँ पहचानने की अपेक्षाएँ शामिल हैं। इसमें इन्वेन्टॅरी गुणता प्रबंध, रिपोर्टिंग, आंतरिक लेखा परीक्षा तथा गतिविधियों की जाँच के लिए संगठनों के उत्तर-दायित्वों पर अपेक्षाएँ एवं मार्गदर्शन भी शामिल हैं।

आईएस / आईएसओ 14064 – 2 जीएचजी उत्सर्जन, जीएचजी उत्सर्जन को घटाने या जीएचजी अपनयन को बढ़ाने के लिए परिकल्पित जीएचजी परियोजनाओं या परियोजना आधारित गतिविधियों पर केंद्रित है। इसमें परियोजना के आधारभूत परिदृश्य को निश्चित करने के लिए एवं आधारभूत परिदृश्य से संबंधित परियोजना कार्यकारिता की मॉनिटरिंग, परिमाणन एवं रिपोर्टिंग के लिए सिद्धांत एवं अपेक्षाएँ शामिल हैं। यह जीएचजी परियोजनाओं का मान्यन एवं सत्यापित करने वाले आधार उपलब्ध कराता है। आईएस/आईएसओ 14064-3 जीएचजी फेहरिस्तों के सत्यापन या जीएचजी परियोजनाओं के मान्यन या जाँच के लिए सिद्धांत एवं अपेक्षाओं का ब्यौरा देता है। इसमें जीएचजी संबद्ध मान्यन या जाँच की प्रक्रिया का वर्णन है तथा यह मान्यन या सत्यापन, योजना, मूल्यांकन प्रक्रिया तथा संगठन या जीएचजी परियोजना के दृढ़ीकरण के मूल्यांकन जैसे संघटनों को विनिर्दिष्ट करता है। आईएस/आईएसओ 14064-3 को जीएचजी के दृढ़ीकरण के मान्यन या उसे प्रमाणित करने के लिए संगठनों या स्वतंत्र-पक्षों द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है।

एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की दक्षता के लिए सामान्य अपेक्षाएं (आईएस 15820 : 2009)

इस मानक में एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की दक्षता की सामान्य अपेक्षाएं सम्मिलित हैं। यह मानक एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता एवं उनके गुणता-विकास, प्रशासन एवं तकनीकी पद्धति के लिए आधार बनेगा।

जल-सह अस्तर के लिए लेमिनेटिड उच्च घनत्व पोलीइथाइलीन (एचडीपीई) बुना वस्त्र (भू-झिल्ली) (आईएस 15351: 2008)

लेमिनेटिड उच्च घनत्व पोलीइथाइलीन बुना वस्त्र, जिन्हें भू-झिल्लियाँ कहा जाता है, मृदा, चट्टान, भूमि या अन्य किसी भू-टेक्नीकल सामग्री अनिवार्य

Part 3 Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions

Climate change has been identified as one of the greatest challenges facing nations, governments, business and citizens over future decades. Climate change has implications for both human and natural systems and could lead to significant changes in resource use, production and economic activity. In response, international, regional, national, and local initiatives are being developed and implemented to limit greenhouse gas (GHG) concentrations in the Earth's atmosphere. Such GHG initiatives rely on the quantification, monitoring, reporting and verification of GHG emissions and/or removals. These standards have been formulated by BIS by adoption of ISO 14064 (Parts 1 to 3) : 2006.

IS/ISO 14064–1 details principles and requirements for designing, developing, managing and reporting organization–or company–level GHG inventories. It includes requirements for determining GHG emission boundaries, quantifying an organization's GHG emissions and removals, and identifying specific company actions or activities aimed at improving GHG management. It also includes requirements and guidance on inventory quality management, reporting, internal auditing and the organization's responsibilities for verification activities.

IS/ISO 14064–2 focuses on GHG projects or project–based activities specifically designed to reduce GHG emissions or increase GHG removals. It includes principles and requirements for determining project baseline scenarios and for monitoring, quantifying and reporting project performance relative to the baseline scenario and provides the basis for GHG projects to be validated and verified.

IS/ISO 14064–3 details principles and requirements for verifying GHG inventories and validating or verifying GHG projects. It describes the process for GHG–related validation or verification and specifies components such as validation or verification planning, assessment procedures and the evaluation of organization or project GHG assertions. IS/ISO 14064–3 can be used by organizations or independent parties to validate or verify GHG assertions.

General requirements for competence of assaying and hallmarking centres (IS 15820 : 2009)

This standard covers general requirements for competence of assaying and hallmarking centres. This Indian Standard would be the basis for recognition of assaying and hallmarking centres and for development of their quality, administrative and technical system.

Laminated High Density Polyethylene (HDPE) woven fabric (Geo-membrane) for water proofing lining (IS 15351 : 2008)

Laminated High Density Polyethylene Woven Fabric, so called Geo-membranes, are very low permeability

उत्पाद, संरचना या पद्धति के अभिन्न अंग के रूप में द्रव या गैस प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त बहुत कम पारगम्यता वाला सिंथेटिक लाइनर है। भूमि में प्रयुक्त सिंथेटिक संघटक के रूप में, ये तकनीकी रूप से भू-सिंथेटिक हैं। 'भू' उपसर्ग से तात्पर्य है भूमि पर या भूमि में प्रयुक्त। अन्य प्रमुख भू-सिंथेटिक हैं – भू-वस्त्रादि, भू-जाल, भू-जालियाँ, भू-यौगिक एवं भू-यौगिक मृत्तिका लाइनर।

'अभेद्यता, रासायनिक प्रतिरोधिता, आस-पास की मिट्टी के प्रति प्रतिरोध अक्रियता, सीवन में सुगमता और विविधता, आरंभिक सामर्थ्य और दीर्घीकरण, प्रयोग में आसानी और अल्पव्यय, उत्पाद के टिकाऊपन' और संबंधित रोकतंत्र के डिजाइनकाल के अनुरूप कालप्रभाविता आदि अनेक कारणों से भू-झिल्लियाँ किसी निरोध पद्धति के अंग के रूप में डिजाईन में एक पसंदीदा सामग्री बन गई है।

गुणता प्रबंध पद्धतियाँ - अपेक्षाएं (आईएस/आईएसओ 9001:2008 (*तीसरा पुनरीक्षण*)

आईएसओ 9001: 2008 को ग्रहित करके भा मा ब्यूरो ने आईएस/आईएसओ 9001: 2008 *(तीसरा पुनरीक्षण)* प्रकाशित किया है। इस पुनरीक्षण में किसी प्रकार की नई अपेक्षाएँ शामिल नहीं हैं आईएस/आईएसओ 9001: 2008 केवल आईएसओ 9001: 2000 की वर्तमान अपेक्षाओं संबंधी स्पष्टीकरणों का परिचय देता है। यह आज तक 170 देशों में जारी किए गए लगभग एक लाख प्रमाणपत्रों के साथ दुनिया में मानक के कार्यान्वयन के आठ वर्ष अनुभव पर आधारित है। यह आईएसओ 14001:2004 के साथ संगत करके उन्नत करने के लिए अभिप्रेत परिवर्तनों का भी परिचय देता है।

स्वचल मोटर वाहन-मोटर वाहनों में बैठने की अवस्थाओं में 50वीं प्रतिशतता वयस्क व्यक्तियों का 'एच' प्वाइंट एवं धड - कोण ज्ञात करने की प्रक्रिया (आईएस 13749 : 2009)

वाहन डिजाइन, विशेषतः स्वचल वाहन डिजाइन में, एच - प्वाइंट (या कूल्हा प्वाइंट) कूल्हों द्वारा घेरी हुई ऊर्ध्वाकार स्थिति, विशेषतः शरीर के धड़ एवं टांगों के ऊपरी भागों के बीच पीवोट प्वाइंट से संबद्ध है। यह या तो वाहन के फर्श या पेवमेंट लेवल से ऊपर की ऊँचाई के सापेक्ष होती है और बैठने में आरामदेहता, वाहन से यातायात देखने एवं अन्य डिजाइन तथ्यों के लिए अनिवार्य है। तकनीकी रूप से यह 50 वीं प्रतिशतता वाले बैठे पुरूष के कूल्हे के जोड़ को पार्श्व से देखकर मापा जाता है।

स्वचल वाहन डिजाइन के अन्य 'हार्ड प्वाइंटों' की स्थिति की तरह एच-प्वाइंट का वाहन के समग्र डिजाइन पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें छत की ऊँचाई, वायुगतिकी, दृश्यमानता, आरामदेहता, प्रवेश एवं निकास में सुगमता, आंतरिक विन्यास, सुरक्षा, नियंत्रित डिजाइन एवं संघट्ट के समय कार्यकारिता शामिल हैं। उदाहरणार्थ ऊँचे एच-प्वाइंट से अगली और पिछली दोनों सीटों पर टाँगों को अधिक जगह मिल सकती है।

इस मानक में वर्णित प्रक्रिया का उपयोग 50 वीं प्रतिशतता पुरुषों के लिए मोटर वाहनों में बैठने की एक या कई अवस्थाओं में एच-प्वाइंट की स्थिति एवं धड़ कोण निर्धारित करके एवं वाहन निर्माता की डिजाइन विशिष्टियों से मापे गए आँकड़ों का संबंध जाँचने के लिए किया जाता है।

स्वचल मोटर वाहन - दो या तीन पहियों वाले मोटर वाहनों के ब्रेक सिस्टम के लिए कार्यकारिता अपेक्षाएँ एवं परीक्षण पद्धति (आईएस 14664 : 2009) (*पहला पुनरीक्षण*)

synthetic liners used to control fluid or gas migration within soil, rock, earth or any other geotechnical material, as integral part of a manmade product, structure or system. As a synthetic component used within the ground, they are technically geo-synthetic, the prefix 'geo' indicating usage on or in the earth. The other primary geo-synthetics are geo-textiles, geo-nets, geo-grids, geo-composites and geo-composite clay liners.

Geo-membranes have become the design choice as part of a cover system due to a variety of factors such as imperviousness, chemical resistance, inertness to surrounding soils, ease and variety of seaming, mechanical strength and elongation, ease of application and economics, product durability and ageing over the designed life of the containment system.

Quality management systems — Requirements (IS/ISO 9001 : 2008) (*third revision*)

IS/ISO 9001 : 2008 (*third revision*) has been published by BIS through adoption of ISO 9001 : 2008. This revision does not contain any new requirements. IS/ISO 9001 : 2008 only introduces clarifications to the existing requirements of ISO 9001 : 2000 based on eight years of experience of implementing the standard world wide with about one million certificates issued in 170 countries to date. It also introduces changes intended to improve consistency with ISO14001 : 2004.

Automotive vehicles — Procedure for determining the 'H' point and the Torso Angle for 50th percentile Adult Male in seating positions of motor vehicle (IS 13749 : 2009)

In vehicle design and especially automotive design, the **H-point (or hip-point)** is the relative vertical location of an occupant's hip, specifically the pivot point between the torso and upper leg portions of the body, either relative to the floor of the vehicle or relative to the height above pavement level and pertinent to seating comfort, visibility from the vehicle into traffic and other design factors. Technically, the measurement uses the hip joint of a 50th Percentile male occupant, viewed laterally.

As with the location of other automotive design "hard points," the H-point has major ramifications in the overall design of a vehicle, including roof height, aerodynamics, visibility, comfort, ease of entry and exit, interior packaging, safety, restraint design and collision performance. As an example, higher H-points can provide more leg room, both in the front and back seats.

The procedure described in this standard is used to establish the 'H' point location and the torso angle for one or several seating positions in a motor vehicle for a 50th percentile adult male and to verify the relationship of measured data to design specifications given by the vehicle manufacturer.

Automotive vehicles — Performance requirements and testing procedure for breaking system for two and three wheeled motor vehicles (IS 14664 : 2009) (*first revision*)

यह मानक सर्विस ब्रेक सिस्टम की अपेक्षाऐं निर्दिष्ट करता है तथा, जहाँ लागू हो, वहाँ सामान्य एवं आकस्मिक चालन अवस्थाओं के अंतर्गत सुरक्षात्मक ब्रेकिंग कार्यकारिता को सुनिश्चित करने के लिए दो पहियों वाली मोपेड या मोटर साइकिलों की श्रेणियों के दो या तीन पहिये वाले वाहन, तीन पहिये वाले मोपेड, दो पहिये वाले मोटर साइकिलों, कारों सहित एवं तीन पहिये वाली साईकिलों के पॉवर चालित वाहनों के पार्किंग ब्रैक सिस्टमों से जुड़ी अपेक्षाओं को निर्दिष्ट करता है। इन श्रेणियों में 25 किमी/घं से कम के अधिकतम वेग वाले वाहनों एवं विकलांग सवारों के वाहनों को शामिल नहीं किया जाता। यह मानक तीन पहिये वाले - सेमी - ट्रेलर के वाहनों पर भी लागू है।

यह मानक सामान्य ब्रेकिंग अपेक्षाऐं, ब्रेक सामग्री के टिकाऊपन, गतिज कार्यकारिता के मापन, परीक्षण अवस्थाऐं, प्रक्रियाएं एवं कार्यकारिता अपेक्षाऐं निर्दिष्ट करता है, जिनमें शुष्क रूकाव परीक्षणों के लिए ब्रेक-परीक्षण, उच्च गति परीक्षण, नम ब्रेक परीक्षण, ताप अवमदन परीक्षण, पार्किंग ब्रेक सिस्टम परीक्षण, एबीएस परीक्षण, स्प्लिट सर्विस ब्रेक सिस्टमों के लिए आंशिक असफलता परीक्षण, पॉवर ब्रेकिंग सिस्टम के असफलता परीक्षण, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम की अपेक्षाएं इत्यादि शामिल हैं।

स्थूणा नींव के डिजाईन एवं निर्माण–आचार संहिता : भाग 1 कंक्रीट स्थूणाऐं [आईएस 2911 (भाग 1/ खंड 1 से 4 का पुनरीक्षण)]

आईएस 2911 महत्वपूर्ण मानक है जो सिविल इंजीनियरों द्वारा बहुतायत में प्रयुक्त हो रहा है। यह चार भागों में प्रकाशित किया गया है जो हैं कंक्रीट स्थूणों डिजाइन एवं निर्माण, इमारती लकड़ी स्थूणाऐं, रीमड - तहत स्थूणाऐं एवं लोड टेस्ट संबंधी स्थूणाऐं। मानक के भाग 1 में कंक्रीट स्थूणाऐं ली हैं, जिसमें कंक्रीट स्थूणाओं के ड्राइवन कास्ट के डिजाइन एवं निर्माण, कंक्रीट स्थूणाओं के बोरड कास्ट, कंक्रीट स्थूणाओं कास्ट के ड्राइवन प्रीकास्ट एवं प्रीबोइड छिद्रों में प्रीकास्ट कंक्रीट स्थूणाऐं शामिल है जो मिट्टी तक एंड-बेयरिंग या घर्षण या दोनों के द्वारा शैफ्ट की सतह के साथ स्थूण-नोंक पर विकसित रोधिता द्वारा भार ले जाता है। आईएस 2911 (भाग1/ खंड 1 से 4) के पुनरीक्षण को इस क्षेत्र के हाल के विकासों को इसमें शामिल करने के लिए इसके प्रावधानों को पुनरीक्षित कर प्रकाशित किया गया है।

नदी घाटी परियोजनाओं के स्थल - विज्ञान सर्वेक्षण संबंधी मार्गदर्शन (आईएस 5497 : 2008) (*दूसरा पुनरीक्षण*)

स्थल विज्ञान नदी घाटी परियोजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। नदी घाटी परियोजना की आयोजना एवं निर्माण कुछ आधारभूत तथ्यों एवं आँकड़ों पर निर्भर करती हैं। इन तथ्यों एवं आँकड़ों के एकत्रीकरण की प्रक्रिया सामान्यतः अन्तेषण कहलाती है। अन्वेषण की पहली जरूरत स्थल का सर्वेक्षण करना एवं जगह का नक्शा बनाना है, जिससे उस जगह की ग्राफिय जानकारी मिलती है। स्थल सर्वेक्षण से स्थल का चित्र नक्शे के रूप में सामने आ जाता है, जो स्थल विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों के गुणधर्मों के बारे में महत्वपूर्ण एवं पूर्ण डाटा उपलब्ध कराता है। ये पूर्ण डाटा देश की नदी घाटी परियोजनाओं के विकास की योजना को सही ढंग से बनाने में मदद करते हैं, ताकि देश के जल संसाधनों का प्रयोग हो सके । सर्वेक्षण एवं नक्शों की लागत परियोजना की कुल लागत का मामूली हिस्सा होती हैं। इन्हें शुरूआत में ही करने पर अपूर्ण या गलत आँकड़ों के कारण होने वाले बहुत से ढाँचागत खर्चों की बचत हो जाती है।

This standard specifies requirements for service brake systems and where applicable, associated parking brake systems of power driven vehicles with two or three wheels of category two wheeled moped or motorcycles, three wheeled moped, two wheeled motor cycles with side cars and tricycles to ensure safe braking performance under normal and emergency riding conditions. These categories do not include vehicles with a maximum velocity of less than 25 km/h; and vehicles equipped for disabled riders. This standard is also applicable to three wheeled vehicle, designed to draw a semi-trailer.

The standard specifies the general braking requirements, durability of the braking material, measurement of dynamic performance, test conditions, procedures and performance requirements which includes testing of brakes for dry stop tests, high speed test, wet brake test, heat fade test, parking brake system test, ABS test, partial failure test – for split service brake systems, power-assisted braking system failure test, requirements of electric regenerative braking systems, etc.

Design and construction of pile foundations — Code of practice: Part 1 Concrete piles [Revision of IS 2911 (Part 1/Sec 1 to 4)]

IS 2911 is an important standard which is being widely used by civil engineers. It has been published in four parts to cover design and construction of concrete piles, timber piles, under-reamed piles and load test on piles. Part 1 of the standard, which covers concrete piles has been brought out in four sections to cover design and construction of driven cast *in-situ* concrete piles, bored cast *in-situ* concrete piles, driven precast concrete piles and precast concrete piles in prebored holes which transmit the load to the soil by resistance developed either at the pile tip by end-bearing or along the surface of the shaft by friction or by both. The revision of IS 2911 (Part 1/Sec 1 to 4) has been brought out to revise its provisions so as to take into account the recent developments in the field.

Guide to topographical surveys for river valley projects (IS 5497 : 2008) (*second revision*)

Topographical survey forms a very important and vital activity for river valley projects. Any river valley project to be planned and constructed is to be based on certain basic facts and figures. The process of collection of these facts and figures is termed as investigation in general. The first requisite of investigation is to carry out topographical survey and prepare maps which are graphical representation of land. Topographical survey enables presentation of a picture of the terrain in the form of maps, which provide important and accurate data about topography and other characteristics of the area. These accurate data assist in formulation of correct plans for development of river valley projects for harnessing and utilizing the country's water resources. The cost of surveying and mapping is only a minor fraction of the total cost of the project and when undertaken at initial stage will save a lot of infructuous expenditure arising out of incomplete or faulty data.

उक्त मानक में, नदी घाटी परियोजनाओं के स्थल सर्वेक्षणों संबंधी सामान्य सिद्धांत या मार्गदर्शन शामिल हैं। यह मानक पहली बार 1969 में प्रकाशित हुआ एवं 1983 में पुनरीक्षित किया गया। इस पुनरीक्षण में, विभिन्न सर्वेक्षणों के मैप–स्कैलों संबंधी विशिष्टियों में वर्तमान प्रयोगों को परिलक्षित करने के लिए संशोधन किया गया। नदी घाटी, बाढ सर्वे एवं कमांड एरिया विकास सर्वे संबंधी प्रावधानों को इसमें जोड़ा गया।

मिट्टी एवं चट्टानों से भरे बाँधों की अधस्तह का सर्वेक्षण–आचार संहिता (आईएस 6955 : 2008) (*पहला पुनरीक्षण*)

मिट्टी एवं चट्टान भरकर बांध आदिकाल से ही निर्मित किए जा रहे हैं। प्राचीन काल में बनाये गये बांध सामान्यतः कम से मध्यम ऊँचाई तक के होते थे। बाधों की बढ़ती ऊँचाई एवं तेजी से बनते बांधों में मृदा एवं शैल तंत्रों के क्षेत्र में नवीनतम विकासों पर आधारित उपयुक्त अन्वेषणों एवं डिजाइनों की बहुत जरूरत हैं। समुचित डिजाइन के लिए पर्याप्त अन्वेषण की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अधस्तह का अन्वेषण इन अन्वेषणों का महत्वपूर्ण अंग है। यह मानक मिट्टी एवं चट्टानों से भरे बांधों के लिए आवश्यक अधस्तह के अन्वेषण प्रकृति, विस्तार एवं विवरणों पर मार्गदर्शन देता है। मानक परियोजना के विकास के विभिन्न स्तरों के माध्यम से आयोजना एवं अन्वेषणामक कार्यों के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। ये अनुशंसाएँ परियोजना की साईट अवस्थाओं और अन्य अवस्थाओं, जैसे - ऊँचाई, बाँध की महत्ता एवं नींव निर्माण की विषमता के अनुसार संशोधित की जायें। यह मानक सन् 1973 में प्रकाशित किया गया। तब से इस विषय पर प्राप्त अनुभव को परिलक्षित करने के लिए वर्तमान पुनरीक्षण किया गया।

खुले प्रणालों में द्रव प्रवाह का मापन- बर्फीली अवस्थाओं में निकास मापन के उपकरण (आईएस 15822 : 2008)

बर्फीली अवस्थाओं में नदियों एवं प्रणालों में जल निकास का मापन वेग एरिया पद्धति, डॉयलूशॅन रिप्रेसेंटेटीव वर्टीकल पद्धतियों तथा नाचों, वियरों एवं फ्यूमों के द्वारा किया जा सकता है। बर्फीली अवस्थाओं में प्रभाव ज्ञात करने की सबसे आम तकनीक में वेग एरिया पद्धति का संशोधित रूप प्रयुक्त होता है। यह मानक बर्फ चादर एवं एरिया प्राप्ति वेग एवं बर्फ में प्रवाह दर निश्चित करने की अन्य सूचना के माध्यम से बढ़े हुए अभिगमन के लिए अपेक्षित विशिष्ट उपकरण पर केंद्रित है। यह मानक आईएस 15358 : 2003 'खुले प्रणालों में द्रव प्रवाह मापन- बर्फ अवस्थाओं में प्रवाह मापन के साथ प्रयुक्त होना निर्दिष्ट है जो कि विशेषतः बर्फ में प्रवाह मापन की पद्धति के साथ कार्य करता है।

पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी पारिभाषिक शब्दावली (आईएस 15832 : 2008)

जल संसाधन परियोजनाओं में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या संबंधी द्वयर्थकता टालने के लिए पहले ही काफी भारतीय मानक प्रकाशित है। पर्यावरणीय प्रभाव एवं उनके मूल्यांकन का जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन एवं प्रचालन में प्रमुख महत्व माना गया है। इस क्षेत्र में स्पष्टता लाने एवं द्वयर्थकता से बचने के लिए यह आवश्यक है कि प्रयुक्त

In this standard it has been sought to lay down only the general principles or guidelines as regards topographical survey for river valley projects. This standard was first issued in 1969 and revised in 1983. In this revision, specifications regarding scale of maps for different surveys had been modified to reflect current practice. Provisions regarding river survey, flood survey and command area development survey had been added.

Subsurface exploration for earth and rock fill dams – Code of practice (IS 6955 : 2008) (*first revision*)

Earth and rockfill dams have been constructed since early ages. The dams built in olden days, were generally of low to medium heights. With increasing heights of dams and faster rates of construction, there is a greater need for proper investigations and design based on the latest developments in the fields of soil and rock mechanics. An important requisite for proper design is adequate investigation. Subsurface explorations form an important part of these investigations. This standard gives guidance on the type, extent and details of subsurface explorations needed in connection with earth and rock fill dams. The standard provides guidelines for planning the exploratory work through various stages of the project development. These recommendations may have to be modified for individual projects depending upon the site conditions and other conditions peculiar to each project, such as, height, importance of the dam and the heterogeneity of foundation formations. This Indian Standard was published in 1973. The present revision is done to reflect the experience gained on the subject since then.

Measurement of liquid flow in open channels – Equipment for the measurement of discharge under ice conditions (IS 15822 : 2008)

Water discharge measurements in rivers and channels under ice conditions can be measured using velocity area methods, dilution representative vertical methods and by means of notches, weirs and flumes. The most common technique for determining flow under ice conditions uses a modified form of the velocity-area method. This standard concentrates on the specialized equipment required for gaining access through the ice sheet and obtaining area, velocity, and other information for determining the rate of flow under ice. This standard is intended to be used with IS 15358 : 2003 'Liquid flow measurement in open channels – Flow measurement under ice conditions' which specifically deals with the methods for the measurement of flow under ice.

Glossary of technical terms related to environmental impact (IS 15832 : 2008)

A large number of Indian Standards have already been brought out defining technical terms used in water resources projects to avoid ambiguity in their interpretation. Environmental impact and its assessment, has assumed major importance in the planning, design and operation of water resource projects. For clarity and unambiguity in this area, it is essential that the terms used are standardized so that subjective and qualitative

पारिभाषिक शब्द मानकीकृत हों, ताकि वे विषयगत एवं गुणतापरक बातें पूर्णतः समझा सकें। इस लक्ष्य हेतु यह मानक जल संसाधन परियोजनाओं से पर्यावरण पर प्रभाव संबंधी शब्दावली की व्याख्याएँ प्रस्तुत करता है।

द्रव पदार्थों के भंडारण के लिए कंक्रीट संरचनाओं की रीति संहिताः भाग 1 सामान्य अपेक्षाएँ तथा भाग 2 प्रबलित कंक्रीट संरचनाएँ (आईएस 3370 भाग 1 एवं 2 का पुनरीक्षण)

देश में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में जल टंकियाँ बनाई जाती हैं। इन संरचनाओं की गुणता इनके डिजाइन एवं निर्माण रीतियों, सामग्रियों के भौतिक गुणधर्मों तथा जलवायु अवस्थाओं पर निर्भर होती है। अतः इन मानकों में कंक्रीट संरचनाओं के डिजाइन तथा निर्माण, द्रव प्रमुखतः जल भंडारण संबंधी विस्तृत अपेक्षाएँ दी गई हैं। मानक का यह पुनरीक्षण इसके प्रावधानों का अद्यतन करने एवं इस पुनरीक्षित कंक्रीट संहिता, आईएस 456 : 2000 के अनुरूप बनाने के लिए प्रकाशित किया गया है।

पॉवर टिलर – चुनिंदा कार्यकारिता गुणधर्मों संबंधी अनुशंसाएँ (आईएस 13539 : 2008 का पुनरीक्षण)

यह मानक पहली बार गुणधर्मों की कुछ सीमाएँ निर्धारित करने के लिए सन् 1992 में जारी किया गया, जो कार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी न्यूनतम कार्यकारिता मार्गदर्शनों को गृहित करने के लिए इसका पुनरीक्षण किया गया है।

सिंचाई उपकरण–उत्सर्जन पाइप सिस्टम्स 9 (आईएस 13488 : 2008) (*पहला पुनरीक्षण*)

यह मानक उत्सर्जन पाइपों एवं उनकी फिटिंगों की यांत्रिक एवं कार्यात्मक अपेक्षाऐं, परीक्षण पद्धतियाँ एवं सही संस्थापन एवं प्रचालन को सुगम बनाने के लिए निर्माताओं की सप्लाई के आँकड़े विनिर्दिष्ट करता है।

सिंचाई उपकरण – फुहार पाइप [आईएस 14151 (भाग 2) : 2008] (*दूसरा पुनरीक्षण*)

इस मानक में मुख्य पाइप, उप-पाइप अथवा नलिकाओं के रूप में सुवाहय फुहारकों और फुहार सिंचाई प्रणालियों के लिए प्रयुक्त 40 मिमी से 200 मिमी तक के बाहरी व्यास वाले पोलीइथाइलीन पाइपों एवं फिटिंगों की सामग्रियों, निर्माण, परीक्षण पद्धतियों और परीक्षण की सामान्य अपेक्षाएँ दी गई हैं।

ग्रीनहॉऊस के लिए प्लास्टिक फिल्म (आईएस 15827 : 2008)

ग्रीनहॉऊस कम से कम आंशिक रूप से नियंत्रित पर्यावरणीय अवस्थाओं के तहत उपयुक्त ग्लेजिंग सामग्री के माध्यम से उपलब्ध सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके फसल उत्पादन के अवसर देते हैं। परिणामस्वरूप, फसल उत्पादकता खुले मैदानों की अवस्थाओं के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ जाती है। उत्पादन की गुणता श्रेष्ठ रहती है तथा फसल उत्पादन जगह एवं मौसम से मुक्त रहता है। ग्रीनहॉऊसों को श्रेष्ठ वर्ग के बीजों के उत्पादन, जैव-प्रौद्योगिकी प्रोटोकॉलों एवं कृषि अनुसंधान में भी प्रयुक्त किया गया है। प्लास्टिक फिल्में तांत्रिक उत्पादन गतिविधियों के लिए सर्वाधिक आम ग्लेजिंग सामग्री होती है।

यह मानक ग्रीनहॉउसों की प्लास्टिक फिल्मों के परीक्षण की पद्धतियाँ एवं अपेक्षाएं निर्दिष्ट करता है।

चिकित्सा विद्युतीय उपकरण, भाग 2 सुरक्षा के लिए विशेष अपेक्षाएं, खंड

communications are clearly understood. To achieve this goal, this standard gives definitions of terms relating to environmental impact in water resources projects.

Code of practice for concrete structures for storage of liquids: Part 1 General requirements and Part 2 Reinforced concrete structures (Revision of IS 3370 Parts 1 and 2)

A large number of concrete water tanks are constructed in the country every year. The quality of these structures is influenced by design and construction practices, the physical properties of the materials and the climatic condition. These standards (Parts 1 and 2) therefore lay down detailed requirements for the design and construction of concrete structures, intended for storage of liquids, mainly water. This revision of the standards has been brought out to upgrade the provisions and bring the same in line with the revised concrete code, IS 456 : 2000.

Power tillers – Recommendations on selected performance characteristics (Revision of IS 13539 : 2008)

This standard was first issued in 1992 to stipulate limits for some of the characteristics which are functionally important. This revision is an adoption of the minimum performance guidelines issued by the Ministry of Agriculture.

Irrigation equipment–Emitting pipe systems [IS 13488 : 2008] (*first revision*)

This standard specifies the mechanical and functional requirements of the emitting pipes and their fittings, test methods and the data to be supplied by the manufacturer to facilitate correct installation and operation in the field.

Irrigation equipment – Sprinkler pipes [IS 14151 (Part 2) : 2008] (*second revision*)

This standard lays down the general requirement for materials, manufacture, method of tests and testing of quick coupled polyethylene pipes and fittings of outside diameter 40mm to 200 mm used for portable sprinkler and drip irrigation systems as mains, submains or laterals.

Plastic film for greenhouses (IS 15827 : 2008)

Greenhouses permits crop production using available sunlight through appropriate glazing materials under at least partially controlled environmental conditions. As a result, the crop productivity is several times enhanced compared to open field conditions. Quality of the produce is superior and the crop production is relatively independent of location and season. Greenhouses have also been used for hybrid seed production, biotechnological protocols and agricultural research. Plastic films are the most common greenhouse glazing material for commercial production activities.

This standard specifies requirements and their methods of test for plastic films for greenhouses.

Medical electrical equipment : Part 2 Particular

30 स्वचालित साइकिलिंग नॉन-इन्वेसिव खून दबाव नियंत्रण उपकरण की विशिष्ट अपेक्षाएँ [आईएस 13450 (भाग 2 / खंड 30) : 2008 / आईईसी 60601 - 2 - 30 : 1999]

यह मानक भा मा ब्यूरो ने आईईसी 60601-2-30 : 1999 को ग्रहित करके बनाया है। विशेष रूप से, यह मानक स्वचालित साईकलिंग नॉनइन्वेसिव खून दबाव नियंत्रण उपकरण की अनिवार्य कार्यकारिता सहित सुरक्षा की अपेक्षाएँ निर्दिष्ट करता है। उपकरण स्वयं या बिना किसी की देख–रेख के काम कर सकता है। इस मानक में विशेषतः इन्फ्लेशन एवं डिफ्लेशॅन साइकिलों के कारण नुकसान से बचने पर ध्यान दिया जा रहा है।

न्यूरोसर्जिकल इम्पलांट – जीवाणुरहित, एक बार प्रयुक्त हॉयड्रोसेफालॅस शॅन्टस एवं संघटक (आईएस / आईएसओ 7197: 2006)

यह मानक भा मा ब्यूरो द्वारा आईएसओ 7197: 2006 को ग्रहित करके बनाया गया है। यह मानक जीवाणुरहित, एक बार प्रयुक्त असक्रिय हॉयड्रोसेफॉलस शॅण्टस एवं संघटकों की सुरक्षा एवं कार्यकारिता अपेक्षाएँ निर्दिष्ट करता है। इसमें शॅण्टस जैसे वाल्वों, ट्यूबों एवं कुंडियों में प्रयुक्त संघटक शामिल हैं। यह मानक सर्जन एवं रोगियों को नये डिजाइन लक्षणों के साथ अच्छे कार्यकारी उत्पादों की कार्यकारिता के बारे में मानकीकृत जानकारी लेने एवं निर्माता द्वारा दी गई जानकारी को समझने का लाभ देता है। यह निर्माताओ को निर्माण विकास तथा गुणता नियंत्रण के लिए अनुसंधानों के आधार पर शंटों के लिए महत्वपूर्ण अपेक्षाओं को परिभाषित करने का लाभ प्रदान करता है।

निर्माण परियोजना प्रबंध के लिए सामान्य मार्गदर्शन [आईएस 15883 (भाग 1) : 2009]

यह नया मानक अनुमोदन के स्तर की परवर्ती स्टेजों को शामिल करते हुए निर्माण परियोजना प्रबंध हेतु सामान्य मार्गदर्शनों को कवर करता है (जब इसकी वित्त व्यवस्था सहित परियोजना के कार्यान्यन का निर्णय लिया जाता है)।

यह मानक ज्ञान, क्षमताऐं, औजार एवं तकनीकों के अनुप्रयोग से संबंधित निर्माण परियोजना प्रबंध एवं जानकारी के सामान्य दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है। दूसरा उद्देश्य परियोजना को निर्धारित समय के भीतर अधिकृत लागत में एवं गुणता की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लक्ष्यार्थ परिभाषित परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करना है। यह कार्यक्षेत्रगत प्रबंध, प्रापण प्रबंध, समयावधि प्रबंध, लागत प्रबंध, गुणता प्रबंध, जोखिम प्रबंध, संचार प्रबंध, मानव संसाधन प्रबंध, सुरक्षा प्रबंध, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रबंध, समाकलन प्रबंध एवं अन्य प्रबंध प्रक्रियाओं जैसे विभिन्न निर्माण परियोजना प्रबंध कार्यों पर संक्षिप्त मार्गदर्शन देता है। इस मानक के उपयोगकर्ताओं को इस मानक के महत्वपूर्ण प्रावधानों की सहायतार्थ उपयुक्त निर्माण प्रबंध सोफ्टवेयर प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सामान्यतः ये मार्गदर्शन सभी निर्माण परियोजनाओं पर लागू होते हैं।

खादनीय प्लास्टिक (आई एस /आईएसओ 17088 : 2008)

खादनीय प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक है, जो इसके खाद बनाने की जैव-वैज्ञानिक प्रक्रिया के दौरान क्षय होकर अन्य ज्ञात खादनीय सामग्रियों के अनुपात में कार्बनडाइ ऑक्साइड, पानी, अकार्बनिक यौगिक और जैव मास

requirements for the safety, Section 30 Essential performance of automatic cycling non-invasive blood pressure monitoring equipment [IS 13450 (Part 2/Sec 30) : 2008/IEC 60601-2-30 : 1999]

This standard has been formulated by BIS by adoption of IEC 60601-2-30 : 1999. This particular standard specifies requirements for the safety, including essential performance, of automatic cycling non-invasive blood pressure monitoring equipment. The equipment may be attended or unattended. In this standard special attention is being paid to the avoidance of hazards due to the inflation and deflation cycles.

Neurosurgical implants – Sterile, single – Use hydrocephalus shunts and components (IS / ISO 7197 : 2006)

This standard has been formulated by BIS by adoption of ISO 7197 : 2006.This standard specifies safety and performance requirements for sterile, single-use non-active hydrocephalus shunts and components. This includes the components used in shunts, like valves, tubes and reservoirs. The benefit of this standard for the surgeon and the patient is to understand the information given by the manufacture and to obtain standardized information about the performance of a well working product with new design characteristics. The benefit for the manufacturer is to define the important requirements for shunts as a basis for investigations during development as well as for quality control during manufacture.

General guidelines for construction project management [IS 15883 (Part 1) : 2009]

This new standard covers general guidelines for construction project management covering the stages subsequent to the stage of approval (when a decision to implement the project including its financing is taken).

This standard provides a general overview of construction project management and information regarding application of knowledge, skills, tools and techniques to achieve the objectives of a defined project with the aim to ensure that the project is completed within the scheduled time, authorized cost and to the requirement of quality standards. It also gives brief guidelines on various construction project management functions such as scope management, procurement management, time management, cost management, quality management, risk management, communication management, human resources management, safety, health and environment management, integration management, and other management processes. Users of this standard have been encouraged to employ suitable construction management software as an aid to implement provisions of this standard. The guidelines may be applicable in general to all construction projects.

Compostable plastics (IS/ISO 17088 : 2008)

Compostable plastic is a plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO_2, water, inorganic compounds and biomass at

उत्पन्न करती है और कोई दृश्यमान, विशिष्ट या आविशालु अपशिष्ट नहीं छोड़ती । यह मानक आईएसओ 17088 को ग्रहित करके बनाया गया है। यह मानक प्लास्टिक एवं प्लास्टिक से बने उत्पादों की पहचान एवं लेबलिंग के लिए प्रक्रियाएँ एवं अपेक्षाऐं निर्दिष्ट करता है जो ऐरोबिक कॉम्पोसटींग के माध्यम से रिकवरी के लिए उपयुक्त है। इसमें चार निम्नलिखित पहलुओं को दर्शाया गया है :

क) बॉयोडिग्रेशॅन;

ख) खाद बनने के दौरान में अवखंडन;

ग) खाद बनने की प्रक्रिया के दौरान नकारात्मक प्रभाव एवं सुविधा, और

घ) नियंत्रित परिणामी खाद की गुणता पर नकारात्मक प्रभाव, जिसमें धातुओं एवं अन्य नुकसानदायक संघटकों की उच्च स्तरों की उपस्थिति शामिल है ।

मानको की समीक्षा एवं अद्यतन

आवश्यक होने पर मानकों की समीक्षा की जाती है परंतु पाँच वर्षों में कम से कम एक बार समीक्षा अवश्य की जाती है। वर्ष के दौरान 3576 मानकों की समीक्षा की गई, 3411 मानकों को पुनर्पुष्ट किया गया, 137 मानकों का पुनरीक्षण किया गया और 28 मानक वापिस लिए गए।

सुमेलीकरण

खुले बाजार के परिदृश्य में भारत वैश्विक प्रतिस्पद्धा की चुनौती का सामना कर रहा है।वैश्विक बाजार में बने रहने का एकमात्र तरीका है कि जहां तक संभव हो, भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित आईएसओ/ आईईसी मानकों के साथ सुमेलित किया जाए। भारत व्यापार पर तकनीकी बाधाओं के लिए डबल्यूटीओ करारनामे पर हस्ताक्षरकर्ता है। इस करारनामे के अनुसार, डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित करने की आवश्यकता होती है। यद्यपि, देशों की विशिष्ट चिन्ता जैसे सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करते समय विचार में लिया/शामिल किया जा सकता है। भा मा ब्यूरो में मानक निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग एक आधार के रूप में किया जाता है । अब तक भा मा ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ 4527 भारतीय मानकों को सुमेलित किया है। वर्तमान में आईएस/आईईसी मानकों के समनुरूप लगभग 84 प्रतिशत मानक सुमेलित हैं।

मानकों के कार्यान्वयन के लिए संगोष्ठियां

भा मा ब्यूरो ने विभिन्न क्षेत्रों में संगोष्ठियों का आयोजन करके भारतीय मानकों के कार्यान्वयन को गति दी है। सभी तकनीकी विभागों ने ज्ञात क्षेत्रों में संगोष्ठियां आयोजित की जिसमें निर्माताओं, उपयोगकर्ताओं, सरकारी प्रतिष्ठानों जैसे स्टेकहॉल्डरों और अन्य लोगों ने भाग लिया। कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध मानकों की जानकारी के प्रसार के उद्देश्य से 35 संगोष्ठियां / कार्यशालाएं की गईं। ये संगोष्ठियां अधिकांश रूप से उन औद्योगिक क्षेत्रों, परिसरों में आयोजित की गई, जहां प्रचारित की जाने वाली जानकारी से जुड़े उत्पादक विशेषतः अधिक थे। इन संगोष्ठियों के दौरान वर्तमान मानकों को बेहतर बनाने और नए मानकों के विषयों को जानने के लिए स्टेकहाल्डरों के मत और सुझावों को भी ध्यान में रखा गया। निम्नलिखित विषयों पर संगोष्ठियां आयोजित की गईं:

- पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट (पीएससी) एवं पोर्टलैंड पोजोलॉना सीमेंट (पीपीसी)
- राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता
- आईएस 800, स्टीलों में सामान्य निर्माण की उपचार संहिता

a rate consistent with other known compostable materials and leaves no visible, distinguishable or toxic residue. This standard has been formulated by adoption of ISO 17088. This Standard specifies procedures and requirements for the identification and labelling of plastics, and products made from plastics, that are suitable for recovery through aerobic composting. The four following aspects are addressed :

a) Biodegradation;
b) Disintegration during composting;
c) Negative effects on the composting process and facility; and
d) Negative effects on the quality of the resulting compost, including the presence of high levels of regulated metals and other harmful components.

Review and Updating of Standards

Standards are reviewed as considered necessary, but at least once in five years. During the year 3576 standards were reviewed, 3411 standards were reaffirmed, 137 were taken up for revision and 28 were withdrawn.

Harmonization

In the market scenario, India is facing challenge of global competition. To sustain in the global markets it is important to harmonize Indian Standards, as far as possible, with ISO/IEC Standards formulated at International level. India is a signatory to WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT). As per the agreement, member countries of WTO are required to align their National Standards with International Standards. However, country specific concerns such as safety, environmental issues can be considered/ incorporated, while formulating National Standards. BIS uses International Standards, wherever they exist as a basis for the standards development. So far BIS has harmonized 4527 Indian Standards with International Standards. Considering number of standards where corresponding ISO/IEC Standards exist, about 84 percent standards are harmonized.

Seminars for Implementation of Standards

BIS has taken up a drive to intensify the implementation of Indian standards through Seminars in different fields. All technical divisions organized Seminars in identified sectors where stakeholders such as manufacturers, users, R&D organizations, Government institutions and others participated. In all 35 Seminars/Workshops were conducted to disseminate information on standards available in specific fields for increased implementation. These seminars were mostly conducted in industrial estates, clusters where there is concentration of specific manufacturers about which the information was to be disseminated. During these seminars opinion and suggestion of stakeholders were also taken for improvement in the existing standards and for identification of subjects for new standards. Details of some Important seminars are as follows

- Gradation of Portland Slag Cement (PSC) and Portland Pozzolona Cement (PPC)
- National Building Code
- IS 800, Code of Practice for General Construction in Steels.

- हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी – स्थायी ऊर्जा पद्धति में संभाव्य दृष्टिकोण
- घूर्णी विद्युतीय मशीनें
- अल्प वोल्टता स्विचगियर
- कृषि की अच्छी रीतियाँ
- खाद्य सुरक्षा
- विद्युतीय संघटक – राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण
- बैंकिंग एवं ज्वैलरी स्थापनाओं में बहुमूल्य सुरक्षात्मक भंडारण
- हैंडलूम / खादी की वृद्धि एवं विकास में मानकों की भूमिका
- पम्प
- स्वास्थय देखभाल सुविधायें एवं अस्पताल आयोजना
- पॉलिशकृत डायमण्ड का श्रेणीकरण
- ईंधन - गुणता एवं वाहनों के उत्सर्जन
- हस्त औजार
- बिटुमैन प्रौद्योगिकियों में प्रगति
- इंजीनियरिंग मापविज्ञान
- सीएनजी एवं एलपीजी प्रणाली संघटक
- एकीकृत जल संसाधन प्रबंध
- सार्वजनिक स्थलों/भवनों में आग से सुरक्षा – फॉयर रिटार्डेंट टक्स्टाइलों की भूमिका

आयोजित किए गए कुछ महत्वपूर्ण सेमिनारों के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं :

1. 'कृषि की अच्छी रीतियाँ' संबंधी सेमीनार

आईसीएआर के एनएएससी कॉम्प्लैक्स्, नई दिल्ली में दिनांक 23 दिसम्बर 2008 (मंगलवार) को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के सहयोग से 'कृषि की अच्छी रीतियॉं' विषय पर राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित किया गया। सेमीनार के उद्देश्यों में था : अनुसंधानकर्ताओं / नीति निर्माताओं, उद्योगों एवं क्षेत्र के एनजीओ को एक मंच पर एक साथ लाना, जानकारी के आदान – प्रदान, वाद और विवाद हेतु अवसर प्रदान करना, एवं राष्ट्रीय लाभार्थ अच्छी कृषि रीतियों पर समृद्ध भारतीय मानकों के स्थापना की सिफारिशें करने के लिए विचार – विमर्श करना। इस सेमीनार से व्यावसायिक फार्मिंग कम्पनिया अनुसंधान संगठनों एवं विभिन्न स्टेक होल्डरों की शैक्षिक एवं काबिज़ उम्मीदों एवं

- Hydrogen Technology – Future vision for Sustainable Energy system
- Rotating Electrical Machines
- Low Voltage Switchgear
- Good Agriculture Practices
- Food Safety
- Electronic Components – National and International Standardization
- Safe Storage of Valuables in Banking & Jewellery Establishments
- Growth and Development of Handloom/Khadi – Role of Standards
- Pumps
- Health Care Facilities and Hospital Planning
- Grading of Polished Diamond
- Fuel Quality and Vehicular Emissions
- Hand Tools
- Advancement in Bitumen Technologies
- Engineering Metrology
- CNG & LPG Fuel System Components
- Integrated Water Resources Management
- Fire Safety in Public Places/Buildings – Role of Fire Retardant Textiles

Salient points of some important seminars conducted are as under :

1. Seminar on "Good Agricultural Practices"

A National Seminar on "Good Agricultural Practices" was organized in collaboration with Indian Council of Agricultural Research (ICAR) on Tuesday, 23rd December 2008 at NASC Complex, New Delhi. The objective of the Seminar was : to bring together researchers / policy - makers, industries and NGOs working in the field, on one platform and to provide an opportunity to exchange knowledge, ignite debates and facilitate discussions to generate recommendations for the establishing robust Indian Standards on Good Agricultural Practices for national benefit. This seminar created awareness of BIS initiative towards development of India GAP Standards for the benefit of commercial farming companies, research

फीडबैंक के लाभ के लिए भारतीय जीएपी मानकों के विकास के प्रति भामाब्यूरो की पहलों की जागरूकता पैदा हुई ।

2. वर्ष 2008-09 के दौरान, भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 के प्रति जागरूकता एवं क्रियान्वयन अभियान

वर्ष 2008 - 09 के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 संबंधी जानकारी प्रचारित करने के लिए तीन कार्यशालाएँ आयोजित की गई, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (भारत) के साथ संयुक्त रूप से आयोजित की गईं। ये कार्यशालाएँ जयपुर, मुम्बई एवं तिरूचिरापल्ली में आयोजित की गई। कार्यशाला में निम्नलिखित आम सिफारिशें प्रकट हुई :

क) स्थानीय भवन निर्माण संबंधी नियमों एवं राज्यों में अन्य रेगुलेटरी मीडिया की पूर्णतः समीक्षा होनी चाहिए एवं उन्हें पुनरीक्षित एनबीसी 2005 के अनुरूप करने के लिए उनका पुनरीक्षण होना चाहिए।

ख) वर्तमान राज्य पी डब्ल्यू डी विशिष्टियों, संहिताओं एवं मैनुअलों को एनबीसी 2005 के अनुरूप पुनरीक्षित किया जाए।

ग) मास्टर प्लान में भी एनबीसी 2005 की महत्ता परिलक्षित की जाए।

घ) सभी भवन निर्माण पेशेवरों एवं भवन निर्माण गतिविधियों में शामिल किसी भी प्रकार के कर्मियों को निर्माण क्षमताओं/प्रशिक्षित करने के लिए प्रयास किए जाए।

ङ) सिविल इंजीनियरिंग एवं स्थापत्यता के पाठ्यक्रम में एनबीसी 2005 को सम्मिलित करके अद्यतन किया जाए, ताकि शैक्षिक स्तर से ही भवन निर्माण संहिता के प्रावधानों की उचित समझबूझ एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित हो सकें।

3. आईएस 800 : 2007 संबंधी कार्यशालाएँ

भा मा ब्यूरो एवं आईएनएसडीएजी ने संयुक्त रूप से आईएस 800:2007 (स्टील में सामान्य निर्माण के लिए भारतीय मानक आचार संहिता) पर दो दिवसीय कार्यशालाएँ दिनांक 27 एवं 28 अगस्त 2008 को चैन्ने में, दिनांक 17 एवं 18 नवम्बर 2008 को मुम्बई में एवं 17 एवं 18 दिसम्बर 2008 को कोलकाता में मानक के तीसरे पुनरीक्षण के कार्यान्वयन के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं इसे सुविधाजनक बनाने के लिए आयोजित की। कार्यशालाएं विशेषतः विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों, संस्थानों के सिविल इंजीनियरिंग / स्थापत्य इंजीनियरिंग की फैकल्टी हेतु आयोजित की गई एवं शिक्षादाताओं द्वारा सीमित स्टेट पद्धति पर आधारित डिजाइन संहिता प्रावधानों की समुचित समझ एवं समरूप व्याख्यायें सुनिश्चित करने के लक्ष्यार्थ आयोजित हुई। कार्यशाला के तकनीकी सत्र में तनन, संपीडन, आनमन इत्यादि में विभिन्न स्थापत्य अव्यवों/संघटकों के डिजाइन पहलू, श्रान्ति के डिजाइन, कनक्शन डिजाइन

organizations and academia and captured the expectations and feedback of the various stakeholders.

2. Awareness and Implementation Drive for National Building Code of India 2005 during 2008-09

In order to disseminate information about the NBC 2005 three workshops on National Building Code of India 2005 were organized during 2008-09. The workshops were held at Jaipur, Mumbai and Tiruchirappalli which were organized jointly with the Institution of Engineers (India). The general recommendations that emerged from the workshops were :

a) The local building byelaws and other regulatory media in the State should be completely reviewed and revised to bring the same in line with the revised NBC 2005.

b) The existing State PWD specifications, codes and manuals should be revised in line with NBC 2005.

c) The Master Plan should also be reflective of the concerns of NBC 2005.

d) Efforts should be made for capacity building/training of all building professionals and work force involved in building construction activity.

e) The curriculum of civil engineering and architecture should be upgraded to encompass NBC 2005 so as to ensure proper understanding and training of the provisions of the Building Code right from academic level.

3. Workshops on IS 800 : 2007

Two day Workshops on IS 800 : 2007 'Code of Practice for General Construction in Steel' were organized jointly by BIS and INSDAG at Chennai on 27 and 28 August 2008, at Mumbai on 17 and 18 November 2008 and at Kolkata on 17 and 18 December 2008, for creating awareness and facilitate in the implementation of the third revision of the standard. The workshops were held exclusively for faculties of civil engineering / structural engineering of various engineering colleges/institutes and were aimed at ensuring proper understanding and uniform interpretation of the design provisions of the Code, now based on limit state method, by academicians. The technical sessions of the workshop covered the design aspects of various structural elements/ components in tension, compression, flexure, etc, design

एवं भूकम्प डिजाइन एवं विवरण शामिल किए गए। इसके अतिरिक्त, मानक पुनरीक्षण के महत्वपूर्ण बदलाव एवं सामग्रियों की अपेक्षा के दृष्टिगत सत्र किए गए। कार्यशालाओं ने अनुशंसा की कि सिविल / स्थापत्य इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों को पुनरीक्षित आईएस 800 के साथ आमेलित किया जाए एवं तदनुसार, विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों को पुनरीक्षित करें। इससे शैक्षिक स्तर से ही सीमित स्टेट पद्धति द्वारा स्टील में स्थापत्य डिजाइन के प्रावधानों के प्रति समुचित समझ बनेगी।

for fatigue, design of connections and earthquake design and detailing. In addition, sessions on overview of the standard, important changes in the revision and requirement on materials were presented. The workshops recommended that the curriculum of civil/structural engineering should incorporate the revised IS 800 and universities should accordingly revise their syllabus. This would enable proper understanding of the provisions of structural design in steel by limit state method right at the academic level.

4. 'हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी – सतत ऊर्जा प्रणाली के लिए संभाव्य दृष्टि' पर सेमीनार

पुणे में दिनांक 23 मार्च 2009 (सेमीनार) को 'हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी – सतत ऊर्जा पद्धति के लिए संभाव्य दृष्टि' शीर्षक पर सेमीनार आयोजित किया गया। सरकारी संगठनों, आटोमोटीव उद्योगों, गैस निर्माताओं, सिलिण्डर निर्माताओं इत्यादि के प्रतिनिधि इस सेमीनार में उपस्थित हुए।

सतत ऊर्जा प्रणाली में संभाव्य दृष्टि के रूप में हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के महत्व संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराना एवं इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विभिन्न सुरक्षा संहिता एवं मानकों के माध्यम से ईंधन / ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन के निर्माण, भडांरण, परिवहनीय एवं हैंडलिंग के विकास संबंधी जानकारी का आदान प्रदान करना इस सेमीनार के मुख्य उद्देश्य थे।

4. Seminar on "Hydrogen Technology – Future Vision for Sustainable Energy System"

A Seminar titled "Hydrogen Technology – Future Vision for Sustainable Energy System" was organizes on Monday, 23 March 2009 at Pune. The Seminar was well attended by representatives from different sectors like Govt. organizations, automotive industries, gas manufacturers, cylinder manufacturers etc.

The main objective of this seminar was to increase awareness and provide a platform to discuss various issues regarding the importance of hydrogen technology as future vision for sustainable energy system and to share information related to development in manufacture, storage, transportation and handling of hydrogen as fuel/energy carrier through different safety codes and standards.

5. 'सीएनजी एवं एलपीजी ईंधन प्रणाली घटक – उत्पादन – अनुरूपता' पर सेमीनार

दिनांक 13 फरवरी 2009 को सेमीनार आयोजित किया गया। सेमीनार में सभी प्रमुख ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के 60 से अधिक प्रतिभागियों सीएनजी / एलपीजी ईंधन सिस्टम संघटकों के निर्माताओं, आयातकों, एआरएआई, सीआईआरटी, वीआरडीई, पीईएसओ, पीएनजी

5. Seminar on "CNG and LPG Fuel System Components – Conformity of Production"

Seminar was organized on 13 February 2009 at Pune. The seminar was attended by over 60 participants from all major automotive industry, CNG/LPG fuel system components manufacturers, importer, Officers of ARAI, CIRT, VRDE, PESO, PNGRB,

आरबी के अधि. बीआईएस लाइसेंसियों एवं ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस सेमीनार में श्री बलराज भनोट, अध्यक्ष, टीईडीसी मुख्य अतिथि थे।

6. एकीकृत जल संसाधन प्रबंध संबंधी सेमीनारः जल संसाधन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रबंध पर माँग मूल्यांकन एवं प्रबंध पर एक विशेष सत्र

एकीकृत जल संसाधन प्रबंध संबंधी सेमीनारों की प्रस्तावित श्रृंखला का यह पहला सेमीनार भा मा ब्यूरो, नई दिल्ली के आडोटोरियम में दिनांक 20 मार्च 2009 को आयोजित हुआ। सेमीनार का मुख्य शीर्षक एकीकृत जल संसाधन प्रबंध के भाग माँग मूल्यांकन एवं प्रबंधन संबंधी था। सेमीनार में जल संसाधन परियोजनाओं संबंधी पर्यावरणीय प्रबंध का एक विशेष सत्र शामिल किया गया। सेमीनार से महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ कीं और भविष्य में मानकीकरण के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की।

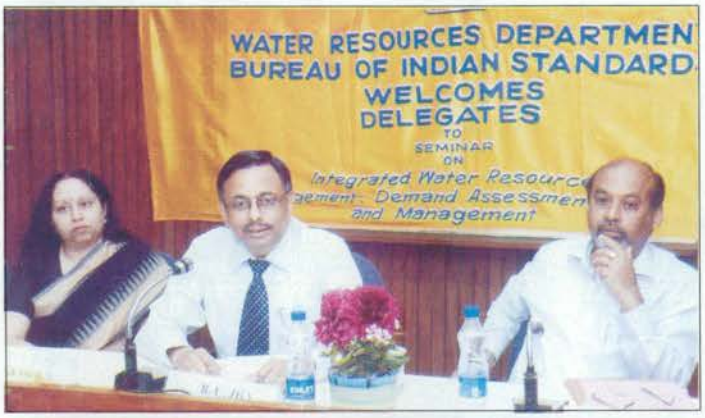

BIS licensees, and senior officers of BIS. Shri Balraj Bhanot, Chairman TEDC was the chief guest in this seminar.

6. Seminar on Integrated Water Resources Management: Demand Assessment and Management with a Special Session on Environmental Management of Water Resources Projects.

The first seminar of the proposed series of seminars on Integrated Water Resources Management was held on 20th March 2009 in the auditorium of BIS, New Delhi. The main theme of the seminar related to Demand Assessment and Management part of Integrated Water Resources Management. The seminar also included a special session on Environmental Management of Water Resources Projects.
The seminar came up with the important recommendations and identified key areas for future standardization.

7. डॉयमण्ड – मानकीकरण और ग्रेडिंग पर सेमीनार

दिनांक 16 मई 2008 को सूरत, गुजरात में डॉयमण्ड मानकीकरण एवं ग्रेडिंग पर एक सेमीनार आयोजित हुआ। सेमीनार के दौरान, मुख्य अतिथि श्री चन्द्र कांत आर. संघवी, चैयरमैन, जेम्स एवं ज्वैलरी एक्सपॉर्ट प्रोगोशन कॉउसिंल (जीजेईपीसी) (गुजरात क्षेत्र) एवं चैयरमैन, भारतीय हीरा संस्थान, सूरत ने नये प्रकाशित भारतीय मानक आईएस 15766 : 2007 'ग्रेडिंग ऑफ पॉलिशड डॉयमण्डः भाग 1 वर्गीकरण एवं भाग 2 परीक्षण पद्धतियों' का शुभारंभ किया। सेमीनार में सरकारी एन्टरप्राइजेजों, डॉयमण्ड मैन्युफैक्चरों, रिटेलरों, होलसेलरों, डिलरों, एक्सपोर्टरों, डॉयमण्ड इंस्ट्रिटयूशॅन कंज्यूमर संगठनों इत्यादि के 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सेमीनार के तकनीकी सत्रों में बहुत से विषयों को छुआ गया। जिसमें से भारत में पालिशड डॉयमण्ड, सिंथेटीक / उपचारित डायमण्ड पहचान, डायमण्ड सेट ज्वैलरी गुणता मूल्यांकन एवं डॉयमण्ड निर्माण प्रौद्योगिकीयों थे।

8. एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की क्षमता की सामान्य अपेक्षाओं संबंधी सेमीनार

दिनांक 25 फरवरी 2009 को मुम्बई में भा मा ब्यूरो ने एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रो की क्षमता की सामान्य अपेक्षाओं संबंधी एक सेमीनार आयोजित किया।

7. Seminars on 'Diamonds - Standardization and Grading'

A seminar on 'Diamonds – Standardization and Grading' was organized on 16 May 2008 at Surat, Gujarat. During the seminar two newly published Indian standards IS 15766 : 2007 'Grading of Polished Diamonds : Part 1 Classifications and Part 2 Test Methods' were launched by the Chief guest Shri Chandrkant R. Sanghavi, Chairman, Gems and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) (Gujrat Region), and also the Chairman, Indian Diamond Institute, Surat. The seminar was attended by over 150 delegates representing Govt. enterprises, Diamond manufacturers, retailers, wholesalers, dealers, exporters, diamond institutes, consumer organizations etc.

The various topics touched upon during the technical session of the seminar were standardization in the field of polished Diamond, synthetic/Treated Diamond identification Diamond set jewellery quality appraisal and Diamond manufacturing technologies in India.

8. Seminar on General Requirements for Competence of Assaying and Hallmarking Centres

A seminar on General Requirements for Competence of Assaying and Hallmarking Centres was organized by BIS

सेमीनार के दौरान, एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों की दक्षता संबंधी सामान्य अपेक्षाओं पर एक नया भारतीय मानक आईएस 15820 : 2009 शुरू किया गया।

सेमीनार में सरकारी एण्टरप्राइजिंज, रिटेलरों, हॉलसेलरों, डिलरों एक्सपोर्टरों, हॉलमार्क सेन्टरों, संस्थानों, प्रयोगशालाओं इत्यादि के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सेमीनार के तकनीकी सत्र में, विभिन्न विषयों - भा मा ब्यूरो हॉलमार्किंग योजना, नया प्रकाशित आईएस 15820 : 2009 की अपेक्षाऐं, हस्तशिल्प द्वारा बनाई भारतीय ज्वैलरी, बहुमूल्य धातुओं की एसेयिंग की पद्धतियाँ एवं बहुमूल्य धातुओं की वस्तुओं को बनाने संबंधी अनुभव को छुआ गया।

9. स्वास्थ्य रक्षा सुविधाऐं एवं अस्पताल अयोजना में मानकीकरण पर सेमीनार

दिनांक 18 फरवरी 2009 को बैंगलोर में भारतीय स्वास्थ्य प्रशासन सोसाइटी (आईएसएचए) के सहयोग से एक सेमीनार आयोजित किया गया। प्रो. अशोक साहनी, अवैतनिक कार्यकारी निदेशक, आईएसएचए ने सेमीनार की अध्यक्षता की। सेमीनार में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

10. खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धतियों पर सेमीनार

दिनांक 4 फरवरी 2009 को रांची में आयोजित हुआ। इस सेमीनार में, उद्योगों, वैज्ञानिकों एवं सरकारी निकायों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। आईएसओ 22000 : 2005 नामित खाद्य सुरक्षा पर आईएसओ मानक, खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धतियाँ - खाद्य श्रृंखला की किसी भी संस्था की अपेक्षाऐं विस्तार से बताई गई। पूरी खाद्य श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धतियों के कार्यान्वयन जरूरतों के बहुत से संगठनों से संबंध हो सकते हैं तथा बहुत सीमाएँ पार कर सकती है इस बारे में समूहों को बताया गया। सेमीनार में उपभोक्ता की कमजोर कड़ी अर्थात् खाद्य पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया गया जो कि स्वास्थ्य के लिए गंभीर हो सकती है।

आईएसओ 22000 के अन्य लाभों में आईएसओ 9001: 2000 गुणता प्रबंध प्रणाली मानक की दृष्टि से सफलतम प्रबंध प्रणाली तक विस्तार होता है, जो सभी सेक्टरों में बहुलता से कार्यान्वित होता है जो कि अपने आप विशेषत खाद्य सुरक्षा से संबंधित नहीं होती । इसके बारे में शिष्टमंडलों को जोर देकर बताया गया।

11. बैंकिंग एवं ज्वैलरी स्थापनाओं में बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा भंडारण पर सेमीनार

दिनांक 12 जनवरी 2009 को मुम्बई में सेमीनार आयोजित किया गया

on 25 February 2009 at Mumbai. During the seminar, one newly published Indian standard IS 15820 : 2009 'General Requirements for Competence of Assaying and Hallmarking Centres' was launched.

The seminar was attended by more than 100 delegates 'representing Govt. enterprises, retailers, wholesalers, dealers, experts, hallmark centres, institutes, laboratories' etc.

During the technical session of the seminar the various topics touched upon were BIS Hallmarking scheme, requirements of newly published Indian standard IS 15820 : 2009, sampling of Indian hand made jewellery, methods of assaying of precious metals and experience on marking on precious metals articles.

9. Seminar on Standardization in Health Care Facilities and Hospital Planning

Seminar was organized in association with Indian Society of Health Administrator (ISHA) at Bangalore on 18 February 2009. The Seminar was chaired by Prof. Ashok Sahani, Honorary Executive Director, ISHA. The Seminar was attended by around 40 participants.

10. Seminar on Food Safety Management Systems

A Seminar on Food Safety Management Systems was organized at Kochi on 4 February 2009. In this Seminar which was attended by more than 100 delegates from the Industries, Scientist and Government bodies, the ISO standard of Food Safety, namely ISO 22000 : 2005 'Food safety management systems – Requirements', for any organization in the food chain was explained in detail. The need for implementing the Food Safety Management Systems in the entire food chain that may link many different types of organization and that may stretch across multiple borders was also explained to the delegates. The danger to the consumer which may occur due to one weak link in the food and can result in serious health hazards were also deliberated in the Seminar.

The other benefit of ISO 22000 is that it extends the successful management system approach of the ISO 9001 : 2000 quality management system standard which is widely implemented in all sectors but does not itself specifically address food safety was also emphasized to the delegates.

11. Seminar on Safe Storage of Valuables in Banking and Jewellery Establishments

The seminar was organized on 12 January 2009 at Mumbai with the objective to sensitize the stake holders

जिसका उद्देश्य इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की मानकीकरण गतिविधियों के बारे में स्टेक होल्डरों को सुग्राही बनाना, संबंधित भारतीय मानकों के कार्यान्वयन को बढ़ाना एवं अद्यतीकृत भारतीय मानकों की फीडबैक प्राप्त करना है।

12. पम्प सेटों पर सेमीनार

यह सेमीनार दिनांक 6 फरवरी 2009 को कोयम्बूटूर में साउथ इंडिया इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ संयुक्ततः आयोजित किया गया। पम्प सेटों संबंधी मानकीकरण गतिविधियों की समीक्षा एवं मानकों को अधिकृत करने के लिए स्टेक होल्डरों से फीडबैक लेना एवं पम्प सेटों में एनर्जी क्षमता में सुधार लाना, इस सेमीनार का उद्देश्य था। इस सेमीनार में पम्प सेटों में उन्नत एनर्जी क्षमता एवं पम्पिंग सिस्टम क्षमता संबंधी पेपर सहित विभिन्न तकनीकी पेपर पेश किए गए। इलैक्ट्रिकल पॉवर के लोड को घटाने के लिए पम्प सेटों के प्रचालन में सोलर एनर्जी के प्रयोग के संबंध में भी चर्चाए की गई।

13. 'हस्त औजार उद्योगों में मानकीकरण के महत्व' पर सेमीनार

दिनांक 17 मार्च 2009 को महात्मा गॉधी लेबर इस्टिट्यूट, अहमदाबाद में "हस्त औजार उद्योगों में मानकीकरण का महत्व" विषय पर सेमीनार आयोजित किया गया। उद्योगों, अनुसंधान संगठनों, सरकारी निकायों एवं अन्य स्टेक होल्डरों के लगभग 50 प्रतिभागियों ने सेमीनार में शिरकत की।

14. 'अभियांत्रिकी मापविज्ञान के क्षेत्र में मानकीकरण गतिविधियों' पर सेमीनार

दिनांक 5 दिसम्बर 2008 को पुणे में सेमीनार आयोजित किया गया। जिसमें उद्योगजगत, अनुसंधान संगठनों, सरकारी निकायों एवं अन्य स्टेक होल्डरों के 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अभियांत्रिकी मापविज्ञान विषय समिति, पीजी 25 एवं इस समिति द्वारा बनाए गए संबंधित विषय के विभिन्न मानकों की गतिविधियों के बारे में उद्योग में जागरूकता लाना अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों एवं डब्ल्यूटीओ/टीबीटी (टैक्नीकल बैरियर टू ट्रैड) की गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलाने की दृष्टि से यह सेमीनार आयोजित किया गया।

15. कम वोल्टता स्विचगियर पर सेमीनार

दिनांक 12 फरवरी 2009 को मुम्बई में कम वोल्टता स्विचगियर संबंधी एक

about the standardization activities in this important area, to increase implementation of relevant Indian Standards and to get the feed back for up-dating Indian Standards

12. Seminar on Pumpsets

This seminar was organized on 6 February 2009 at Coimbatore jointly with South India Engineering Manufacturers Association. The main objective of the seminar was to review the standardization activities on pump sets and to get feed back from the stake holders to update Indian Standards and to improve energy efficiency in pump sets. Number of technical papers were presented during the seminar including papers on improving energy efficiency in pump sets and pumping system efficiency. Discussions were also held on use of solar energy on operation of pump sets to reduce load on electrical power.

13. Seminar on "Significance of Standardization in Hand Tool Industries"

Seminar on the topic 'Significance of Standardization in Hand Tool Industries' was held on 17 March 2009 at Mahatma Gandhi Labour Institute, Ahmedabad. The above Seminar was attended by about 50 Participants from industries, research organizations, Govt. bodies and other stakeholders.

14. Seminar on "Standardization Activities in the Field of Engineering Metrology"

Seminar was organized on 5 December 2008 at Pune. This was attended by about 60 Participants from industries, research organizations, Govt. bodies and other stakeholders.

The seminar was organized with a view to give awareness to the industry about the activities of Engineering Metrology Sectional Committee, PG 25 and various standards under subject which have been formulated by this Committee and to spread awareness about International Activity and WTO / TBT (Technical Barriers to Trade).

15. Seminar on Low Voltage Switchgear

A Seminar on Low Voltage Switchgear was held on 12

सेमीनार का आयोजन किया गया। यह मुम्बई में स्विच गियर उद्योग पर लक्ष्यार्थ था जिसमें बड़े पैमाने पर स्विच गियर उद्योग पर ध्यान दिया गया। हाल ही में, कम वोल्टता स्विच गियर एवं कंट्रोल गियर विषय समिति, ईटी 07 द्वारा विभिन्न स्विच गियरों के मानकों को पुनरीक्षित किया गया। इस संबंध में बदलावों के बारे में उद्योग को जागरूक करने के उद्देश्यार्थ, यह सेमीनार आयोजित किया गया। नये मानकों की जानकारी देने के लिए पुनरीक्षित मानकों में इन बदलावों को दर्शाया गया है। श्री एस. दासगुप्ता, उपमहानिदेशक, पश्चिम ने इस सेमीनार का उदघाटन किया। श्री जी. सेनगुप्ता, अवर निदेशक, सीपीआरआई एवं चैयरमैन, कम वोल्टता स्विच गियर एवं कंट्रोल गियर विषय समिति, ईटी 07 ने इस सेमीनार का उद्देश्य प्रस्तुत किया तथा तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता की। विशेषज्ञों ने स्विच गियर के पुनरीक्षित मानकों में बदलाव पर प्रकाश डालते हुए अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। डब्ल्यू / टीबीटी भामाब्यूरो का प्रचार - प्रसार भी किया गया। स्विच गिअर के विभिन्न मानकों के पुनरीक्षित पाठों के अंतरों को सामने लाने के लिए यह सेमीनार उपयोगी रहा। विशेषज्ञों ने तथा प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया । उद्योगजगत की फीडबैक सकारात्मक थी ।

16. इलैक्ट्रिक मोटरों संबंधी सेमीनार

दिनांक 24 अक्टूबर 2008 को कोयम्बूटूर में इलैक्ट्रिक मोटरों संबंधी एक सेमीनार आयोजित किया गया। लगभग 150 प्रतिभोगी सेमीनार में उपस्थित थे। इलैक्ट्रिक मोटरों एवं संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में विभिन्न निर्माताओं, स्टेक होल्डरों एवं उपयोगकत्ताओं को अवगत कराने के लिए एवं घूर्णा विद्युत मशीनों संबंधी भा मा ब्यूरो की गतिविधियों संबंधी सूचना को प्रस्थावित करना इस सेमीनार का मूल उद्देश्य था।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार 2007

दिनांक 10 अप्रैल 2008 को अशोक होटल, नई दिल्ली में वर्ष 2007 का राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। श्री यशवंत भावे, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं महानिदेशक, भामाब्यूरो ने समारोह की शोभा बढ़ाई। श्री यशवंत भावे ने पुरस्कार एवं प्रशस्ति प्रमाण पत्र वितरित किए। अंततः पाँच पुरस्कार एवं सोलह प्रशस्ति प्रमाण पत्र एवं प्लैग तथा वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए गए।

इस अवसर पर 'भामाब्यूरो की उत्कृषटता के लिए तलाश' शीर्षक अंतःकॉलेज क्विज़ मुकाबला भी आयोजित किया गया। प्रतियोगियों में आसपास एवं एनसीआर क्षेत्र के कॉलेज़ों से छात्र थे।

February 2009 at Mumbai. The seminar was aimed at the switchgear industry in Mumbai, which has a large concentration of switchgear industry. In the recent past, several switchgear standards have been revised by Low Voltage Switchgear and Controlgear Sectional Committee, ET 07. The seminar was organized with the objective of apprising the industry about the changes that have taken place in the revised standards in order to facilitate their understanding of the new standards. The seminar was inaugurated by Shri S. Dasgupta, DDGW. Shri G. Sengupta, Additional Director, CPRI and Chairman of Low Voltage Switchgear and Controlgear Sectional Committee, ET 07 gave the programme objectives and chaired the technical sessions. Presentations were made by experts highlighting the changes in the revised switchgear standards. Information on WTO/TBT was also disseminated. The seminar was useful in bringing out the differences in revised version of different switchgear standards. The participants clarified a number of doubts from the experts present and Industry feedback was positive.

16. Seminar on Electric Motors

A seminar on electric motors was organized on 24 October 2008 at Coimbatore. The seminar was attended by about 150 participants. The objective of the seminar was to disseminate information on BIS activities for rotating electrical machines to apprise various manufacturers, stake holders and users of electrical motors on various issues related.

Rajiv Gandhi National Quality Awards 2007

The Award Presentation Ceremony for Rajiv Gandhi National Quality Awards for the year 2007 was organized on 10 April 2008 in Ashok Hotel, New Delhi. Shri Yashwant Bhave, Secretary, Department of Consumer Affairs, Government of India and Smt. Alka Sirohi, Additional Secretary, Department of Consumer Affairs, Government of India and DG, BIS graced the function. Shri Yashwant Bhave presented the Awards and Commendation Certificates. In all, five awards and sixteen commendation certificates were presented along with plaques and financial incentives.

An Inter-College Quiz Contest titled 'BIS Quest for Excellence' was also organized on this occasion. The contestants were from the colleges in and around the NCR region.

मानक संवर्धन

राज्य स्तरीय समितियाँ और निविदा संबंधी पूछताछ

भारतीय मानकों के कार्यान्वयन और संवर्द्धन कार्य को राज्य स्तरीय समितियों के माध्यम से सरकारी विभागों और खरीद एजेंसियों के साथ निकट संबंध बनाकर और परस्पर इंटररक्शन द्वारा बढ़ाने हेतु प्रयास किए गएँ। तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदाओं की नियमित जॉच करके मानकों के संवर्द्धन और कार्यान्वयन के संभावित अवसरों की तलाश की जाती है । समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदाओं के आधार पर अनेकों संगठनों से संपर्क किया गया और उनसे आईएसआई मुहर लगे उत्पादों की खरीद करने या खरीद में आईएस विशिष्टि का संदर्भ देने का अनुरोध किया गया ।

विश्व मानक दिवस

विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है । इस समारोह के माध्यम से उन हजारों विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयासों को भावांजली अर्पित की जाती है, जिन्होंने स्वेच्छा से तकनीकी समझौतों का विकास किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित हुए हैं । समारोहों के हिस्से के रूप में, आईएसओ, आईईसी और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (आईटीयू) द्वारा घोषित एक ही विषय पर पूरे विश्व भर में तकनीकी संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं । वर्ष 2008-09 के लिए 'संवेदी एवं सुदृढ़ इमारतें' विषय के वर्तमान परिदृश्य में बहुत सार्थक है । भारत में भा मा ब्यूरो के मुख्यालय, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों ने पूरे देशभर में तकनीकी संगोष्ठियाँ आयोजित कीं । इनमें बड़ी संख्या में वक्ताओं ने आम उपभोक्ता के हितों से जुड़े विभिन्न तकनीकी विषयों पर व्याख्यान दिए।

सूचना एवं लघु क्षेत्र उद्योग सुविधा कक्ष

लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमियों के लिए मानक संवर्द्धन एवं उपभोक्ता मामले विभाग सूचना एवं लघु क्षेत्र उद्योग सुविधा कक्ष का प्रचालन कर रहा है । इस कक्ष द्वारा भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों और तकनीकी पूछताछ के बारे में जानकारी दी जाती है ।

प्रचार

भारतीय मानक ब्यूरो ने उपभोक्ता के बीच ब्यूरो की गतिविधियों के प्रति जागरूकता फैलाने एवं गुणता के प्रति दृढ़ चेतना पैदा करने की दृष्टि से विभिन्न प्रचार माध्यमों से विभिन्न प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ शुरू की।

सितम्बर 2008 से फरवरी 2009 के दौरान स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग संबंधी अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन अभियान चलाया। फरवरी 2009 एवं मार्च 2009 में आईएसआई मुहर पर भारतवर्ष में विज्ञापन जारी किए गए। भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों संबंधी विज्ञापन विभिन्न समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं में जारी किए गए। राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार एवं विश्व मानव दिवस के अवसर पर विज्ञापन अभियान भारत वर्ष में चलाए गए जिनमें इनकी गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया।

डीएवीपी के माध्यम से आईएसआई एवं हॉलमार्किंग पर 7 नए रेडियो स्पॉट बनाए गए। फरवरी-मार्च 2009 में, इन स्पॉटों को ऑल इंडिया रेडियो के प्रसार भारतीय ब्रॉड कास्टिंग कार्पोरेशन (40 विविध भारती स्टेशनों एवं 22 एफएम स्टेशनों) के माध्यम से प्रसारित किए गए।

STANDARDS PROMOTION

State Level Committees and Tender Enquiries

Efforts are made to have close collaboration and interaction with Government Departments and purchase agencies through State Level Committees to implement and promote Indian Standards. Further, scrutiny of tenders in newspapers is regularly done to find out possible opportunity for standards promotion and implementation. A number of organizations have been contacted based on the tender published in newspapers and requested them to opt for ISI marked products or to refer Indian Standard Specification.

World Standards Day

Every year 14th October is celebrated as World Standards Day. It is a means of paying tribute to collaborative efforts of thousands of experts world wide who develop the voluntary technical agreements that are published as International or National Standards. As part of celebrations, technical seminars are held throughout the world on a central theme declared by ISO, IEC and International Telecommunication Union (ITU) jointly. The theme "Intelligent and sustainable buildings" for 2008-09 was very much live in the present scenario of infrastructure development. In India, BIS has organized technical seminars all over the country through ROs/BOs and at HQs where a large number of delegates deliberated over various technical issues concerning common consumer interests.

Information and SSI Facilitation Cell

SP&CAD is operating an Information and SSI Facilitation Cell for the benefit of small and medium scale entrepreneurs. Information on various activities of BIS and technical queries are provided.

Publicity

To spread awareness of the activities of Bureau of Indian Standards among common consumer and create a strong consciousness for quality, BIS undertook various publicity activities through various media.

An advertisement campaign on All-India basis on Hallmarking of Gold Jewellery was released during September 2008 to February 2009. An advertisement campaign on ISI Mark on all-India basis was released during February 2009 and March 2009. Advertisements on various activities of BIS were also released in different newspapers/magazines. Advertisements were also released on all India basis on the occasion of Rajiv Gandhi National Quality Awards presentation and World Standards Day wherein activities of BIS were highlighted

7 New Radio Spots on ISI Mark and Hallmarking were got produced through DAVP. These Radio Spots were broadcast through Prasar Bharati Broadcasting Corporation of India on All India Radio (40 Vividh Bharati Stations and 22 FM Stations) during February-March 2009.

राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार वितरण समारोह एवं विश्व मानक दिवस की कवरेज़ कराई गई एवं इसे जी बिजनेस, ईटीवी, सीएनबीसी आवाज़ चैनल, डीडी (न्यूज़), डीडी (नेशनल), एएनआई, एशिया नेट, इंडिया टीवी, आजतक, सहारा, जैन टीवी, इंडिया विज़न, रियल एस्टेट टेलीविजन, बीवीसी, एआईआर फोटो डिवीजन इत्यादि ने प्रसारित किया। दिनांक 23 अक्टूबर 2008 को ऑल इंडिया रेडियो पर विश्व मानक दिवस संबंधी समाचार पढ़ा गया।

अखिल भारतीय स्तर पर आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्किंग संबंधी ऑउट डोर प्रचार अभियान- एनीमेशन डिस्प्ले, बस के पीछे पैनलों पर, होर्डिंग्ज एवं सार्वजनिक सुविधाओं के माध्यम से चलाया गया।

भा मा ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर लगाये गये लेड डिस्प्ले बोर्ड पर उपभोक्ताओं में जागरूकता के लिए आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्किंग संबंधी विभिन्न संदेश प्रदर्शित कराये गये ।

दिनांक 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2008 के बीच नई दिल्ली में आयोजित एमटीएनएल परफेक्ट हेल्थ मेला में ब्यूरो ने भाग लिया। भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों को इसमें प्रदर्शित किया गया। इन प्रदर्शनियों में किसानों पर लघु फिल्में, डेयरी उपकरणों, सामान्य उपभोक्ताओं एवं हॉलमार्किंग पर फिल्में दिखाई गई। भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों संबंधी ब्रोशर उपभोक्ता जागरूकता के मदेनजर वितरित किए गए। विभिन्न विषयों के सीडी रोम के माध्यम से मानकों को भी बेचा गया।

वर्ष में इलैक्ट्रोनिक्स एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से *'जागो ग्राहक जागो' प्रचार अभियान* - आईएसआई मुहर एवं स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग संबंधी बड़े पैमाने पर चलाया गया।

मानकों और अन्य प्रकाशनों की बिक्री

ब्यूरो ने मुख्यालय, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के 17 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से मानकों और अन्य प्रकाशनों की बिक्री की । ब्यूरो ने 202 पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से भी बिक्री की । वर्ष 2008-09 में अखिल भारत में पिछले वर्ष रू 50.69 मिलियन की बिक्री की तुलना में सं. 45.41 मिलियन रहे। विदेशी मानकों की बिक्री से प्राप्त कमीशन पिछले वर्ष के रूपये 8.10 मिलियन की तुलना में इस वर्ष रूपये 15.1 मिलियन अर्जित किया ।

सीडी रोम पर भारतीय मानक उपलब्ध हैं जो लीज़ के लिए हर विभाग परिषद् के अनुसार सैट के रूप में अथवा संपूर्ण सैट के रूप में उपलब्ध हैं । सीडीरोम पर उपलब्ध भारतीय मानकों की लीजिंग से पिछले वर्ष के रूपये 25.15 मिलियन की तुलना में इस वर्ष रूपये 28.98 मिलियन अधिक रॉयल्टी अर्जित की ।

हिंदी गतिविधियाँ

मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चारों बैठकें यथासमय आयोजित करवाई गईं । भा मा ब्यूरो के विभिन्न कार्यालयों में 6 हिंदी कार्यशालाएँ गाजियाबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर, जयपुर, साहिबाबाद एवं लखनऊ में आयोजित की गईं । इसके अतिरिक्त मुख्यालय के 4 अनुभागों का निरीक्षण किया गया । संसदीय राजभाषा समिति ने भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यालयों यथा मुम्बई, गोहाटी, बैंगलोर एवं कोयम्बटूर शाखा कार्यालयों का निरीक्षण किया। वर्ष के दौरान, मुख्यालय के नोडल अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दो कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिसमें करीब 70 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया । उपभोक्ता मामले मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 17 सितम्बर 2008 को गोवा एवं

Coverage of Rajiv Gandhi National Quality Awards presentation function and World Standards Day were organized and the same were telecast on Zee Business, ETV, CNBC Awaaz Channel, DD (News), DD National, ANI, Asia Net, India TV, Aaj Tak, Sahara, Jain TV, India Vision, Real Estate Television, BBC, AIR Photo Division, etc. The news on World Standards Day was broadcast on All India Radio on 23 October 2008.

Outdoor Publicity campaign was also undertaken on ISI Mark and Hallmarking of Gold Jewellery on all-India basis during this period through Animation Display, Bus Back Panels, Hoardings and Public Utilities.

LED Display Board, installed at the entrance of BIS flashed the various messages on ISI Mark and Hallmarking of Gold Jewellery for consumer awareness.

BIS participated in MTNL Perfect Health Mela from 17 October to 26 October 2008 at New Delhi. Blow-ups on various activities of BIS were displayed. Short Films on Farmers, Dairy Equipment, Common Consumers and Hallmarking of Gold Jewellery were screened during these exhibitions. Brochures on various activities of BIS were also distributed to visitors for consumer awareness. Standards through CD ROM were also sold on various subjects.

The massive publicity campaign on ISI Mark and Hallmarking of Gold Jewellery was also undertaken through *"Jago Grahak Jago"* Publicity Campaign through electronic as well as print media during the year.

Sale of Standards and Other Publications

The Bureau is selling Indian Standards and Special Publications through 17 sales outlets at Headquarter, Regional and Branch Offices. Sales are also done through registered booksellers numbering 202. The all India sales during 2008-09 were Rs. 45.41 million as against Rs. 50.69 million last year. The commission earned on sale of overseas standards was Rs. 15.1 million as against Rs.8.10 million last year.

The Indian Standards are also available on CD-ROM, as a complete set or Division-Council-wise sets for leasing. The royalty received on leasing of Indian Standards on CD-ROM was Rs. 28.98 million up from the last year figure of Rs. 25.15 million last year.

Hindi Activities

All the four meetings of Official Language implementation committee of HQ were conducted on time. Six workshops on Hindi were organized at Ghaziabad, Kolkata, Bhubneshwar, Jaipur, Sahibabad and Lucknow offices of BIS. Four Departments located at BIS HQ were also inspected during the period. The Parliamentary Committee on Official Language inspected the four BIS offices at Mumbai, Guwahati, Bangalore and Coimbatore. During the year two workshops for Nodal Officers/Staff of Head Quarters organized successfully in which seventy officers/employees participated. BIS participated in Hindi Advisory Committee held at Goa on

19 जनवरी 2009 को ऊँटी में आयोजित बैठक में भाग लिया और उनके निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की। वर्ष के दौरान, हिंदी पुस्तकों की खरीद हेतु हिंदी पुस्तक चयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया और हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया। यथोचित समय में मानकदूत पत्रिका के चारों संस्करणों की पांडुलिपियाँ तैयार की गई एवं मानकदूत एडीटिंग एडवाइजरी कमेटी की तीनों बैठकें आयोजित की। लगभग 360 तकनीकी मानक शीर्षकों का हिंदी अनुवाद किया गया। 30 मानकों का हिंदी में अनुवाद किया गया। सामान्य अनुवाद से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट विश्व मानक दिवस, आंतरिक दूरभाष निर्देशिका, हॉलमार्किंग एमओयू, राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार, प्रवर्तन गतिविधियों, प्रेस विज्ञप्तियों आदि के लगभग 322 पृष्ठों का अनुवाद किया गया।

विदेशी भाषा एवं प्रकाशन

यह विभाग दो मासिक पत्रिकाओं स्टैण्डर्डस इंडिया (पूर्व में 1949 से प्रकाशित आईएसआई बुलेटिन) तथा 1958 से प्रकाशित स्टैण्डर्डस मंथली एडीशन के प्रकाशन के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र में मानकीकरण आंदोलन के प्रचार-प्रसार तथा संवर्द्धन का कार्य करता है। स्टैण्डर्डस इंडिया पत्रिका देश तथा विदेश में मानकीकरण हेतु किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी तथा समीक्षाएँ प्रस्तुत करता है। इस पत्रिका में मानकीकरण तथा संबंधित क्षेत्र में हो रही नवीनतम प्रगति के विषय में विशेषज्ञों द्वारा लिखे लेखों आदि के माध्यम से पाठकों के सामने अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करता है। स्टैण्डर्डस मंथली एडीशन एक लघु प्रकाशन होने के बावजूद हर माह, उस माह के दौरान वर्तमान मानकों से संबंधित सभी संशोधनों, परिवर्तनों तथा नए और मसौदा चरण तक विकसित मानकों के विषय में पाठकों को जानकारी देता है और विदेशों से प्राप्त ऐसी ही सूचनाएँ इसमें प्रकाशित की जाती हैं।

यह विभाग प्रतिवर्ष बीआईएस कैटलॉग नामक एक कैटलॉग प्रकाशित करता है। इस कैटलॉग की सामग्री को कई शीर्षकों में विभाजित किया जाता है : (क) 31 दिसम्बर तक अद्यतन किए भा मा ब्यूरो द्वारा प्रकाशित मानक (ख) भारतीय मानकों के रूप में ग्रहण किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानक, (ग) हिंदी में (अनूदित) भारतीय मानक, (घ) विशेष प्रकाशन, संदर्भ और गणना सहायक सामग्री, और (ड.) सभी प्रकाशनों संबंधी विषय-सूची।

भा मा ब्यूरो के पास इन सभी प्रकाशनों का प्रतिलिप्याधिकार होता है। भारतीय मानकों के सार संक्षेप को उद्धृत करने के अनुरोध इस विभाग को भेजे जाते हैं। यह विभाग आईएसओ / जीईएन 19 : 1999 'गाइडलाइंस फॉर ग्रांटिंग कॉपीराइट एक्सप्लायटेशन राइटस टू थर्ड पार्टीज फॉर आईएसओ स्टैण्डर्डस इन बुकस' में निर्दिष्ट प्रक्रिया पर आधारित गणनाओं तथा तकनीकी सत्यापन के बाद आवेदक से प्रतिलिप्याधिकार प्रभार का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात इसकी अनुमति देता है।

यह विभाग विभिन्न विदेशी भाषाओं के तकनीकी प्रलेखों, मानकों और अन्य सामग्री का विभिन्न भारतीय (हिंदी के अलावा) भाषाओं एवं विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से स्वदेशी भाषाओं में अनुवाद की सेवाएँ उपलब्ध कराता है। अनुवाद हेतु विभिन्न तकनीकी समितियों और उद्योगों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। यह विभाग जर्मन और फ्रेंच भाषा बोलने वाले देशों के साथ इंटरएक्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

17th September 2008 and on 19th January 2009 at Ootecammend respectively and actions have been taken on decisions took in the meetings. A meeting of Hindi Books Selection Committee was also held wherein the planned targets for purchase of Hindi Books was met. Manuscripts for all four editions of 'Manakdoot' were prepared in due time and the three meetings of Manakdoot Editing Advisory Committee were also conducted. Titles of about 360 standards titles were translated during the period. 30 standards were translated in Hindi. About 322 pages of work related to general translation such as Annual Report, World Standards Day, Internal Telephone Directory, MoU, Hallmarking, Rajiv Gandhi National Quality Awards, Enforcement activities, Press Release etc were done.

Foreign Languages and Publications

The department handles the projection and promotion of the standardization movement in scientific, technical, industrial and business circles through two monthly journals – Standards India, the erstwhile ISI Bulletin which dates back to 1949, and Standards Monthly Additions, which was started in 1958. Standards India presents a stimulating commentary and review of the standardization effort at home and abroad. Highlighting as it does the very latest progress in the field, spiced with thought provoking critical comments; it has established itself in the field as a magazine of repute. The Standards Monthly Additions is a small but sleek publication recording all amendments, alterations and information regarding standards, new, existing or in the draft stage issued at home or received from abroad during the month.

A catalogue containing titles of (a) Indian Standards published by BIS updated up to the 31st December, (b) International Standards adopted as Indian Standards, (c) Indian Standards in Hindi (translation), (d) Special publications, reference and calculation aids, and (e) Index corresponding to all publications listed in the catalogue is published annually by the department.

BIS has the copyright of all its publications and requests for reproducing extracts from Indian Standards are forwarded to the department. After technical verification and calculations based on the procedures adopted from ISO/GEN 19 : 1999 'Guidelines for Granting Copyright Exploitation Rights to Third Parties for ISO Standards in Books', the department grants permission to the applicant on payment of the copyright charges.

Translation services are provided by the department for translation of technical documents, standards and other material from various Indian (other than Hindi) and foreign languages into English and vice-versa. Regular requests are received from various technical committees as well as from the industry. The department also facilitates interaction with countries where German or French language is spoken.

प्रमाणन

उत्पाद प्रमाणन

भा मा ब्यूरो एक उत्पाद प्रमाणन योजना का प्रचालन करता है, जिसका नियंत्रण *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम*, 1986 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और उपनियमों द्वारा किया जाता है । उत्पाद पर मानक मुहर (आईएसआई मुहर के नाम से लोकप्रिय) की उपस्थिति संबद्ध भारतीय मानक के साथ इसकी अनुरूपता प्रदर्शित करती है । किसी विनिर्माता को लाइसेंस प्रदान करने से पहले भा मा ब्यूरो, विनिर्माता के पास आवश्यक अवसंरचना तथा क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप बने उत्पाद की सतत रूप से जाँच करता है । उत्पादन स्थल और बाज़ार से नमूने लिए जाते हैं तथा संबद्ध भारतीय मानक के प्रति उनकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए स्वतन्त्र प्रयोगशाला में उनकी जाँच कराई जाती है ।

प्रमाणन योजना मूलतः स्वैच्छिक किस्म की है, परंतु उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली तथा आम उपयोग की बहुत सी वस्तुओं को भा मा ब्यूरो अधिनियम और सरकार द्वारा विभिन्न वैधानिक उपायों जैसे *खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, ईसी अधिनियम, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नवजात शिशुओं हेतु दूध विकल्प सामग्री, दूध पिलाने की बोतल और नवजात शिशु हेतु खाद्य सामग्री अधिनियम* आदि के माध्यम से चीजों को अनिवार्य बनाया गया है। कुछ वस्तुओं को अनिवार्य प्रमाणन योजना के अंतर्गत लाया गया है, यथा एलपीजी सिलेण्डर, दूध पाउडर, संघनित दूध, नवजात शिशुओं के लिए धान्य आधारित खाद्य सामग्री, डाक्टरी थर्मामीटर, पैकेजबंद पेयजल और प्राकृतिक खनिज जल, बिजली की इस्तरी, निमज्ज्य वाटर हीटर, केबल, बल्ब, सर्किट ब्रेकर, ऊर्जा मीटर, शुष्क बैटरियॉ, इस्पात के पाइप, तेलदाब स्टोव, एक्सरे उपकरण, दूध पिलाने वाली प्लास्टिक की बोतल, डीजल इंजन, सीमेंट, इस्पात, और इस्पात के उत्पाद आदि ।

वर्ष 2008-09 के दौरान, भा मा ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन योजना में काफी वृद्धि हुई । इस योजना के अंतर्गत चालू वर्ष में 2595 लाइसेंस (हॉलमार्किंग को छोड़कर) स्वीकृत किए गए (देखें आकृति 2) । इन स्वीकृत लाइसेंसों में वे 13 उत्पाद शामिल हैं जिन्हें पहली बार प्रमाणन योजना के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया, यथा प्रीमीफॉस मिथाईल 50 प्रतिशत ईसी, रेसपारेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइज – हॉफ मास्क, एसडीडब्ल्यूएचपी एवं ईडीडब्ल्यूएचपी की हैंडपम्पों के सब-एसेम्बलीस, रेसपारेटरी प्रोटक्टिव डिवाइज, फुलफेस मास्क, डिस्पोजऐबल ईयर प्रोटेक्टरः बूटाक्लोर 50 प्रतिशत ग्रेनुअल, लेडीज बाइसिकल फ्रेम, मल्टीपल स्लिप ज्वाईंट प्लाइर, सिंगल यूज रबर एग्जामिनेशन ग्लव्ज : ग्रेन ओरिटेंड इलैक्ट्रिकल स्टील शीटस् एवं स्ट्रीप्स्, पोलीइथाइलीन रस्से, नॉमिनल

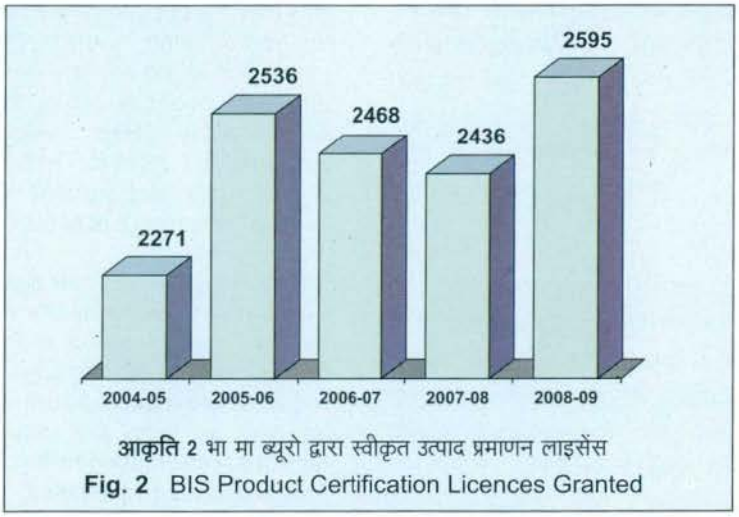

आकृति 2 भा मा ब्यूरो द्वारा स्वीकृत उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस

Fig. 2 BIS Product Certification Licences Granted

CERTIFICATION

PRODUCT CERTIFICATION

BIS operates a Product Certification Scheme, which is governed by the *Bureau of Indian Standards Act*, 1986 and Rules and Regulations framed thereunder. Presence of Standard Mark (Popularly known as ISI Mark) on product indicates conformity to the relevant Indian Standard. Before granting licence to any manufacturer, BIS ascertains the availability of required infrastructure and capability of the manufacturer to produce and test the product conforming to the relevant Indian Standard on a continuous basis. Samples are also drawn from the production line as well as from market and got tested in independent laboratories to ensure their conformance to the relevant Indian Standard.

The Certification Scheme is basically voluntary in nature but for a number of items primarily affecting health and safety of the consumer, it has been made mandatory by the Government through various statutory measures such as *Prevention of Food Adulteration Act; EC Act; Indian Explosive Act; Atomic Energy Regulation Board; Environment Protection Act; The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Food Act; besides BIS Act.* Some of the items brought under mandatory certification are LPG cylinders; Milk powder; Condensed milk; Cereal food for infant; Clinical thermometers; Packaged drinking water and natural mineral water; Electrical iron; Immersion water heater; Cables; Switches; Bulbs; Circuit breakers; Energy meters, Dry batteries; Steel tubes; Oil pressure stoves; X-ray equipment; Plastic feeding bottles, Cement; Steel and Steel products etc.

Considerable progress was made in BIS product certification scheme during 2008-09. During the year 2595 new licences were granted (*see* Fig. 2), which include 13 products covered for the first time under the scheme. These products are Primiphos Methyl 50% EC; Respiratory Protective Device-Half Mask; Hand Pump Sub-assemblies for SDWHP and EDWHP; Respiratory Protective Device, Full Face Mask; Disposable Ear Protector; Butachlor 50% Granules; Ladies Bicycle Frames; Multiple Slip Joint Plier; Single use rubber examination gloves; Grain Oriented Electrical Steel Sheets and Strips; Polyethylene Ropes, Nominal dia 4 mm to 36 mm; Polish,

डाया 4 मिमी से 36 मिमी, केनवस फुटवियर से पॉलिश द्रव (सफेद), केवल वाष्प प्रैशर स्टोव भाप से परिचालित सुवाह्य एलपीजी कुकिंग सहायकांग।

भा मा ब्यूरो प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत लाए गए भारतीय मानकों की कुल संख्या 1023 है।

31 मार्च 2009 को प्रचालित लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 20972 हो गई (देखें आकृति 3)।

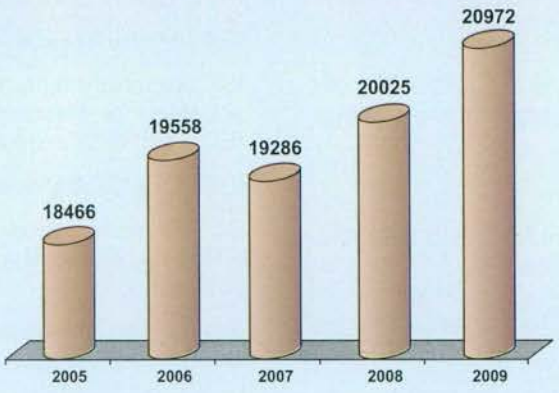

आकृति 3 लागू लाइसेंसों की संख्या (31 मार्च के अनुसार)

Fig. 3 Number of Operative Licences (as on 31 March)

Liquid (White) for Canvas Footwear; Portable LPG cooking appliances operating at vapour pressure stove only.

The total numbers of Indian Standards which have been covered under BIS Certification Marks Scheme are 1023.

Total number of operative licences as on 31 March 2009 rose to 20972 (*see* Fig. 3).

उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत प्रचालन लाइसेंस / आवेदनों का मूल्यांकन

लाइसेंसों के प्रचालन को मॉनीटर करने के लिए वर्ष के दौरान कुल 29058 निरीक्षण किए गए और स्वतंत्र परीक्षण के लिए 27557 नमूने लिए गए। श्रमशक्ति की कमी के कारण भा.मा.ब्यूरो ने बाहरी एजेंसियों को निगरानी निरीक्षण को आउटसोर्स किया है। इसके लिए एजेंट नियुक्त किए गए हैं और उनके साथ करार किया गया है। इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इससे लाइसेंसधारकों को बेहतर सेवाएँ दी जा सकती हैं और उपभोक्ता हितों की रक्षा की जा सकती है।

प्रमाणन कार्य की समीक्षा

भा.मा.ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना के प्रचालन का फीडबैक लेने के उद्देश्य से प्रचालन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाइसेंधारकों से नियमित आधार पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। 2008 - 09 में लाइसेंस धारकों के साथ 20 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई जिसमें पीवीसी पाइप, घरेलू प्रेशर कुकर, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, सांधित्र, वस्त्रादि उत्पाद, सूती और सूती वस्त्र और धागे, घरेलू बिजली के फूड मिक्सर, छत के पंखे और रेगुलेटर, ढलवां लोहे के वाल्व, जूट के बोरे, ऑटो एलपीजी कंटेनर, इस्पात और इस्पात के उत्पाद जैसे क्षेत्र शामिल थे।

आयातित उत्पादों का प्रमाणन

भा.मा.ब्यूरो आयातित उत्पादों के प्रमाणन के लिए 1999 से दो योजनाएँ चला रहा है जिसमें से एक विदेशी विनिर्माताओं के लिए है और दूसरी भारतीय आयातकों के लिए है। इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत विदेशी विनिर्माता अपने उत्पाद पर मुहरांकन के लिए भा.मा.ब्यूरो का प्रमाणन ले सकते हैं तथा भारतीय आयातक भी देश में आयात किए जाने वाले उत्पाद पर भा मा ब्यूरो मानक मुहर के लिए भा.मा.ब्यूरो प्रमाणन ले सकते हैं। वर्ष के दौरान पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बंग्लादेश, थाईलैंड और स्पेन जैसे देशों में सीमेंट, केबल एवं कंडक्टर, स्विचगियर, टायर, प्लास्टिक फीडिंग बोतलों जैसे उत्पादों के लिए 27 लाइसेंस प्रदान किए गए जिसके साथ विदेशी विनिर्माता योजना के अंतर्गत प्रचालित कुल लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 122 हो गईं। एक लाइसेंस भारतीय आयातक योजना के अंतर्गत भी प्रदान किया गया।

Assessment of Operative Licences/Applicants under Product Certification Scheme

In order to monitor the operation of licences, a total number of 29058 inspection visits were organized during the year and 27557 samples were drawn for independent testing. Due to constraint of man power, BIS has outsourced the surveillance inspections to the outside agencies. Agents have been appointed and agreement has been signed with them. Training has been imparted and detailed guidelines have been issued. By this, it is expected to provide better services to the licensees and protect consumer's interest.

Review of Certification Operation

In order to acquire feedback on the operation of the BIS Certification Marks Scheme, review meetings with the licensees representing significant fields of operations are organized on a regular basis. In 2008-09, 20 review meetings with licensees were organized covering the areas of PVC Pipe, Domestic Pressure Cooker, Wood and Wood Products, Capacitors, Textile Products, Cotton Vest and Cotton Yarn, Domestic Electrical Food Mixer, Cable, Ceiling Fans and Regulators, Cast Iron Valves, Jute Bag, Auto LPG Containers, Steel and Steel Products.

Certification of Imported Products

BIS is operating two schemes for certification of imported goods, one for foreign manufacturers and the other for Indian importers since the year 1999. Under the provisions of this scheme, foreign manufacturers can seek certification from BIS for marking their product with BIS Standard Mark and Indian importers can also seek BIS certification for applying BIS Standard Mark on the product being imported into the country. During the year 27 licences were granted for products such as Cement, Cables and conductors, Switchgears, Tyres, Plastic Feeding Bottles in countries like, Pakistan, China, Nepal, Bangladesh, Thailand and Spain taking the number of total licences in operation under Foreign Manufacturers Scheme to 122. One licence was also granted under the Indian Importer Scheme.

अंतर्राष्ट्रीय योजनाएँ

आईईसी की अनुरूपता मूल्यांकन योनजाएं

आईईसी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए आईईसीक्यू और आईइसीईएक्स योजनाओं के नाम से 3 विश्वव्यापी अनुरूपता मूल्यांकन योजनाएँ चलाती है।

i) आईईसीईई-सीबी योजना

भा.मा.ब्यूरो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए एनसीबी के तौर पर आईईसीईई - सीबी योजना का संदस्य निकाय है।

ii) इलेक्ट्रॉनिक घटकों हेतु आईईसी गुणता मूल्यांकन पद्धति (आईईसीक्यू)

वर्तमान में भारत में संचालित इस योजना में निम्नलिखित संगठन हैं :

क) **भा.मा.ब्यूरो** – राष्ट्रीय अधिकृत संस्थान (एनएआई) के तौर पर कार्यरत है जिस पर देश में तंत्र को व्यवस्थित करने का सम्पूर्ण दायित्व है और जो मानक निर्धारण के लिए राष्ट्रीय मानक संगठन (एनएसओ) है।

ख) **एसटीक्यूसी निदेशालय** – राष्ट्रीय निरीक्षणालय (एनएसआई) के तौर पर कार्यरत है जिस पर मूल्यांकन एवं निगरानी का दायित्व है।

ग) **एसटीक्यूसी की एनपीएल एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ** – राष्ट्रीय अंशशोधन सेवा (एनसीएस) के तौर पर कार्यरत है जिसका कार्य तंत्र को अंशशोधन की सहायता प्रदान करना है।

इस पद्धति के अंतर्गत एनएसआई द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर विनिर्माताओं, वितरकों तथा प्रयोगशालाओं को एनएआई स्वीकृति देता है। स्वीकृति देने के बाद एनएसआई इन इकाइयों का निगरानी दौरा करता है। इसके सम्पूर्ण प्रचालन तंत्र को इंडियन नेशनल स्टेटमेन्ट ऑफ सरविलेंस अरेंजमेन्टस नियंत्रित करता है जो कि इससे संबद्ध प्रत्येक संगठन के कार्यों और भारत में अनुसरण की जाने वाली अनुमोदन की पद्धति का विवरण भी देता है।

iii) विस्फोटक परिवेश हेतु विद्युत उपस्करों के मानकों के प्रमाणन के लिए आईइसीइएक्स योजना (आईइसीइएक्स)

इस योजना के अंतर्गत भा.मा.ब्यूरो को राष्ट्रीय सदस्य संगठन स्वीकार किया गया है।

स्वर्ण / चाँदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग योजना

हॉलमार्किंग योजना की प्रगति

हॉलमार्किंग की सरलीकृत एवं युक्तिसंगत योजना के लागू होने से इस योजना ने अप्रैल 2008 से मार्च 2009 की अवधि में अच्छी प्रगति की है। स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग योजना के लाइसेसों की संख्या 31 मार्च 2008 तक 5403 थी जो 31 मार्च 2009 तक बढकर 6588 हो गईं। अवधि के दौरान प्रति माह 98 लाइसेंसो की औसत दर से लाइसेंस प्रदान किए गए। इस अवधि में स्वर्ण आभूषणों / शिल्पकारी की 199.33 लाख वस्तुओं को हॉलमार्क दिया गया। हॉलमार्क दिए जाने की औसत मात्रा 171.66 लाख (31.3.2008 तक) से बढकर 199.33 लाख (31.3.2009 तक) हो गई है। हॉलमार्क लगी वस्तुओं की संख्या में 27.67 लाख की वृद्धि हुई इस अवधि में भा.मा.ब्यूरो के मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों की संख्या 91 से बढ़ (31.3.2008 तक) कर 31 मार्च 2009 तक 137 हो गई।

INTERNATIONAL SCHEMES

Conformity Assessment Schemes of IEC

IEC operates mainly 3 world wide conformity assessment schemes for electrical and electronic products namely IECQ and IECEx Schemes.

i) IECEE-CB Scheme

BIS is a member body under the IECEE-CB scheme with STQC as NCB for Electronic and Information Technology products.

ii) IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ)

Under this scheme, presently operated in India, the following organizations are involved:

a) **BIS** – Acts as National Authorized Institution (NAI) having overall responsibility of managing the system in the country and National Standards Organization (NSO) for formulation of standards.

b) **STQC Directorate** – Acts as National Supervising Inspectorate (NSI) having responsibility of appraisal and surveillance.

c) **NPL and Regional Laboratories of STQC** – Act to provide National Calibration Services (NCS) which provides calibration support to the system.

Under this system, approvals are granted by NAI to manufacturers, distributors and laboratories on the basis of appraisal done by NSI. After the approval is granted, surveillance visits are also paid to these units by NSI. Overall system of operation is governed by Indian National Statement of Surveillance Arrangements which provides details of functions of each organization involved and also the system of the approval followed in India.

iii) IECEx Scheme for Certification to Standards for Electrical Equipments for Explosive Atmospheres (IECEx)

Under this scheme, BIS has been accepted as a National Member Body.

HALLMARKING SCHEME OF GOLD/SILVER JEWELLERY

Progress of Hallmarking Scheme

With the implementation of the simplified and rationalized scheme for Hallmarking, the Scheme has significantly grown during the period April 2008 to March 2009. The number of licences for Hallmarking of gold jewellery has grown from 5403 on 31 March 2008 to 6588 as on 31 March 2009. An average of 98 licences per month were granted during this period. 199.33 lakh articles of gold jewellery/artefacts have been hallmarked during this period. Average quantity hallmarked has grown to 199.33 lakhs (as on 31.3.09) from 171.66 lakhs (as on 31.3.08), an increase of 27.67 lakhs hallmarked articles. During this period, the number of BIS recognized assaying and hallmarking centres has increased from 91 (as on 31.3. 2008) to 137 as on 31 March 2009.

रजत आभूषणों / शिल्पकारी के लिए लाइसेंसों की संख्या 31 मार्च 2008 को 405 की तुलना में 31 मार्च 2009 को बढ़कर 463 हो गई ।

केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण एसेयिंग / आभूषणों के हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना की योजना का कार्यान्वयन

23 अक्टूबर 2007 को सचिव (उपभोक्ता मामले) की अध्यक्षता में आयोजित स्थायी वित्त समिति की बैठक में इस योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रू 10.50 करोड़ के आउटले से चालू रखने का अनुमोदन किया गया।

केन्द्र सरकार द्वारा ढांचागत निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत इस अवधि में भा.मा.ब्यूरो ने विशाखापटनम, जयपुर, मेरठ, लुधियाना, मैसूर, कोट्टायम, जबलपुर, विजयवाड़ा, मदुरै, सेलम (दो), ठाणे, चंडीगढ़, कोल्लम, भुवनेश्वर, कानपुर, हुबली, पानीपत, भोपाल और अंजेर में एक-एक केन्द्रों सहित 20 केन्द्रों को मान्यता प्रदान की।

शिल्पकारों को प्रशिक्षण

इस अवधि के दौरान शिल्पकारों को हॉलमार्किंग की अवधारणा से अवगत कराने, सही टॉका लगाने की विधि और आभूषण विनिर्माण में उत्तम उत्पादन रीतियों के प्रयोग के विषय में जानकारी देने के लिए अहमदाबाद, जयपुर, बड़ौदा, मदुरै, हैदराबाद, मुम्बई और तिरूवनंतपुरम में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

हॉलमार्किंग का प्रचार

देश में स्वर्ण आभूषणों के व्यापार में प्रभावी उपभोक्ता सुरक्षा के लिए हॉलमार्किंग को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष के दौरान देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों द्वारा 37 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उपभोक्ताओं / स्वर्णाभूषणों के निर्माताओं में हॉलमार्किंग योजना के लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर के विभिन्न समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किए गए ।

भारतीय मानक ब्यूरो (मूल्यवान धातुओं की हॉलमार्किंग) विनियम का मसौदा

हॉलमार्किंग योजना को कानूनी आलंबन देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (मूल्यवान धातुओं की वस्तुओं की हॉलमार्किंग) विनियम का मसौदा तैयार किया गया और कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन कराने के बाद इसे सरकार (उपभोक्ता मामले मंत्रालय) के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया । मंत्रालय में की गई चर्चा के आधार पर विनियमों का संशोधित मसौदा सरकार के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया ।

मूल्यवान धातुओं के नियंत्रण तथा मुहरांकन हेतु वियेना समझौते पर शासकीय स्वीकृति

भारतीय स्वर्णाभूषणों को विश्वभर में मान्यता दिलाने के उद्देश्य से वियेना समझौते को शासकीय स्वाकृति हेतु सरकार के अनुमोदन के लिए एक केबिनेट नोट का मसौदा उपभोक्ता मंत्रालय के पास भेजा ।

एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन एस्से आफिस (एईएओ) की सदस्यता

भारतीय मानक ब्यूरो ने वियेना समझौते के निर्देशों के अनुरूप काम करने वाली एईएओ की सदस्यता हेतु भी एक प्रस्ताव बनाकर सरकार के

The number of silver licences for Hallmarking of silver jewellery / artefacts has grown from 405 on 31 March 2008 to 463 as on 31 March 2009.

Implementation of the Scheme for setting up of gold assaying/hallmarking centres in India with central assistance.

The Scheme has been approved for its continuation under the 11th Five Year Plan with an outlay of Rs. 10.50 crore at a meeting of the Standing Finance Committee held under the Chairmanship of Secretary (CA) on 23 October 2007.

Under the Government Scheme for Central Assistance for creating infrastructure, 20 Centres, one each at Viskhapatnam, Jaipur, Meerut, Ludhiana, Mysore, Kottayam, Jabalpur, Vijayawada, Madurai, Salem (2 Nos.), Thane, Chandigarh, Kollam, Bhubaneswar, Kanpur, Hubli, Panipat, Bhopal and Anjar have been recognized by BIS during this period.

Training for Artisans

During this period seven training programmes for artisans were organized at Ahmedabad, Jaipur, Baroda, Madurai, Hyderabad, Mumbai and Trivandrum to make artisans aware of the concept of hallmarking, use of correct solders and good manufacturing practices in jewellery making.

Publicity about Hallmarking

To promote hallmarking in the country for effective consumer protection in gold jewellery trade, 37 awareness programmes for jewellers were organized by various Regional and Branch offices across the country. Advertisements were released in various newspapers across the country for spreading awareness among the consumers/jewellers about the benefits of hallmarking scheme.

Draft Bureau of Indian Standards (Hallmarking of Precious Metal Articles) Regulations

To provide a legal back up to Hallmarking, Draft Bureau of Indian Standards (Hallmarking of Precious Metal Articles) Regulations were got approved by the BIS Executive Committee and sent to the Government (Ministry of Consumer Affairs). Based on further discussions held in Ministry, modified Draft Regulations have been sent again to Government for approval.

Accession to Vienna Convention on Control and Marking of Precious Metals

In order to get further recognition to the Indian Jewellery exported world over, a draft cabinet note was sent to Ministry of Consumer Affairs for seeking Government approval for accession to Vienna Convention

Membership of Association of European Assay Office (AEAO)

The proposal for BIS to become the member of the AEAO which functions on the sidelines of Vienna Convention has also been sent to Ministry of Consumer Affairs,

अनुमोदन हेतु उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा। इसकी सदस्यता से 'राउंड रोबिन टेस्टों' में भागीदारी तथा अन्य सदस्यों के साथ तकनीकी सहयोग करने में सहायता मिलेगी।

अनिवार्य हॉलमार्किंग हेतु भा मा ब्यूरो अधिनियम में संशोधन

स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत लाने के लिए *भा मा ब्यूरो अधिनियम*, 1986 में संशोधन हेतु प्रस्ताव कैबिनेट नोट के साथ उपभोक्ता मामले मंत्रालय को भेजा गया।

प्रबंध पद्धति प्रमाणन

भा मा ब्यूरो प्रबंध पद्धतियों के लिए संदर्भित मानकों के अनुसार निम्नलिखित प्रमाणन सेवाएँ देता रहा:

क) आईएस/आईएसओ 9001 : 2000 के अनुसार गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना;

ख) आईएस/आईएसओ 14001 : 2000 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना;

ग) आईएस/आईएसओ 15000 : 1998 के अनुसार खाद्यजनित हानि विश्लेषण और क्रांतिक नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) योजना;

घ) आईएस/आईएसओ 18001 : 2000 के अनुसार व्यवसाय में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएचएसएमएस) प्रमाणन योजना;

ङ) आईएस/आईएसओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति (एफएसएमएस) प्रमाणन योजना; और

च) आईएस/आईएसओ 15700 : 2005 के अनुसार सेवा गुणता प्रबंध पद्धति (एसक्यूएमएस) प्रमाणन योजना।

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा मा ब्यूरो गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सितम्बर 1991 में शुरू की गई थी। यह योजना आईएसओ/आईईसी 17021 ''अनुरूपता मूल्यांकन- प्रबंध पद्धतियों का ऑडिट करने वाले और प्रमाणन प्रदान करने वाले निकायों हेतु अपेक्षाएं'' के अनुसार चलाई जा रही है।

1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक छिहत्तर (76) क्यूएमएस प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत किए गए। इस प्रकार 31 मार्च 2009 को प्रचालित लाइसेंसों की कुल संख्या 882 हो गई। स्वीकृत किए गए लाइसेंसों में बैंकिंग सैक्टर, रसायन, निर्माण, डेयरी संयंत्र, शिक्षा, विद्युत उत्पादन, इंजीनियरी सेवाएँ, स्वास्थ्य सैक्टर, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन, मशीनरी, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, वस्त्रादि, दूरसंचार, यातायात, लकड़ी आदि औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।

पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भारतीय मानक ब्यूरो आईएस / आईएसओ 14001 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना का प्रचालन कर रहा है। यह योजना आईएसओ/आईईसी 17021 ''अनुरूपता मूल्यांकन - प्रबंध पद्धतियों का ऑडिट करने वाले और प्रमाणन प्रदान करने वाले निकायों हेतु अपेक्षाएं'' के अनुसार चलाई जा रही है। वर्ष के दौरान 10 नए ईएमएस लाइसेंस स्वीकृत

Government of India for approval of the Government. This membership would help India in technical cooperation with other members and participation in 'Round Robin Tests'.

Amendment to BIS Act for Mandatory Hallmarking

For bringing hallmarking of gold jewellery under mandatory certification, proposal for Amendment to *BIS Act*, 1986 was sent along with a draft cabinet note to Ministry of Consumer Affairs.

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

BIS continued to provide the following Certification services as per the corresponding standards for management systems:

a) Quality Management System (QMS) Certification Scheme as per IS/ISO 9001 : 2000;

b) Environmental Management System (QMS) Certification Scheme as per IS/ISO 14001 : 2000;

c) Hazards Analysis & Critical Control Point (HACCP) Scheme as per IS 15000 : 1998;

d) Occupational Health & Safety Management System (OHSMS) Certification Scheme as per IS 18001: 2000;

e) Food Safety Management System (FSMS) Certification Scheme as per IS/ISO 22000: 2005; and

f) Service Quality Management System (SQMS) Certification Scheme as per IS 15700 : 2005.

Quality Management Systems Certification Scheme

BIS Quality Management System Certification Scheme (QMSCS) was launched in September 1991 under the provisions of the *Bureau of Indian Standards Act*, 1986. The Scheme is being operated in accordance with ISO/IEC 17021 "Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems".

Seventy six (76) Quality Management Systems Certification licences were granted during 1 April 2008 to 31 March 2009 making a total of operative licences to 882 as on 31 March 2009 covering industrial sectors such as banking sector, chemicals, cement, construction, dairy plants, education, electricity generation, engineering services, health sector, insurance, information technology, mining, machinery, petroleum, plastic, pharmaceuticals, textiles, telecommunications, transport, wood, etc.

Environmental Management Systems Certification Scheme

The Environmental Management Systems (EMS) Certification Scheme launched by BIS as per IS/ISO 14001. The Scheme is being operated in accordance with ISO / IEC 17021 "Conformity assessment -Requirements for bodies providing audit and certification of management systems". During the period, 10 EMS new licenses have been granted making a total of operative

किए गए जिससे 31 मार्च 2009 तक कुल प्रचालन लाइसेंसों की संख्या 136 हो गई। इन लाइसेंसों में एकीकृत इस्पात संयंत्र, ताप बिजली घर, वैमानिकी उद्योग, परमाणु बिजली घर, वस्त्रादि, सीमेंट, निर्माण, विद्युत और दूरसंचार केबल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कीटनाशक, औद्योगिक एवं विस्फोटक रसायन, रेल डिब्बा वर्कशॉप, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, खनन आदि प्रौद्योगिकीगत क्षेत्र शामिल हैं।

व्यवसाय में स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा मा ब्यूरो ने जनवरी 2003 में आईएस 18001 : 2000 के अनुसार व्यवसाय में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएचएसएमएस) प्रमाणन योजना शुरू की थी जिससे कोई संगठन कानूनी आवश्यकताओं और उन विशेष स्वास्थ्य एवं सुरक्षा खतरों तथा जोखिमों के बारे में जानकारी को ध्यान में रखते हुए नीति तथा लक्ष्यों को परिभाषित कर सकता है, योजना बना सकता है और प्रबंध कर सकता है जिन्हें संगठन नियंत्रित कर सकता है और जिन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा खतरों से संगठन के कार्यकलापों का असर उसके कर्मचारियों तथा अन्य लोगों की सुरक्षा पर पड़ता हो। वर्ष के दौरान 7 ओएच एंड एसएमएस लाइसेंस प्रदान किए। इस प्रकार 31 मार्च 2009 को कुल प्रचालित लाइसेंसों की संख्या 39 हो गई। इन लाइसेंसों में ताप बिजलीघर, सिरेमिक उद्योग, साइकिल उद्योग, गैस आधारित बिजलीघर, स्वास्थ्य सेवाएं और कर्मचारी विकास केंद्र जैसे प्रौद्योगिकीगत क्षेत्र शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा मा ब्यूरो ने आईएस / आईएसओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन प्रारंभ किया है। यह पद्धति खाद्य श्रृंखला के अंदर आने वाले सभी संगठनों को खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति के कार्यान्वयन की अनुमति देती है। एफएसएमएस के कार्यान्वयन से निम्नलिखित लाभ होंगे :

क) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य उत्पादों की स्वीकार्यता बढ़ेगी;
ख) उत्पादों / सेवा की जिम्मेदारी के दावों के खतरों में कमी आएगी;
ग) ग्राहकों हेतु संविदा अपेक्षाओं में संतुष्टि;
घ) खाद्य उत्पादों की निरापदता सुनिश्चित होगी;
ङ) और अधिक सवास्थ्य संरक्षण होगा;
च) अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विनियामक अपेक्षाओं के प्रति अनुरूपता सामने आएगी;
छ) खाद्य निरापदता से संबंधित वैधानिक और विनियामक अपेक्षाओं को लागू करने में सहायता मिलेगी; और
ज) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी।

31 मार्च 2009 तक एफएसएमएस हेतु 6 आवेदन प्रक्रियाधीन थे।

सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा मा ब्यूरो ने सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना अप्रैल 2007 में प्रारंभ की। यह मानक आईएस 15700 : 2005 'गुणता प्रबंध पद्धति : लोक सेवा संगठनों द्वारा दी जाने वाली सेवा हेतु अपेक्षाऐं' पर आधारित है। यह मानक निम्नलिखित तीन मुख्य बातों पर आधारित है :

licences to 136 as on 31 March 2009.These licenses cover technology areas like integrated steel plants, thermal power plants, aeronautical industries, atomic power stations, textiles, plastic, cement, construction, electrical and telecommunication cables, petroleum refinery, insecticides, industrial and explosive chemicals, railway wagon workshops, pharmaceuticals, machinery, mining etc.

Occupational Health & Safety Management Systems Certification Scheme

BIS launched Occupational Health and Safety Management Systems (OH & SMS) certification as per IS 18001:2000, in January 2003, which essentially enables an organization to define, plan and manage a policy and objectives, taking into account legislative requirements and information about significant hazards and risks, which the organization can control and over which it can be expected to have an influence, to protect its employees and others, whose health and safety may be affected by the activities of the organization. During the period, 7 OH & SMS licences have been granted making a total of operative licences to 39 as on 31 March 2009. The licences cover technology areas like thermal power plants, ceramic industry, cycle industry, gas power station, health services and employee development centre.

Food Safety Management Systems Certification Scheme

BIS has launched Food Safety Management System (FSMS) as per IS/ISO 22000 : 2005. This system is designed to allow all types of organizations within the food chain to implement a food safety management system. Implementation of FSMS would help to achieve the following benefits:

a) Increased international acceptance of food products;
b) Reduces risk of produce/service liability claims;
c) Satisfies customer contractual requirements;
d) Ensures safety of food products;
e) Greater health protection;
f) Demonstrations conformance to international standards and applicable regulatory requirements;
g) Helps to meet applicable food safety related statutory & regulatory requirements; and
h) Ensures to compete effectively in national and international markets

As on 31 March 2009, 6 applications for FSMS were under process.

Service Quality Management Systems Certification Scheme

The BIS Service Quality Management Systems (SQMS) Certification has been launched during April 2007. This is based on the Indian Standard on Service Quality by Public Service Organization namely IS 15700 : 2005 Quality Management Systems-Requirements for services delivery by public service organizations. This standard focuses mainly on the following 3 key elements :

- परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से व्यावहारिक नागरिक अधिकार पत्र तैयार करना।
- दी जाने वाली सेवाएँ, सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया और उसका नियंत्रण तथा सेवा प्रदान करने की अपेक्षाओं की पहचान करना।
- शिकायत निपटान की प्रभावी प्रक्रिया।

यह मानक सार्वजनिक सेवा संगठनों के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है और इसमें एक ऐसी पद्धति दी गई है, जिसका उपयोग सेवा संगठनों को गुणता सेवाएं देने के लिए सिटीज़न चार्टर, जन शिकायत निपटान और गुणता सेवा को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इस मानक के केन्द्र में पूरे पटल पर गुणता सेवाएं देना है। इसके अतिरिक्त इस मानक को कार्यान्वित करने वाले संगठनों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने गुणता सेवा प्रबंध पद्धति के प्रमाणन के लिए योजना तैयार की है और योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए स्वयं को तैयार किया है।

भारतीय मानक ब्यूरो ने आईएस 15700 : 2005 को अपनाने एवं कार्यान्वित करने में सार्वजनिक सेवा संगठनों की सहायता करने के लिए मार्गदर्शक मानक आईएस 15800 : 2007 भी तैयार किया है। आईएस 15700 : 2005 'गुणता प्रबंध पद्धति सार्वजनिक सेवा संगठनों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की अपेक्षाएं' यह मानक सार्वजनिक सेवा संगठनों के क्रियाकलापों में आईएस 15700 : 2005 में यथा निर्दिष्ट गुणता प्रबंध पद्धतियों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने में दूरगामी कार्य करेगा। भारतीय मानक ब्यूरो डाक विभाग के अंतर्गत आने वाले जी.पी.ओ, नई दिल्ली को सेवा गुणता प्रबंध पद्धति के लिए एक लाइसेंस प्रदान भी कर चुका है।

इसके अतिरिक्त 3 और आवेदन प्राप्त हुए हैं जो कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के पास देश भर में 50 से भी अधिक ऑडीटर हैं जो एसक्यूएमएस के सरकारी विभागों को प्रमाणित करेंगे।

भा मा ब्यूरो प्रबंध पद्धति प्रमाणन का प्रत्यायन

आरवीए द्वारा क्यूएमएस योजना का प्रत्यायन

भा मा ब्यूरो गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन को 23 प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के लिए राड वूर एक्रेडिटेटी (आरवीए), नीदरलैंड द्वारा प्रत्यायित किया गया है। निर्दिष्ट अपेक्षाओं के पालन की पुष्टि के लिए आरवीए द्वारा इस योजना का नियमित ऑडिट किया जाता है । आरवीए द्वारा पुनः आकलन के आधार पर भा मा ब्यूरो हेतु आरवीए के प्रत्यायन का अक्टूबर 2009 तक नवीकरण किया गया है ।

इस अवधि के दौरान आरवी ने भा मा ब्यूरो की क्यूएमएस प्रमाणन योजना का निगरानी मूल्यांकन किया, जिसमें गवाह का ऑडिट भी शामिल है ।

वर्तमान प्रत्यायन अक्टूबर 2009 तक वैध है। आरवीए दल के दो सदस्यों ने 22 से 27 फरवरी 2009 के बीच पुर्नप्रत्यायन मूल्यांकन किया। मूल्यांकन के अंग के रूप में आरवीए दल ने भा मा ब्यूरो के तीन नए विस्तार कार्यक्षेत्रों जन प्रशासन, शिक्षा एवं इंजीनियरिंग सेवाओं का भी आकलन किया।

भा मा ब्यूरो ऑडिटर

1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 की अवधि के दौरान विभिन्न प्रबंध पद्धति

- Formulation of a realistic Citizen's Charter through a consultative process.
- Identification of services rendered, Service delivery processes, their control and delivery requirements.
- An effective process for complaints handling.

This standard has been specifically designed for public service organizations and prescribes a system that service organizations should install with focus on Citizen's Charter, Public Grievance Redressal and Service Quality to deliver quality of service. This standard focuses on delivery of quality service across the counter. Further, the organizations implementing this standard can be certified by Bureau of Indian Standards. BIS has developed the Scheme for Certification for Service Quality Management Systems and readied itself to process application received under the scheme.

BIS has also developed a Guidelines Standard IS 15800 : 2007 to help public service organization in adopting and implementing IS 15700 : 2005. IS 15700 : 2005 'Quality Management Systems – Requirements for services delivery by public service organizations' will go a long way to facilitate implementation of Quality Management Systems as prescribed in IS 15700 : 2005; in the operations of public service organizations. BIS has already granted one licence for Service Quality Management Systems Certification to New Delhi G.P.O. under Department of Post.

Additionally, 3 more applications have been received which are different stages of processing. BIS has more than 50 auditors all over India who would be certifying the Govt. departments of SQMS.

Accreditation of BIS Management Systems Certification Schemes

Accreditation of QMS by RvA

BIS Quality Management Systems Certification (QMSCS) has been accredited by Raad voor Accreditatie (RvA), Netherlands for 23 major economic sectors. The scheme is regularly audited by RvA to confirm compliance to the laid down requirements. Based on the reassessment by RvA, the accreditation has been renewed by RvA up to October 2009.

During the period, RvA carried out surveillance assessment of BIS QMS certification scheme, which also included witness audits.

The current accreditation is valid upto October 2009. A two member RvA team carried out re-accreditation assessment during the period 22 to 27 February 2009. As part of the assessment, the RvA team also assessed the BIS actions for extension of 3 new scope sectors, namely, public administration, education and engineering services.

BIS Auditors

During the period 1 April 2008 to 31 March 2009,

प्रमाणन योजनाओं (क्यूएमएस / ईएमएस / ओएचएस / एचएसीसीपी / एफएसएमएस) के अंतर्गत 26 ऑडिट करने वाले कार्मिकों (भा मा ब्यूरो ऑडिटर, उप-ठेकेदार और विशेषज्ञ) को पंजीकृत किया गया और 42 ऑडिट कार्मिकों को अपग्रेड किया गया। 31 मार्च 2009 तक प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना हेतु निम्नलिखित संख्या में ऑडिटरों और उपसंविदाकारों को पंजीकृत किया गया।

26 auditing personnel (BIS auditors and sub-contractors) have been registered and 42 auditing personnel have been upgraded under various Management Systems Certification Schemes (QMS / EMS / OHS / HACCP / FSMS). As on 31 March 2009, the following number of auditors and subcontractors are registered with BIS for Management Systems Certification Scheme:

Activity गतिविधि	BIS Auditors भा.मा.ब्यूरो ओडिटर	Sub-contractor Auditors उपसंविदाकार ओडिटर
QMS क्यूएमएस	251	66
EMS ईएमएस	106	21
OHS ओएचएस	41	10
FSMS एफएसएमएस	25	--
HACCP एचएसीसीपी	42	3

ऑडीटर बैठक

अवधि के दौरान तीन ऑडिटर बैठकें आयोजित की गई ये बैठकें पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय और दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित की गईं। इनमें बैठकों में भा.मा.ब्यूरो के अधिकारियों ने हिससा लिया जिन्हें पद्धति प्रमाणन ऑडिट करने के लिए पंजीकृत किया जाता है।

Auditors' Meet

During the period 3 Auditors' Meet were organized *viz* at Western Regional Office, Eastern Regional Office and Southern Regional Office which were attended by BIS officers who are registered for carrying out system certification audits.

लाइसेंसधारकों की समीक्षा बैठक

प्रमाणन मानक की अपेक्षाओं में परिवर्तन के बारे में हमारे लाइसेंसधारकों में जागरूकता पैदा करने तथा भा मा ब्यूरो के लाइसेंसधारकों से सीधे फीडबैक लेने के उद्देश से क्षेत्रीय कार्यालयों में समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। भा मा ब्यूरो के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय ने 20 फरवरी 2009 को कोलकाता में समीक्षा बैठक आयोजित की।

Licensees' Review Meeting

For the purpose of creating awareness among our licensees about change in the requirements of certification Standards and for obtaining first hand feed back from the licensees of BIS, Review Meetings with BIS Licensees' are organized in the regional offices. Eastern Regional Office of BIS organized a Licensees' Review Meet on 20 February 2009 at Kolkata.

प्रवर्तन गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो मानक मुहर (आईएसआई मुहर) गुणवत्ता की मुहर है और छः से भी अधिक दशकों में इसने अपनी एक ब्रांड छवि बना ली है क्योंकि उपभोक्ता हमेशा गुणवत्ता वाले उत्पादों को पसंद करता है। इसलिए उपभोक्ता और संगठित क्रेता गैर-आईएस उत्पादों की तुलना में आईएसआई मुहर वाले उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। आईएसआई मुहर की बढ़ती मांग के साथ आईएसआई मुहर के दुरूपयोग की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं क्योंकि धोखेबाज़ विनिर्माता भा मा ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त किए बिना घटिया स्तर के उत्पादों पर आईएसआई मुहर लगा कर उपभाक्ताओं को धोखा दे रहे हैं ।

1 अप्रैल 2008 और 31 मार्च 2009 के दौरान आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाली फर्मों पर देशभर में 156 छापे मारे गए। इनमें से आईएसआई मुहर के दुरूपयोग के 51 मामलों में भा मा ब्यूरो के पक्ष में निर्णय हुआ। इन छापों के दौरान विभिन्न नकली उत्पादों जिनमें अनेक घरेलू उत्पाद, पैकेजबंद पेयजल, डीजल इंजन, जीएलएस बल्ब, समर्सिबल पंप, ब्लाक बोर्ड और प्लाईवुड के उत्पाद, सीमेंट, पीवीसी केबल, स्विच एवं प्लग्स और बिजली के उपस्कर आदि जब्त किए गए। प्रवर्तन मामलों में यथा समय कार्रवाई के प्रयास किए गए। इसके फलस्वरूप अभियक्तों के खिलाफ न्यायालयों में अभियोजन प्रारंभ किए गए।

भा.मा.ब्यूरो के वैध लाइसेंस न रखने वाले विनिर्माताओं द्वारा उत्पादों पर आईएसआई मुहर के दुरूपयोग की सूचना देने के लिए भा.मा.ब्यूरो ने आउटसोर्स एजेंसियों को नियुक्त किया है। अवधि के दौरान विभिन्न

ENFORCEMENT ACTIVITIES

The BIS Standard Mark (ISI Mark) is a quality mark and also has established its brand image for more than six decades as the consumer is always inclined towards quality products. Therefore, the consumer as well as the organized purchaser prefers ISI Marked products. With the growing demand of ISI marked the instance of misuse of ISI Mark is also on the rise as the unscrupulous manufacturers are trying to cheat the consumers by producing sub-standard products with ISI Mark without obtaining the licence from BIS.

During the period 1 April 2008 to 31 March 2009, BIS has carried out 156 enforcement raids all over the country on firms misusing ISI Mark. During the period 51 cases of misuse of ISI Mark have been decided in favour of BIS by the various courts. During these raids, various spurious products including many household products such as Packaged Drinking Water, GLS Lamps, Diesel Engine, Block Board and Plywood products, PVC Cables, Switches, Socket and Cables, Electrical Appliances, and Submersible Pumps and Cement, etc. were seized. Efforts are also being made for timely processing of the enforcement cases and consequent launching prosecution against the offenders in the Courts.

BIS has appointed outsourced agencies to provide the information about the manufacturers who are misusing the ISI Mark on the products without having a valid licence

क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के क्षेत्रों में आने वाले 13 स्थानों के लिए आउटसोर्स एजेंसियाँ नियुक्त की गई। ये स्थान हैं - दिल्ली, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, बंगलौर, कोयम्बत्तूर, चेन्नई, तिरूवनंतपुरम, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे और भा.मा.ब्यूरो का राजकोट शाखा कार्यालय।

भा.मा.ब्यूरो के प्रवर्तन विभाग ने भा.मा.ब्यूरो के शाखा कार्यालयों के प्रवर्तन/नोडल अधिकारियों के लिए 4 फरवरी 2009 को एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें तलाशी एवं जब्ती अभियानों, भा.मा.ब्यूरो के नियमों एवं अधिनियमों, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य साक्ष्यों को एकत्र करने के तरीकों, प्रवर्तन गतिविधियों के कानूनी पक्षों तथा कमज़ोर बिन्दुओं की भरपाई के लिए छापों की कमियों/साक्ष्यों को एकत्र करने की जानकारी प्रतिभागियों को दी गई।

आउटसोर्सिंग एजेंसियों के प्रतिनिधियों को प्रवर्तन गतिविधियों के विभिन्न पक्षों से अवगत कराने के लिए भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इसके अतिरिक्त भा मा ब्यूरो ने देश भर में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाले नकली विनिर्माताओं के विरूद्ध उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से व्यापक कवरेज देते हुए प्रवर्तन छापों की अनेक प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की हैं। भा.मा.ब्यूरो के सभी शाखा कार्यालयों को यह परामर्श दिया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा दोशियों के विरूद्ध दिए गए फैसलों को व्यापक रूप से प्रचारित करें ताकि उपभोक्ताओं में अधिक जागरूकता पैदा की जा सके।

इसकी जानकारी भा.मा.ब्यूरो के मासिक प्रकाशन स्टैंडर्ड इंडिया में भी दी जाती है।

प्रयोगशाला सेवाएँ

भा.मा.ब्यूरो ने आठ प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं जिसकी शुरूआत 1962 में केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना से की गई थी। मोहाली, कोलकाता, मुंबई और चैन्नई में चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं और पटना, बंगलौर एवं गुवाहाटी शाखा कार्यालयों में तीन प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। भा.मा.ब्यूरो की प्रयोगशालाओं की स्थापना का उद्देश्य भा.मा.ब्यूरो की उत्पाद प्रमाणन मुहर योजना के कार्यकलापों में सहायता करना है। इन प्रयोगशालाओं में लाइसेंसधारकों/आवेदकों और खुले बाज़ार से लिए जाने वाले नमूनों का भी परीक्षण किया जाता है। भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशालाओं में रसायन, खाद्य, बिजली और यांत्रिक उत्पादों के परीक्षण की सुविधाएं हैं। केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद में बिजली के उत्पादों के इन-हाउस उत्पादों के अंशशोधन की सुविधा है।

भा.मा.ब्यूरो की प्रयोगशालाएं अपनी सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रगति के साथ बनाए रखें इसके लिए उसने अपनी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मोहाली, बंगलौर और साहिबाबाद स्थित प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार राष्ट्रीय अंशशोधन एवं परीक्षण प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से प्रत्यायित कराया है।

उत्पाद प्रमाणन योजना से मिलने वाले नमूनों की मात्रा भा.मा.ब्यूरों प्रयोगशालाओं में उपलब्ध क्षमता से कहीं अधिक होने के कारण भा.मा.ब्यूरो

from BIS. During this period, Outsourced agencies for 13 locations have been appointed falling under the jurisdiction of various Regional Offices/Branch Offices. These locations are Delhi, Bhubaneshwar, Kolkata, Chandigarh, Bangalore, Coimbatore, Chennai, Thiruvananthapuram, Ahmedabad, Mumbai, Nagpur, Pune and Rajkot Branch Offices of BIS.

One day training programme was organized by Enforcement Department, BIS for Enforcement/Nodal Officers of Branch Offices of BIS on 4th February 2009 to enlighten the participants about requirements of Search & Seizure operations *vis-a-vis BIS Act* Rules and Regulations, Manner of collection of evidences admissible under *Evidence Act*, Legal aspects of enforcement activity and shortcomings in the raid/collection of evidences to plug the loop holes.

Training prgrammes have also been conducted for representatives of the outsourced agencies to make them aware of the various aspects of enforcement activities.

Apart from above, BIS has also issued number of press releases about the enforcement raids for giving wide coverage by both the print and electronic media with the intention to create awareness among the consumers about the unscrupulous manufacturers who are misusing ISI Mark. All the Branch Offices of BIS have been advised to give wide publicity on pronouncement of judgement against the offenders by the Hon'ble Courts to create more awareness amongst the consumer.

These have also been brought out in the Standard India, the monthly publication of BIS.

LABORATORY SERVICES

BIS has established eight laboratories beginning with the establishment of Central Laboratory in 1962. Subsequently, four regional laboratories were established at Mohali, Kolkata, Mumbai and Chennai and three branch office laboratories at Patna, Bangalore and Guwahati. The purpose of establishing BIS laboratories is to support the activities of BIS product certification marks scheme wherein the samples generated from the licensees/applicants and also from the open market are tested in these BIS laboratories. The BIS laboratories have facilities for testing of products in the field of chemical, food, electrical and mechanical discipline. In-house calibration facilities in the field of electrical discipline are available at Central Laboratory, Sahibabad.

In order to ensure that BIS laboratory services are keeping pace with the developments at the International level, the laboratories at Mumbai, Kolkata, Chennai, Mohali, Bangalore and Sahibabad have been accredited by the National Accreditation Board for Calibration and Testing Laboratories (NABL) as per IS/ISO/IEC 17025.

As the volume of workload for testing of samples generated from product certification scheme is much larger than the available capacity in BIS labs, BIS has

ने बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता देने की योजना बनाई है। यह योजना सुप्रलेखित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडो (आईएस / आईएसओ / आईईसी 17025 : 2005) पर आधारित है और ये मानदंड अंशशोधन एवं परीक्षण प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा अपनाए गए मानदंडो के अनुरूप हैं। इन मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं विकास संगठन, तकनीकी संस्थान, सरकारी प्रयोगशालाएं और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इन प्रयोगशालाओं की सेवाएं तब भी ली जाती हैं जब भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशालाओं में आर्थिक रूप से परीक्षण सुविधाएं विकसित करना व्यवहार्य न हो, भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशालाओं में बड़ी संख्या में नमूने इकट्ठे हो जाएं, उपकरण अस्थायी तौर पर काम न कर रहे हो इत्यादि। वर्तमान में भा.मा.ब्यूरो विभिन्न उत्पादों के लिए 126 बाहरी प्रयोगशालाओं का उपयोग कर रहा है।

उत्पादकता

भारतीय मानक ब्यूरो की देश भर में स्थित आठ प्रयोगशालाओं के नेटवर्क ने संबद्ध भारतीय मानकों के अनुरूप भा मा ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों के अनुरूपता परीक्षण के लिए परीक्षण सेवाओं एवं परीक्षण से संबंधित कार्य किए। 1 अप्रैल 2008 से मार्च 2009 की अवधि के दौरान परीक्षण कार्मिकों की लगातार घटती संख्या के बावजूद व्यापक श्रेणी के उत्पादों की 20802 परीक्षण रिपोर्ट जारी की। परीक्षण करने वाले परीक्षण कार्मिकों की स्वीकृत संख्या 180 की तुलना में वर्तमान में 115 रह गई है।

आकृति 4 में पिछले पांच वर्षों में भा मा ब्यूरो द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों के संदर्भ में आउटपुट दर्शाई गई है।

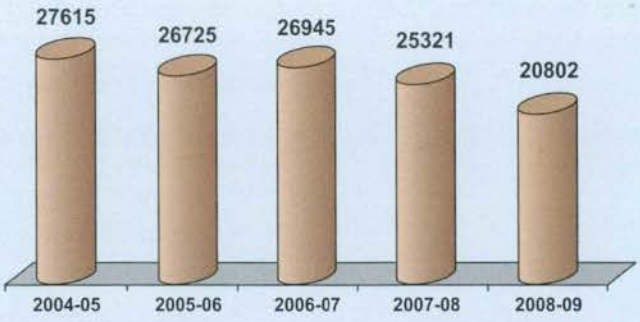

आकृति 4 भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों की संख्या

Fig. 4 Number of test reports issued by BIS Laboratories

established a scheme of recognition of outside laboratories. The scheme is based on a well documented international norms (IS/ISO/IEC 17025 : 2005) which is inline with the norms adopted by the National Accreditation Board for Calibration and Testing Laboratories (NABL). The recognized labs include the reputed R&D organizations, technical institutions, Government labs and Private sector labs. The services of such laboratories are also utilized where it is economically not viable to develop test facilities in BIS laboratories, accumulation of large number of samples in BIS labs, equipment temporarily being out of order, etc. At present 126 outside laboratories are being utilized by BIS for different products.

Productivity

The network of eight BIS laboratories spread throughout the country, continued to provide testing services and test related activities to undertake conformity testing of BIS certified products against relevant Indian Standards. For the period from 01 April 2008 to 31 March 2009, BIS laboratories have issued 20802 test reports covering wide range of products despite constant depletion of testing personnel. The strength of testing personnel involved in the testing is now 115 against the sanctioned strength of 180.

The output in terms of Number of test reports issued by BIS Laboratories in the last five years is depicted in Fig. 4:

गुणता आश्वासन गतिविधियां

प्रयोगशाला प्रबंध पद्धति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाया गया तथा आईएस / आईएसओ / आईईसी 17025 : 2005 मानक पर आधारित प्रलेखों को कार्यान्वित किया गया। इस क्षेत्र की विशेष उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

i) गुणता आश्वासन परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नमूनों का परीक्षण।

ii) गैस के चूल्हों, प्रैशर कुकर, सीमेंट, फोर्जित पीतल की छड़, इस्पात की चद्दर, यूपीवीसी के पाइप आदि उत्पादों के विभिन्न पैरामीटरों के दक्षता परीक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना।

iii) अधिकारियों/तकनीकी कार्मिकों ने निम्नलिखित आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना।

   क) ऑडिट करने की तकनीक और आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 की ऑडिटिंग अपेक्षाऐं।

   ख) अनिश्चितता के मापन का आकलन।

   ग) आईएलसी/दक्षता परीक्षण प्रशिक्षण।

Quality Assurance Activities

For effective monitoring of quality system, the laboratories have updated and implemented the documents based on Standard IS/ISO/IEC 17025:2005. The highlights of the achievements are as below:

i) Samples tested under different Quality Assurance testing programme.

ii) Participation in Proficiency testing and ILC programmes for various parameters of products like LPG stove, Pressure cooker, Cement, Forged Brass Bar, Steel sheet, UPVC Pipes etc.

iii) Officers/technical personnel attended the following training programme :

   a) Auditing techniques and auditing requirements of IS/ISO/IEC/17025.

   b) Estimation of measurement of uncertainty.

   c) ILC/Proficiency testing training.

घ) भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं में गैर वित्तीय कार्यकारियों के लिए वित्त संबंधी प्रशिक्षण ।

ङ) सूक्ष्मजैवीय अपेक्षाओं में तकनीकीगत प्रक्रिया।

iv) उपभोक्ता फीडबैक इकट्ठी की गई और उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए समुचित कार्यवाही की गई।

उत्पाद परीक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

क) भा मा ब्यूरो के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा जब और जहां अनुरोध पर भा मा ब्यूरो के तकनीकी कार्मिकों, लाइसेंसधारकों/आवेदकों हेतु नवीनतम भारतीय मानकों के अनुरूप उत्पाद परीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। पिछले वर्ष के दौरान प्रेशर कुकर, एलपीजी स्टोव, इस्पात उत्पादों का भौतिक परीक्षण, अग्नि शामक, पेय जल का सूक्ष्मजैविक परीक्षण इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ख) उत्तर क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मोहाली की यांत्रिक प्रयोगशाला में तैनात परीक्षण कार्मिकों हेतु पम्प परीक्षण के लिए एक आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को खाद्य एवं सूक्ष्मजैवीय परीक्षण में प्रशिक्षण हेतु ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया

परीक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण

कार्यकारी समिति के निर्देश पर प्रयोगशालाओं के आधुनिकीरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय विषयों के विचारार्थ स्थायी समिति गठित की गई

- आंशिक परीक्षण सुविधाएं
- वर्तमान सुविधाओं का उन्नयन
- नई परीक्षण सुविधाएं तैयार करना
- ढांचा

मुहर विभाग के साथ हुए विचार-विमर्श के बाद हुई दो बैठकों में स्थायी समिति ने कुल 403 परीक्षण उपस्करों की सिफारिश की जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी निधि की स्वीकृति दी। आधुनिकीकरण कार्यक्रम में अतिरिक्त श्रमशक्ति अर्थात सहायक स्टाफ के साथ तकनीकी अधिकारी, परीक्षण कार्मिक भी शामिल हैं। जहां कही संभव हुआ कुछ सेवाओं को आउटसोर्स करना भी प्रस्तावित किया गया।

इसके लिए भा मा ब्यूरो की विभिन्न प्रयोगशालाओं को लगभग 2.75 करोड़ रूपए के उपस्कर मिल चुके हैं और उनके संस्थापन के लिए ढांचा विकसित किया जा चुका है। 3 करोड़ से अधिक के मूल्य के और उपस्करों के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

स्केन की गई रिपोर्ट क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को भेजना

भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षित नमूनों की सभी परीक्षण रिपोर्टे स्केनिंग करके सभी शाखा कार्यालयों को हार्ड कॉपी की बजाए इंटरनेट द्वारा भेजी गई। इस प्रक्रिया से समय तथा धन की बचत हुई तथा इससे हार्ड कापी के दुरूपयोग की संभावना नहीं रहती है।

स्वर्णाभूषणों हेतु दक्षिण क्षेत्रीय प्रयोगशाला में संदर्भ एवं एसेयिंग केन्द्र

दक्षिण क्षेत्रीय प्रयोगशाला में आवश्यक उपस्कर उपलब्ध कराकर उसे

d) Training on finance for non-finance executives in BIS labs.

e) Technological processes in microbiological requirement.

iv) The customer feedbacks were collected and appropriate action were taken to the satisfaction of the customers

Training Programme on Product Testing

a) As and when requested by BIS ROs/BOs, BIS laboratories organized training programmes on product testing for technical personnel of BIS product certification licensees/applicants in line with latest Indian Standards. The products covered during last year were pressure cooker, LPG stove, physical testing of steel products, fire extinguisher, microbiological testing on Drinking Water etc.

b) An internal training programme on pump testing for testing personnel of mechanical lab was organized at Northern Regional Laboratory, Mohali.

c) Summer training in Food and Microbiological testing was provided to students of Delhi University.

Modernization Programme of Laboratories

On directions of Executive Committee, the Standing Committee for modernization of Labs was constituted with following terms of reference

- Completion of partial testing facilities
- Up-gradation of existing testing facilities
- Creation of new testing facilities
- Infrastructure

In its two meetings held after interactions with various Marks Departments, a total of 403 test equipments were recommended by the Standing Committee. Adequate funds were approved by the Competent Authority. The Modernization Programme also involves the requirements of additional manpower that is Technical Officers, Testing Personnel along with supporting staff. Wherever possible, it was proposed for some of the services to be outsourced.

In this process equipment to the tune of around Rs. 2.75 crores have already been procured by various BIS labs and infrastructure developed for their installation. Further orders for additional equipment worth more than 3 crores are being issued.

Sending of Scanned Reports to Regional/Branch Offices

All reports for sample being tested by BIS labs are sent through Internet after scanning to all Branch Offices instead of hard copies. This has led to major saving of time, money and probable misuse of hard copies.

Referral and Assaying Centre at SROL for Gold Jewellery

Southern Regional Office Laboratory is being developed

हॉलमार्क अंकित स्वर्णाभूषणों हेतु संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया गया। संदर्भ केन्द्र 2009 में कार्य प्रारंभ कर सकता है।

सतर्कता गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो में सतर्कता गतिविधियों का कार्यक्षेत्र और प्रकृति

भा मा ब्यूरो के सतर्कता विभाग का अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं । उसकी सहायता के लिए चार सतर्कता अधिकारी तथा दो क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी पश्चिम तथा दक्षिण क्षेत्रों में तैनात हैं। उन्हें सतर्कता कार्यकलापों का कार्य सौंपा गया है। यह विभाग अन्य अभिकरणों यथा 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), 'उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' और 'कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)' के साथ निकट समन्वय में काम करता है । सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ वार्षिक कार्य योजना के अनुसार चलाई जाती हैं, जिनका निर्धारण प्रतिवर्ष किया जाता है। इस विभाग के मूल कार्यकलाप सतर्कता के निवारक, संसूचक और दंडात्मक पहलुओं के बारे में हैं । सतर्कता विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं :

क) ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा वार्षिक सम्पत्ति विवरणियों और चल तथा अचल संपत्तियों के अंतिम लेन-देन जब और जैसे दर्ज कराए जाने पर उनकी संवीक्षा / जाँच करना।

ख) विभाग/कर्मचारी के अनुरोध पर पदोन्नति, पासपोर्ट, विदेशों में कार्य करने पर विचार करने और बाहर के पदों के लिए भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों के आवेदन भेजने के लिए सतर्कता की अनुमति देना।

ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग / सीबीआई / मंत्रालय के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष रूप से सतर्कता विभाग में प्राप्त स्रोत सूचना और शिकायतों की जाँच और गहराई से जाँच-पड़ताल करना। जाँच-पड़ताल के आधार पर मिले परिणाम के आधार पर आवश्यक होने पर शिकायत दर्ज करना; या केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर दोषी अधिकारी (अधिकारियों) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ करना।

घ) भा मा ब्यूरो के कर्मचारीओं को आचरण नियमावली, सीसीएस (सीसीए) नियमावली और लागू होने वाले अन्य विभिन्न संबंधीत नियमों / विनिमयों तथा मैनुअलों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में अवगत करना और सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित सतर्कता कार्यशालाओं तथा संबंधित विषयों पर कार्यक्रमों के माध्यम से भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों में सतर्कता कार्य के महत्त्व के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना।

ङ) निवारणात्मक सतर्कता के भाग के रूप में ब्यूरो के विभिन्न कार्यकलापों के सतर्कता ऑडिट आयोजित करना और कमियों को दूर करने के लिए अंतरालों में सुधार लाने एवं स्वनिर्णय के कार्यक्षेत्र को हटाने के लिए व्यवस्थित सुधारों का सुझाव देना।

च) यदि भ्रष्टाचार का कोई मामला हैं तो सीधा फीडबैक प्राप्त करने के लिए

as a referral laboratory for Hallmarked jewellery by equipping it with the necessary equipment. The referral centre is expected to be ready for operation in 2009.

VIGILANCE ACTIVITIES

Scope and Nature of Vigilance Activities in BIS

Vigilance Department of BIS is headed by the Chief Vigilance Officer and assisted by four Vigilance Officers and two Regional Vigilance Officers posted in the Western and Southern Region Offices of BIS. Vigilance Department is entrusted with the responsibility of managing all vigilance related activities. The department functions in close coordination with other agencies such as the Central Vigilance Commission (CVC); the Central Bureau of Investigations (CBI); the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution; and the Department of Personnel & Training (DoPT). The activities of the Vigilance Department are organized in accordance with an Annual Action Plan, which is formulated every year. The key functions of the department revolve around the preventive, the detective, and the punitive aspects of vigilance. The work undertaken by the Vigilance Department is as follows:

a) Scrutiny/examination of Annual Property Returns and transactions in movable and immovable properties, as and when filed by the employees of the Bureau;

b) Granting clearances for considering promotions, issuance of passport, foreign assignments and forwarding applications of BIS employees for outside posts as and when requested by the department / employee;

c) Examine source information and complaints received either directly from the complainant or through the CVC/Ministry and conduct thorough investigations. On the basis of the outcome of the investigation, in case, it is called for, initiate disciplinary proceedings against the delinquent official on the basis of advice of CVC;

d) In order to apprise BIS employees about various provisions of the CCS (Conduct) Rules, the CCS (CCA) Rules and various other related Rules/Regulations and Manuals in operation; and create greater awareness among the BIS employees, conducts workshops and awareness programmes on relevant subjects;

e) Conduct vigilance audits of various work activities of the Bureau and branch/ regional offices as part of prevalent preventive vigilance and suggest systemic improvements to plug loop holes; and

f) Organize meetings with BIS licensees, consumer organizations and manufacturers' associations for

भा मा ब्यूरो के लाइसेंसधारियों / आवेदकों, उपभोक्ता संघठनों और उद्योग संघो के साथ बैठकें आयोजित करना और व्यवस्थित सुधार तथा अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सुझाव देना।

वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग ने ब्यूरो के परवानू शाखा कार्यालय, मुहर विभाग मुंबई - II, मुहर विभाग दिल्ली - II और जयपुर शाखा कार्यालय में चार सतर्कता ऑडिट किए। इसके अतिरिक्त विभिन्न पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रक्रियाविधियों के अनुपालन न करने के मामलों में सतर्कता जाँच-पड़ताल की गई। भा मा ब्यूरो के लाइसेंसधारकों के सत्ताईस औचक निगरानी निरीक्षण किए गए और इसके फलस्वरूप दो लाइसेंसों के मुहरांकन रोके गए। अवधि के दौरान अगले वित्त वर्ष में किए जाने वाले निवारक सतर्कता ऑडिट की योजना भी बनाई गई।

लंबित जांचों को निपटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के हिस्से के रूप में भा मा ब्यूरो के महानिदेशक, अनुशासनिक प्राधिकारी, की अध्यक्षता में 24 - 10 - 2008 को निरीक्षण अधिकारियों की एक बैठक भी आयोजित की गई।

भा.मा.ब्यूरो के अधिकारियों के लिए अप्रैल 2008 में एनआईटीएस, भा मा ब्यूरो नोएडा में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उन्हें विभागीय कार्रवाई में निरीक्षण अधिकारी की भूमिका का निर्वाह करने का प्रशिक्षण दिया गया।

भा मा ब्यूरो के अधिकारियों के लिए सामाजिक अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र के द्वारा 29 व 30 जनवरी 2009 को एनआईटीएस, भा.मा.ब्यूरो. नोएडा में "प्रजेंटिंग अधिकारियों के दायित्व" विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सतर्कता विभाग ने फरवरी 2009 में भा.मा.ब्यूरो के अधिकारियों के लिए विशाखापत्तनम् शाखा कार्यालय में आधे दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें उन्हें सीसीएस (सीसीए) नियमों की जानकारी दी गई।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार भारतीय मानक ब्यूरो में 3 से 7 नवम्बर 2008 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। भा.मा.ब्यूरो के महानिदेशक ने 3 नवम्बर 2008 को मुख्यालय में भा.मा.ब्यूरो के कर्मचारियों को शपथ दिलाई। भा.मा.ब्यूरो के सभी कार्यालयों ने भ्रष्टाचार विरोधी बैनर/पोस्टर/नारों को प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया। इसके अतिरिक्त व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिता, परिचर्चा इत्यादि जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और भा.मा.ब्यूरो के विभिन्न कार्यालयों में इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस सप्ताह के दौरान भा.मा.ब्यूरो के मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ जयपुर शाखा कार्यालय के अंतर्गत आने वाले लाइसेंसधारकों की 5-11-2008 को जयपुर में एक बैठक भी आयोजित की गई। यह बैठक भा मा ब्यूरो में व्यवहार में लाई जा रही पद्धतियों एवं मानदंडों के बारे में सीधे फीडबैक लेने और उन्हें बेहतर बनाने के सुझावों के लिए आयोजित की गई। जयपुर शाखा कार्यालय में कार्यरत भा.मा.ब्यूरो के अधिकारियों के लिए 5-11-2008 को एक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भा.मा.ब्यूरो में व्यवस्थित सुधार लाने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा दिए गए सुझावों पर एनसीआर में तैनात मध्य क्षेत्रीय कार्यालय और उत्तर क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के लिए मुख्यालय में भी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

gathering direct feed-back relating to instances of corruption, if any, and elicit suggestions for introducing systematic improvements and greater transparency.

During the period, Vigilance Department conducted four preventive vigilance audits at Parwanoo Branch Office, Marks Department Mumbai-II, Marks Department Delhi-II and Jaipur Branch office of the Bureau. Vigilance investigations were undertaken on instances of non-compliance of procedures against various officials. Twenty Seven surprise surveillance inspections of BIS licensees were also carried out and as a result, two licences were put under stop marking. During the period, preventive vigilance audit to be carried out in next financial year were also planned.

As part of the ongoing drive for expediting disposal of pending inquiries, a meeting of the Inquiry Officers was also organized on 24-10-2008 under the chairmanship of the DG, BIS, the Disciplinary Authority, and deadlines were given to the IOs for expediting completion of the inquiries pending with them.

A Training Programme for BIS officials was also organized in April 2008 at NITS, BIS, NOIDA for training them for performing the role of Inquiry Officer in departmental proceedings.

A Training Programme for BIS officers on "Responsibilities of Presenting Officers" was organized through Centre for Training at Social Research, Delhi on 29th and 30th January 2009 at NITS, BIS, NOIDA.

A half day Training Programme for BIS officials at Vishakhapatnam Branch Office was organized by Vigilance Department in Feb 2009 for apprising them about CCS (CCA) Rules.

As per the directions of the Central Vigilance Commission, Vigilance Awareness Week was observed in BIS from 3rd to 7th November 2008. The DG, BIS administered a pledge to all the BIS employees in Head Office on 3rd November 2008. Banners/posters/slogans on the theme of anti-corruption were prominently displayed in all BIS offices. Besides, other activities such as lectures, essay competitions, debates, etc. were also organized and prizes distributed to the winners of these competitions at various BIS offices. During the week, a meeting of BIS licensees under Jaipur Branch Office of BIS with CVO was also organized in Jaipur on 5-11-2008 to obtain direct feedback regarding the systems and norms being practiced in BIS and suggestions for further improvement. A vigilance awareness programme for BIS officials posted in JBO was also organized on 5-11-2008. One more workshop was organized at Head Office for CRO & NRO officers posted in NCR on the suggestions made by Vigilance Department for systemic improvements in BIS.

तकनीकी सूचना सेवाएँ

भा मा ब्यूरो उद्योगों, आयातकों, व्यक्तियों तथा सरकारी एजेंसियों को उनकी पूछताछ के उत्तर में तकनीकी सूचना सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इस प्रयास में इस अवधि के दौरान 600 से अधिक पूछताछों का उत्तर दिया गया।

पहचान संख्याओं को प्रायोजित करना

निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की गई :

जारीकर्ता पहचान संख्या (आईआईएन)

आईएसओ / आईईसी 7812 -1 पहचान पत्र - जारीकर्ता की पहचान - भाग 1: संख्यांकन की पद्धति अन्तर्राष्ट्रीय तथा/अथवा अंतरउद्योग विनिमय में प्रयुक्त पहचान पत्रों के जारीकर्ताओं की पहचान के लिए संख्यांकन प्रणाली निर्दिष्ट करती है। यह संख्या मुख्य उद्योग तथा कार्ड जारी करने वाले की पहचान कराती है जो मुख्य लेखा संख्या का पहला भाग है। भामाब्यूरो अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन (एबीए) को बैंकों / वित्तीय संगठनों के आवेदनों को प्रायोजित करके आईएसओ 7812-1 के अनुरूप आईआईएन को जारी करना सुविधाजनक बनाता है। इस अवधि में सोलह (16) जारीकर्ता पहचान संख्याएँ जारी की गई ।

संस्थान पहचान कोड (आईआईसी)

आईएसओ 8583 के अनुसार आईएसओ के प्राधिकरण के अंतर्गत अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन (एबीए) द्वारा कार्ड से उत्पन्न वित्तीय लेनदेन के संदेशों में भाग लेने वाले वित्तीय संस्थानों को प्रदान की जाने वाली आईआईसी अनूठी संख्या है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मानक एक सामान्य इन्टरफेस निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा प्राप्तकर्ताओं और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच वितीय लेनदेन कार्ड से उत्पन्न संदेशों का परस्पर आदान-प्रदान किया जा सकता है। यह संदेश का ढांचा, प्रारूप तथा विषय वस्तु, डाटा के घटक और डाटा घटकों के मूल्य निर्दिष्ट करता है ।

पंजीकृत आवेदन प्रदाता आईडेन्टीफायर (आरआईडी)

आरआईडी एक हार्डवेयर इंडेक्स कोड है जो पहचान कार्डों - एकीकृत परिपथ कार्डों में संपर्कों के साथ प्रयुक्त होते हैं । यह आईएसओ / आईईसी 7816-5 आईडेन्टीफिकेशन कार्डस् - इंटीग्रेटेड सर्किट कार्डस् - पार्ट 5 नम्बरिंग सिस्टम एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन आइडेन्टीफायर्स के अनुसार आईएसओ के प्राधिकरण के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, कोपेन हेगेन, डेनमार्क द्वारा आवंटित किया जाता है।

वर्ल्ड मैन्यूफैक्चरर आईडेन्टिफायर (डब्ल्यूएमआई) संख्या

सोसायटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स (एसाई), यूएसए के साथ समन्वय करते हुए भा मा ब्यूरो आईएसओ 3780 : 1983 रोड व्हीकल्स - वर्ल्ड मैन्यूफैक्चरर आईडेन्टिफायर (कोड) के अनुसार डब्ल्यूएमआई कोड भारत के ऑटोमोबाइल निर्माताओं और निर्यातकों को जारी करने का उत्तरदायित्व पूरा करता है । वर्ष के दौरान डब्ल्यूएमआई कोड के आबंटन के लिए इक्कीस (21) संख्याएँ आवंटित की गई।

पुस्तकालय सेवाएँ

भा मा ब्यूरो का तकनीकी पुस्तकालय मानकों और संबंधित विषयों पर जानकारी का एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र हैं और उद्योगों, व्यापार, सरकार, अनुसंधानकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है। 1000 वर्ग मीटर में फैला यह पुस्तकालय आज दक्षिण एशियाई क्षेत्र में

TECHNICAL INFORMATION SERVICES

BIS provided Technical Information Services to Industry, importers, exporters, individuals and government agencies in response to their enquiries. In this endeavor, more than 600 enquiries were responded during the period.

SPONSORSHIP OF IDENTIFICATION NUMBERS

The following services were provided:

Issuer Identification Number (IIN)

ISO/IEC 7812-1 Identification Cards- Identification of issuers- Part 1: Numbering system specifies a numbering system for the identification of issuers of the identification cards used in international and/ or inter-industry interchange. This is a number that identifies the major industry and the card issuer and that forms the first part of the primary account number. BIS facilitates the issue of IIN as per ISO 7812-1 by sponsoring applications of Banks/Financial Organizations to the American Bankers Association (ABA). Sixteen (16) Issuer Identification numbers have been issued during this period.

Institution Identification Codes (IIC)

IIC is a unique number assigned to financial institutions participating in financial transaction card originated messages by American Bankers' Association (ABA) under the authorization of ISO in accordance with ISO 8583. This International Standard specifies a common interface by which financial transaction card originated messages may be interchanged between acquirers and card issuers. It specifies message structure, format and content, data elements and values for data elements.

Registered application provider identifier (RID)

RID is a hardware index code used in identification cards - integrated circuit cards with contacts. It is allotted in accordance with ISO/IEC 7816-5 Identification Cards- Integrated Circuit Cards: Part 5 Numbering System and Registration Procedure for Application Identifiers, by the Registration Authority, Copenhagen, Denmark under the authorization of ISO.

World Manufacturer Identifier (WMI) Number

In coordination with the Society of Automotive Engineers (SAE), USA, BIS fulfils the responsibility of issuing the WMI Codes as per ISO 3780 : 1983 Road Vehicles - World Manufacturer Identifier (Code), to the automobile manufacturers and exporters in India. Twenty-one (21) applications were processed for the allotment of WMI Code during the year.

Library Services

BIS Technical Library is a national resources centre for information on standards and related matters and meets the needs of industry, trade, government, researchers and consumers alike. It is today the largest library of standards in the South Asian Region, covering a floor

सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसमें विश्व भर के 6 लाख मानक और 70000 से अधिक तकनीकी पुस्तकें हैं। ब्यूरो के पुस्तकालय तंत्र में मुख्यालय (नई दिल्ली) का पुस्तकालय और मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ और चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालयों के पुस्तकालय शामिल हैं। 08 सुविस्तृत विषयों की ग्रंथसूची तैयार कर और पसंद की संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराकर 4218 आगुंतकों को संदर्भ सेवाएं प्रदान की गई। पुस्तकालय की संदर्भ इकाई मानक निर्धारण विभागों को ग्रंथसूची उपलब्ध कराकर उनकी पूरी सहायता की। इसने भारतीय व्यापार एवं उद्योगों से प्राप्त 2858 छोटी एवं बड़ी जानकारियों का जवाब देकर उनकी सहायता की। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा विभाग द्वारा रखे जाने वाला विश्व मानकों के यांत्रिकीकृत डाटाबेस "मानक संदर्भिका" को अद्यतन करने के लिए पुस्तकालय मूलभूत जानकारी देता रहा।

यहाँ प्राप्त सभी मानकों को डाटाबेस के इनपुट के लिए कूटबद्ध किया गया जिसमें अब 3 लाख तथा 49335 से अधिक अभिलेख शामिल हैं।

प्रशिक्षण सेवाएँ

प्रशिक्षण संस्थान

भारतीय मानक ब्यूरो ने उद्योग, सरकार और सेवा क्षेत्रों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1995 में राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) की स्थापना की । यह संस्थान मई 2003 से अपने नौएडा स्थित कैम्पस से कार्य कर रहा है ।

उद्योग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, एनआईटीएस ने उद्योग के लिए 53 इन-हाउस कार्यक्रम, 36 ओपन कार्यक्रम और 6 लीड ऑडिटर के पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिनसे 141.20 लाख रूपये का राजस्व अर्जित हुआ ।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

■ **प्रबन्ध पद्धति** : इस विषय पर चार सप्ताह की अवधि का पाँचवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सितम्बर, 2008 में आयोजित किया गया, जिसमें विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की आर्थिक सहायता से सात विकासशील देशों के 11 सहभागियों ने भाग लिया। समापन समारोह इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रमाण पत्रों का वितरण श्री राकेश कक्कड़, अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 25 सितम्बर, 2008 को किया गया ।

area of 1000 square metres. The collection include about 6 lakh standards from all over the world and 70,000 technical books. The Bureau's library system comprises the Headquarters' Library (New Delhi) and four Regional Office Libraries at Mumbai, Kolkata, Chandigarh and Chennai. Reference services were provided to 4218 visitors by way of preparing 08 exhaustive subject bibliographies and making available, the reference materials of their choice. The reference unit fully supported the standards formulating departments by providing the bibliographies. It assisted the Indian Trade and Industry by answering 2858 long and short range queries as received from them. The Library continued to supply basis information for the updation of mechanized database of World Standards called "Manaksandarbhika" maintained by Information Technology Services Department. All the standards received here were codified as input for the database which now comprises above 3 lakh and 49335 records.

TRAINING SERVICES

Training Institute

Bureau of Indian Standards has set up National Institute of Training for Standardization (NITS) in the year 1995 to meet the training needs of industry, Government and Service sector. The institute is operating from its campus at NOIDA since May 2003.

Training Programmes for Industry

During the year, NITS organized 53 In-house programmes including 15 Lead Auditor Courses and 36 Open Programmes including 6 Lead Auditors Courses for the industry generating revenue of around Rs. 141.20 lakhs.

International Training Programmes

■ **Management Systems** : The 5th International Training Programme of four weeks duration on the above subject was organized in September 2008 which was attended by 11 participants from 7 developing countries with the financial support from Ministry of External Affairs, Government of India. Valedictory Function was organized at India International Centre, New Delhi. Certificates were distributed by Shri Rakesh Kacker, Additional Secretary, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Government of India on 25 September 2008.

■ **मानकीकरण तथा गुणता आश्वासन :** आठ सप्ताह की अवधि का इकतालीसवां अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उपयुक्त विषय पर अक्टूबर-दिसम्बर 2008 के दौरान आयोजित किया गया, जिसमें 20 देशों के 33 सहभागियों ने भाग लिया । सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन समारोह एनआईटीएस में आयोजित किया गया, जिसमें श्री राकेश कक्कड़, अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने 5 दिसम्बर, 2008 को सहभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए ।

हिन्दी सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

भा मा ब्यूरो मुख्यालय के अधिकारियों तथा स्टाफ के लिए 27 जून, 2008 को एनआईटीएस, नौएडा में एमएस वर्ड में हिन्दी सॉफ्टवेयर के उपयोग पर कार्यशाला आयोजित की गई ।

एनआईटीएस कर्मचारियों के लिए 24 मार्च 2009 को एनआईटीएस, नौएडा में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें हमारे रोजमर्रा के कार्य में हिंदी को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई ।

उपभोक्ता कल्याण निधि के अन्तर्गत कार्यक्रम

वर्ष के दौरान एनआईटीएस में राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 24 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया । अब तक एनआईटीएस ने 23 कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 447 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है ।

इस वर्ष "उपभोक्ता क्लब के अध्यापकों के लिए उपभोक्ता संरक्षण" पर भी एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया गया तथा 16 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया । अब तक ऐसे 6 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 110 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उपभोक्ता शिक्षा, प्रशिक्षण, एचआरडी क्षमता -निर्माण पर केन्द्रीय सेक्टर योजना

उपभोक्ता शिक्षा, प्रशिक्षण, एचआरडी क्षमता - निर्माण पर 16.98 करोड़ रूपये के परिव्यय का एक योजना प्रस्ताव निम्नलिखित उद्देश्यों से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया :

क) उपभोक्ता आंदोलन का और विस्तार करने के लिए उपभोक्ता के सभी वर्गों को शामिल करके उन्हें उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना ।

ख) मानकों का उपयोग करने की जानकारी का प्रचार करना तथा देश में गुणता संस्कृति को प्रोन्नत करना ।

ग) उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में उनको प्रशिक्षण देना ।

घ) केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र निकायों के सेवा दाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार के लिए वे अपनी सेवाओं में सुधार कर सकें ।

वर्ष के दौरान एनआईटीएस में प्रचार संगोष्ठी और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

■ **Standardization and Quality Assurance :** The 41st International Training Programme of 8-weeks duration on the above subject was organized during October – December 2008, which was attended by 33 participants from 20 countries. Valedictory Function was organized at NITS along with a cultural programme. Certificates to the participants were awarded by Shri Rakesh Kacker, Additional Secretary, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Government of India on 5th December 2008.

Training Programme on Hindi Software

A Workshop on use of Hindi Software in MS Word was organized for officers and staff of BIS HQs on 27 June 2008 at NITS, Noida.

A Hindi Workshop for NITS employees was organized on 24 March 2009 at NITS, Noida where various issues relating to promoting Hindi in our day-to-day work were discussed.

Programmes under Consumer Welfare Fund

During the year, NITS conducted one programme on Consumer Protection for State and District Level Officers in which 24 officials were trained. So far NITS has conducted 23 programmes training 447 officials.

This year another programme on "Consumer Protection for Teachers of Consumer Club" was also conducted and 16 teachers were trained. Till now 6 such programmes have been conducted and 110 teachers trained.

Central Sector Scheme on Consumer Education and Training, HRD and Capacity Building under XIth Five Year Plan

A Plan Proposal on Consumer Education and Training, HRD and Capacity Building with the following objectives was approved by the Govt. of India with an outlay of Rs. 16.98 crores :

a) To involve consumer of all sections and educate them on their rights in order to spread the consumer movement further.

b) To disseminate the know how about use of the Standards and to promote quality culture in the country.

c) To impart training to consumers in areas which affect the health and safety of consumers.

d) To impart training to service providers of Central and State/UT governments and public sector undertakings to improve their services which will in turn improve consumer satisfaction.

During the year a Publicity Seminar and one Training of Trainers Programme was organized at NITS. The Funds

विभिन्न मदों के अंतर्गत निधियों का उपयोग निम्नानुसार है :

utilization under different components is as follows :

Sl. No. क्रम सं.	Component मद	Fund Allocated (in lakhs) आबंटित निधि (लाखों में)	Amount Spent (in lakhs) व्यय की गई राशि (लाखों में)
1.	Procurement of Training Aids for NITS एनआईटीएस के लिए प्रशिक्षण साधनों की खरीद	21.00	7.12
2.	Training Programmes प्रशिक्षण कार्यक्रम	8.00	3.82
3.	Up-gradation of Infrastructure of NITS for Educational and Promotional Activities for Consumer Awareness उपभोक्ता जागरूकता के लिए शैक्षिक तथा संवर्धनात्मक गतिविधियों के लिए एनआईटीएस की आधार संरचना का अपग्रेडेशन	50.00	0.00
4.	ATIs / SIRDs / PRIs एटीआईएस / एसआईआरडीएस / पीआरआईएस	–	53.46
5.	Infrastructure development at 3 ROs & 3 BOs 3 क्षेत्रीय कार्यालयों और 3 शाखा कार्यालयों में आधार संरचना का विकास	12.00	3.40
6.	Advertisements and Publicity through Seminars and Ads in Public Media संगोष्ठियों द्वारा विज्ञापन और प्रचार तथा सार्वजनिक मीडिया में विज्ञापन	3.00	1.92
7.	Software Development through outsourced agency बाहरी एजेंसी द्वारा सॉफ्टवेयर का विकास	1.00	–
8.	Accreditation of Training Institute (NITS) and Training Course प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) और प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रत्यायन	1.00	–
	कुल Total	**96.00**	**69.72**

भा मा ब्यूरो अधिकारियों के लिए कार्यक्रम

वर्ष के दौरान विशिष्ट रूप से भा मा ब्यूरो अधिकारियों के लिए 6 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें प्रोन्नत सहायक निदेशकों के लिए 2 सप्ताह का इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जाँच अधिकारियों, प्रेजेंटिंग अधिकारियों, प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुरूपता मूल्यांकन तथा नये सामान्य वित्त नियमों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं । 202 से अधिक भा मा ब्यूरो कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

Programmes for BIS Officials

During the year 6 programmes were exclusively organized for BIS officials, which included 2 weeks Induction Training Programme for promoted Assistant Directors, Training Programme for Inquiry Officers, Presenting officers, Enforcement Officers, Training Programmes on Conformity Assessment and New General Financial Rules. More than 202 BIS employees have been trained.

उपभोक्ता संबंधित गतिविधियाँ

CONSUMER RELATED ACTIVITIES

मानक संवर्धन

STANDARDS PROMOTION

उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

Consumer Awareness Programmes

भारतीय मानकों का कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण है और यह भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमुख उद्देश्य रहा है । मानक संवर्धन तथा उपभाक्ता मामले विभाग मानकीकरण की अवधारणा, प्रमाणन तथा गुणता का उपभोक्ताओं में प्रचार करके इस दिशा में योगदान दे रहा है । इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानक संवर्धन तथा उपभोक्ता मामले विभाग विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखा कार्यालयों के माध्यम से नियमित रूप से जागरूकता

Implementation of Indian Standards is of great significance and has been a prime objective of the Bureau of Indian Standards. SP&CAD is contributing in this direction by promoting the concept of standardization, certification and quality amongst the consumers. For accomplishing this motive, SP&CAD is organizing regular Awareness Programmes through various ROs/BOs. These Awareness Programme are sometimes conducted

कार्यक्रम आयोजित कर रहा है । कई बार ये जागरूकता कार्यक्रम उपभोक्ता संगठनों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं । वर्ष 2008-2009 के दौरान 116 कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

मानकों का शैक्षिक उपयोग कार्यक्रम (ईयूएस)

विद्यार्थियों तथा पेशेवर संस्थानों के संकाय को मानकीकरण व प्रबंध पद्धतियों के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं में गुणता को अच्छी तरह से प्रारंभ कर सकें । मानक संवर्धन और उपभोक्ता मामले विभाग मानकों के शैक्षिक उपयोग पर नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसका विशिष्ट उद्देश्य पूर्ण देश में मानकीकरण के संदेश का प्रचार करना तथा विभिन्न पेशेवर संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में नवीनतम भारतीय मानकों के प्रति जागरूकता पैदा करना है । ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को वितरित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधी संदर्भ सामग्री तैयार कर ली गई है । वर्ष 2008-09 के दौरान मानकों के शैक्षिक उपयोग (ईयूएस) पर 11 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ।

उद्योग जागरूकता कार्यक्रम

उद्योग जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य लघु उद्योगों में मानकीकरण और प्रबंध पद्धतियों की अवधारणा का प्रचार करना है । ऐसे कार्यक्रमों में व्याख्यान और चर्चा शामिल है, जहाँ प्रतिभागी मानकीकरण, प्रबंध पद्धति, प्रमाणन, उत्पाद प्रमाणन और भा मा ब्यूरो की अन्य गतिविधियों के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हैं । क्षेत्र में उद्योगों की सघनता को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रमों में विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित मानकों पर भी प्रकाश डाला जाता है । इन कार्यक्रमों को उस क्षेत्र के स्थानीय उद्योग संघों तथा लघु उद्योग सेवा संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया जाता है । वर्ष 2008-09 के दौरान 13 उद्योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ

जन शिकायत

भा मा ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की जाती है और सुनवाई के लिए उनकी मॉनिटरी प्रतिमाह की जाती है । वर्ष 2008-09 के दौरान 50 शिकायतें पंजीकृत की गईं और 46 शिकायतों की सुनवाई व निपटान किया गया । भा मा ब्यूरो की जन शिकायत निपटान व्यवस्था के अंतर्गत शिकायतों को शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुसार नियत समय में निपटाने के प्रयास किए जाते हैं ।

क्षेत्रीय भाषाओं में लेख / राइटअप

उपभोक्ताओं के फायदे के लिए भा मा ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में मुख्य रूप से क्षेत्रीय भाषाओं के स्थानीय ख्याति प्राप्त लेखकों द्वारा लिखे लेख/राइटअप स्थानीय समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं, उपभोक्ता संगठनों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं / बुलेटिनों / न्यूज लैटरों में प्रकाशित कराने की योजना है । इस उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा स्थानीय प्रमुख लेखकों से संपर्क किया जाता है ।

उपभोक्ताओं के लाभ के लिए प्रकाशित विवरणिकाएँ

भा मा ब्यूरो ने उपभोक्ता के हितों से सम्बद्ध विषयों पर कई विवरणिकाएँ प्रकाशित की हैं । इनमें से कुछ सम्बद्ध क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित की गई हैं ।

in association with Consumer Organizations.116 programmes have been conducted during the year 2008 - 09.

Educational Utilization of Standards Programmes (EUS)

The students and faculty of professional institutions need to be trained in the field of standardization and management systems, so that they are well equipped to introduce quality in goods and services to be delivered by them. SP & CAD has been regularly conducting programmes on Educational Utilization of Standards with the specific aim to propagate the message of standardization and to create awareness about latest Indian Standards in various professional institutes and universities through out the country. Special kit of Reference Material pertaining to specialized fields has also been prepared for distribution amongst the participants in such programmes. Eleven EUS Programmes carried out in the year 2008 - 09.

Industry Awareness Programmes

The aim of the Industry Awareness Programme is to propagate the concept of standardization and management systems amongst small scale industries. Such programme/consist of lectures and discussions, where the participants are exposed to the concept of standardization, Management systems Certification, product certification and other BIS activities. Standards relating to specific industrial sector, depending upon the concentration of industries in the area, are also highlighted in such programmes. These programmes are organized in collaboration with Local Industry Associations and Small Industries Service Institute of that area. 13 Industry Awareness Programmes have been conducted in the year 2008-09.

CONSUMER RELATED ACTIVITIES

Public Grievances

Complaints regarding BIS certified products received from consumers are being reviewed and monitored every month for redressal. 50 complaints were registered and 46 complaints were redressed during the year 2008-09. Efforts are made to redress the grievances to the satisfaction of the complainant received as part of BIS Public Grievance Redressal mechanism within the stipulated time frame.

Articles / Write Up in Regional Languages

Articles / Write ups about BIS activities for the benefit of Consumers by prominent writers preferably in regional languages are planned to be published in local Newspapers and Magazines / Journals / Bulletins / News Letters published by Consumer Organizations. For this purpose, local prominent writers are contacted by RO/BO.

Brochures Published for the Benefit of Consumers

BIS has published a number of brochures on the subjects of consumers'interest. Some of them have been published in regional languages also by concerned RO/BO.

सुझाव योजना

भा मा ब्यूरो की गतिविधियों में कर्मचारियों को निकट सहभागिता के लिए भा मा ब्यूरो ने एक सुझाव योजना प्रारंभ की है । सुझाव योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपर महानिदेशक (तकनीकी) की अध्यक्षता में सुझाव समिति गठित की गई है ।

इस सुझाव योजना के सक्रिय कार्यान्वयन के लिए भा मा ब्यूरो के सभी कर्मचारियों से इंट्रानेट के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं ।

सिटीजन चार्टर

वर्तमान सिटीजन चार्टर को 'आईएस 15700 गुणता प्रबन्ध पद्धति – सार्वजनिक सेवा संगठनों द्वारा सेवा की गुणता की अपेक्षाएँ' के अनुरूप बनाने के लिए पुनरीक्षित किया गया है । पुनरीक्षित सिटीजन चार्टर को कार्यकारी समूह द्वारा अन्तिम रूप दिया गया है, जिसमें शीर्ष प्रबन्धन, मध्य स्तरीय प्रबन्धन, स्टाफ एसोसिएशन/संघ, उपभोक्ता तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधि शामिल हैं । दल के सदस्यों का चयन पारदर्शी पद्धति से किया गया है और इसके विवरण सभी को उपलब्ध हैं ।

पुनरीक्षित चार्टर के प्रकाशन के साथ भामाब्यूरो अपनी सेवा और सेवा डिलीवरी की प्रक्रिया में निरन्तर सुधार के लक्ष्य के साथ पारदर्शी, उत्तरदायित्व पूर्ण और दक्ष सेवा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है । इसे भा मा ब्यूरो की वेबसाइट पर डाला गया है । इसकी एक प्रति मंत्रालय को भेजी गई है ।

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता के माध्यम से ब्यूरो ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण के क्षेत्र में अपनी गतिविधियाँ जारी रखी । ब्यूरो ने अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी अपनी गतिविधियॉ जारी रखी । इनमें से कुछ गतिविधियों के विवरण पर प्रकाश नीचे डाला जा रहा है :

अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो ने मानकीकरण और अनुरूपता के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सक्रिय सहभागिता जारी रखी । भा मा ब्यूरो ने आईएसओ और आईईसी की विभिन्न बैठकों में भाग लेना और क्षेत्रीय और द्विपक्षीय, दोनों स्तरों पर सहयोग करना जारी रखा।

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ)

भा मा ब्यूरो ने आईएसओ समितियों/उप समितियों में भाग लिया जिनमें भारत 'पी' अर्थात् पार्टिसिपेटिंग मैम्बर है और जहाँ भारत के पास सचिवालय है, वहाँ उसने सौंपे हुए दायित्वों को निभाना जारी रखा ।

आईएसओ / टैकनिकल कमेटी (टीसी)/सब कमेटी (एससी) के कार्य में सहभागिता के सन्दर्भ में भा मा ब्यूरो ने डाटाबेस के प्रबन्धन के लिए आईएसओ ग्लोबल डायरेक्टरी का सफलतापूर्वक उपयोग किया है ।

दुबई, यूएई में आईएसओ जनरल एसेम्बली मीटिंग - श्री शरद गुप्ता, महानिदेशक, भा मा ब्यूरो के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने डेवको की 42वीं बैठक तथा आईएसओ / सीएससी / एफआईएन की 31वीं तथा आईएसओ परिषद् की 12-17 अक्टूबर 2008 को हुई 84वीं बैठक में भाग

Suggestion Scheme

In order to foster closer involvement and participation of employees in the activities of BIS a Suggestion Scheme had been introduced in BIS. Suggestion Committee has been reconstituted for effective implementation of suggestion scheme under the Chairmanship of ADGT.

To implement the Suggestion Scheme actively, suggestions have been invited from all employees of BIS through BIS intranet.

Citizen Charter

The existing Citizen Charter has been revised to bring in line with IS 15700 'Quality Management Systems – Requirements for Service Quality by Public Service Organizations'. The revised Citizen Charter has been finalized by the Working Group consisting of representatives from top management, middle management, staff association/unions, customers and other stakeholders. Selection of the team members has been done in a transparent manner, the details of which are accessible to all.

With the publication of this revised Charter, BIS is endeavouring to provide transparent, accountable and efficient service and aim to continually improve the service and service delivery process. This has been hosted on the BIS website and a copy has been sent to Ministry.

INTERNATIONAL ACTIVITIES

The Bureau continued its activities in the field of International Standardization by way of active participation in the various activities of the International organization for Standardization and International Electro Technical Commission. The Bureau also continued its activities in the field of regional and bilateral cooperation with other countries. The details of some of the activities are highlighted below :

International Activities

BIS continued its active participation at the International level in the field of Standardization and Conformity. BIS participated in various meetings of ISO and IEC and continued cooperation at both regional and bilateral level.

International Organization for Standardization (ISO)

BIS participated in ISO Committees / Subcommittees where India is a 'P' that is participating member and continued with the designated responsibilities, wherever India holds the secretariat.

BIS has been successfully utilizing the ISO Global Directory for managing the database with regard to participation in ISO/Technical Committee (TC)/Sub–Committee (SC) work.

ISO GA meeting at Dubai, UAE – A Indian delegation led by Shri Sharad Gupta, DGBIS attended the 42nd meeting of DEVCO and 31st ISOGA, ISO/CSC/FIN and

लिया । भा मा ब्यूरो ने भी आईएसओ टीएमबी के चुनावों में भाग लिया और 2009-2011 अवधि के लिए आईएसओ टीएमबी के लिए चुना गया ।

भारत में 8 आईएसओ/आईईसी तकनीकी समिति बैठक/कार्यशाला/प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए ।

क्षेत्रीय सम्पर्क अधिकारी (आरएलओ)

2009 तक की अवधि के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए श्री शरद गुप्ता, महानिदेशक, भा मा ब्यूरो को क्षेत्रीय सम्पर्क अधिकारी (आरएलओ) के रूप में नियुक्त किया गया है । दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शामिल देश अर्थात् भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका हैं । आरएलओ के रूप में महानिदेशक, भा मा ब्यूरो को अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण और सम्बद्ध गतिविधियों के सन्दर्भ में क्षेत्र के देशों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पहचानने और उनका विश्लेषण करने क्षेत्रीय मानकीकरण गतिविधियों के अनुकरण तथा हमारे भौगोलिक क्षेत्र में अनतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय योगदान देने का उत्तरदायित्व दिया गया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी)

आईईसी में राष्ट्रीय सहभागिता सशक्त की गई और भा मा ब्यूरो ने आईईसी की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया ।

भा मा ब्यूरो वैद्युत तथा इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों / संघटकों के प्रमाणन से सम्बद्ध आईईसीईई, आईईसीक्यू, आईईसीईएक्स का भी सदस्य है । आईईसी की जिन समितियों/ उपसमितियों में भारत पी सदस्य है, उनमें सक्रिय सहभागिता जारी रखी गई ।

- भारतीय शिष्ट मंडल ने साओ पोलो, ब्राजील में नवम्बर 2008 में आयोजित आईईसी जनरल मीटिंग तथा अन्य संबंधित बैठकों में भाग लिया ।

- भा मा ब्यूरो के कई अधिकारियों ने तथा उद्योग के प्रतिनिधियों ने इस अवधि के दौरान आईएसओ तथा आईईसी की विभिन्न तकनीकी एवं नीति स्तरीय बैठकों में भाग लिया ।

क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम

भा मा ब्यूरो ने मानक तथा अनुरूपता मूल्यांकन से सम्बन्धित क्षेत्रों में सार्क आदि क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम पर अनुवर्ती कार्यवाही करना जारी रखा ।

भा मा ब्यूरो ने सार्क मानक समन्वय बोर्ड (एसएससीबी) की जून 2008 में नेपाल में हुई बैठकों में भी भाग लिया । यूरोपीय संघ (ईयू) तथा पीएससी

84th meeting of ISO Council held during 12-17 October 2008. BIS had also contested for ISO TMB elections and were elected for the term 2009-2011.

Eight number of ISO/IEC Technical Committee meetings/ workshop/ trainings were also held in India.

Regional Liaison Officer (RLO)

Shri Sharad Gupta, DG, BIS was appointed as Regional Liaison Officer (RLO) for South Asian region till the term 2009. The South Asian region is comprised of countries namely, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Iran, Afghanistan and Sri Lanka. As RLO, DG, BIS has the responsibility of identifying and analyzing the needs and requirements of countries in the region with respect to international standardization and related activities; to follow regional standardization activities and to contribute actively for raising awareness on international standardization in our geographical region.

International Electrotechnical Commission (IEC)

The national participation in IEC was strengthened and BIS participated actively in the various activities of IEC.

BIS is also member of IECEE, IECQ, IECEx related to certification of electrical and electronic products / components. Active participation in the IEC Committee / Subcommittees where India is P member was continued.

- Indian Delegation attended IEC General Meeting and other associated meetings held at Sao Paulo, Brazil in November 2008.

- A number of BIS officers and industry representatives participated in various technical and policy level meetings of ISO and IEC during the period.

Regional Co-operation Programme

BIS continued to take follow up actions on Regional Cooperation Programmes such as SAARC in the areas related to Standards and Conformity Assessment.

BIS also participated in the meetings of the SAARC Standards Coordination Board (SSCB) in Nepal in

(प्रशांत एशिया मानक कांग्रेस) के साथ समन्वय कार्य जारी रखा। भा मा ब्यूरो की यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से वार्ता तय में प्रतिभागिता रही है।

द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम

भा मा ब्यूरो तथा मानक और गुणता नियंत्रण प्राधिकरण (एसक्यूसीए) भूटान के बीच दिसम्बर 2008 में नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य मानकों तथा अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग करना है।

भा मा ब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के निकट सहयोग से ब्राजील, भूटान, बंगला देश, नेपाल, कीनिया, नाईजिरिया, मॉरीशस, ग्रीस सिंगापुर, ओमान, यूएसए, इजरायल तथा सऊदी अरब के साथ निकट द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में कार्य जारी रखा।

विदेशी प्रतिनिधियों का दौरा

वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मानक निकायों, अन्य राष्ट्रीय मानक निकायों और सम्बन्धित संगठनों के विभिन्न अधिकारियों ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया और मानक और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग पर विचार-विमर्श किया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण दौरे निम्नलिखित हैं :

- डीकेई और जर्मनी उद्योग के सात सदस्यीय शिष्ट मण्डल ने 25.4.2008 को भा मा ब्यूरो का दौरा किया तथा द्विपक्षीय चर्चा की।
- श्री शुजी हिराकावा, सचिव आईईसी/टीसी 100 ने 22 मई 2008 को भा मा ब्यूरो का दौरा किया तथा आईईसी/टीसी 100 के अधिकारियों एवं सदस्यों से विचारों का आदान-प्रदान किया।
- 4 नवम्बर 2008 को इजरायली शिष्ट मण्डल ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया तथा जल प्रौद्योगिकी के सहयोग तथा एसआईआई और भा मा ब्यूरो के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर संबंधी मुद्दों पर चर्चा की।
- थाइलेंड के एक शिष्ट मंडल, जिसमें थाई औद्योगिक स्टेंड्र्ड इंस्टीट्यूट शामिल है, ने 11 नवम्बर 2008 को भा मा ब्यूरो का दौरा किया। इसमें चर्चा के मुद्दे विद्युत और इलैक्ट्रानिक निकाय में व्यापार से संबंधित थे।
- दिसम्बर, 2008 को कीनिया प्रतिनिधि दल ने जेटीसी बैठकों में भाग लेने के लिए भा मा ब्यूरो का दौरा किया।
- जापान के शिष्टमंडल ने सामाजिक दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों की चर्चा के लिए भा मा ब्यूरो का दौरा किया।
- श्री जेकवीज रेजिज, आईईसी अध्यक्ष ने 3 फरवरी, 2009 को भा मा ब्यूरो का दौरा किया।

June 2008. Coordination work with EU and PASC (Pacific Asia Standards Congress) was continued. BIS has been participating in negotiation with EU through Ministry of Commerce for Bilateral trade agreement.

Bilateral Co-operation Programmes

An MoU was signed in New Delhi in December 2008 between BIS and Standards and Quality Control authority (SQCA) Bhutan. The MoU is aimed at Cooperation in the field of standards and conformity assessment.

BIS continued to work towards closer bilateral cooperation with countries such as Brazil, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Kenya. Nigeria, Mauritius, Greece, Singapore, Oman, USA, Israel and Saudi Arabia in close association with Ministry of Commerce and Ministry of External Affairs.

Visit of Foreign Delegates

During the year, various officials from International Standards Bodies, other National Standards Bodies and related organizations visited BIS and held discussions for cooperation in the field of standards and conformity assessment. Some of the important visits are as under:

- Seven member delegation from DKE and industry of Germany visited BIS and has bilateral discussions on 25 April 2008.
- Mr. Shuji Hirakawa, Secretary IEC/TC 100 visited BIS on 22 May 2008 and had interaction with the officers and members of the NMC of IEC/TC 100.
- A Delegation from Israel visited BIS on 4th November 2008 and discussed the issues pertaining to cooperation in the water technology and signing of MoU between SII and BIS.
- A delegation from Thailand visited BIS on 11th November 2008, comprising of Thai Industrial Standards Institute.The issues of discussion pertained to trade in electrical and electronics sector.
- Representatives from Kenya visited BIS on December 2008 to attend the JTC meetings.
- A Delegation from Japan visited BIS to discuss International standards on Social Responsibility.
- Mr. Jacques Regis, IEC President visited BIS on 3rd February 2009.

- एएनएसआई के एक शिष्टमंडल ने 19 फरवरी, 2009 को भा मा ब्यूरो का दौरा किया।
- श्री जो भाटिया सीईओ (एएनएसआई), यूएसए ने 19 फरवरी, 2009 को भा मा ब्यूरो का दौरा किया।
- सउदी अरब के एक शिष्टमंडल ने 19 फरवरी, 2009 को भा मा ब्यूरो का दौरा किया।

डब्ल्यूटीओ

एमओसी द्वारा पदनामित किए जाने पर भा मा ब्यूरो ने डब्ल्यूटीओटीबीटी जाँच बिंदू के दायित्वों को निभाने का कार्य जारी रखा। अवधि के दौरान टीबीटी की सूचनाएँ दी गईं और पणधारकों को संवेदी बनाने के लिए प्रयास किए।

कम्प्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचालन

सूचना प्रौद्योगिकी ने विश्व में चारो ओर अग्रणी स्थान ले लिया है। इन परिवर्तन की आवश्यकताओं की जानकारी रखने के उद्देश्य के लिये, भा मा ब्यूरो अपने संसाधनों को विभिन्न गतिविधियों में निर्बाध इस्तेमाल के लिए दोषमुक्त प्रबन्ध हेतु कम्प्यूटरीकृत आधारित प्रणाली को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है।

भा मा ब्यूरो गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण

भा मा ब्यूरो गतिविधियों का एकीकृत कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत प्रमाणन मुहर सॉफ्टवेयर को अद्यतन किया गया है, ताकि नई योजना के अंतर्गत नए फीचरों को इसमें शामिल किया जा सके। पुस्तकालय सूचना प्रबन्धन पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है और मानकों और अन्य प्रकाशनों के रैट्रो-कंवर्शन तथा बारकोडिंग के पाइलेट परियोजना को कार्यान्वित कर दिया है।मानक निर्धारण पर सॉफ्टवेयर पर (एसएफएसएम) को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और यह नियोजन के लिए परीक्षण की अन्तिम अवस्था में है। डब्ल्यूटीओ-टीबीटी पूछताछ बिन्दु को इसका उपयोग करने वाले विभाग की अपेक्षाओं के अनुसार संशोधित किया गया है और नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। सीई मुहरांकन सॉफ्टवेयर अपलोड किया गया है और इसे प्रचालन योग्य बनाया गया है।

भा मा ब्यूरो के अधिकारियों और स्टाफ के बीच कम्प्यूटर के उपयोग को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न कार्यालयों की अपेक्षाओं के आधार पर अतिरिक्त कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपीएस इत्यादि की प्राप्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत अधिकांश कार्य वेबसाइट प्रबंधन सहित बड़ी संख्या में कमीशन किए गए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर सम्बन्धी भौतिक सुविधाओं के रखरखाव का ही रहा, जिसमें सर्वर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, नेटवर्क, वीपीएन कनेक्टिविटी इत्यादि शामिल है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर विकास, एन्टी वायरस प्रबन्धन, परीक्षण रिपोर्ट अपलोडिंग सॉफ्टवेयर, प्रयोगशाला संबंधी नियमित आँकड़े अपलोडिंग, विदेशी प्रमाणन आदि और ईमेल अकाउण्ट प्रबन्ध इत्यादि भी किया गया। मानकों की ई-सेल पर निविदा प्रलेख इत्यादि तैयार करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति कर दी गई। सम्मेलन कक्ष में वाई-फाई उपलब्ध कराया गया।

कागज रहित कार्य मिशन

कागज रहित कार्य की दिशा में बढ़ने के मुख्य निर्णय के अनुपालन में अधिकांश प्रलेख (उन प्रलेखों को छोड़कर, जो गोपनीय अथवा वित्तीय अनुमोदन की अपेक्षा रखते हैं) ई-मेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। इंट्रानेट

- A delegation from ANSI visited BIS on 19th Feb 2009.
- Shri Joe Bhatia, CEO (ANSI), USA visited BIS on 19th Feb 2009.
- Delegations from Saudi Arabia visited BIS on 19th Feb 2009.

WTO

BIS continues to handle the responsibilities of WTO-TBT enquiry Point, as designated by MOC. During the period TBT Notifications were disseminated and efforts were made to sensitize the stakeholders.

COMPUTERIZATION AND OFFICE AUTOMATION

Information technology has today taken the leading position everywhere around the globe. In order to keep abreast of changing needs, BIS is in the process of implementing computerized based systems across its various activities to flawlessly manage its resources.

Computerization of BIS Activities

Under the project on "Integrated Computerization of BIS Activities", the software for certification marks has been updated to accommodate features envisaged under new scheme. The software for library information management has been installed and the pilot project for retro-conversion and bar coding of standards and other publications has been implemented. Software for standards formulation (SFSM) has been fine tuned and is in final stages of testing for deployment. WTO-TBT Enquiry point, is modified as per user department requirement and is updated regularly. CE Marking software is uploaded and made operational.

Proposal for procurement of additional computers, printers, UPS, etc, have been put up based on the requirements of various offices for extending the computer usage amidst officers and staff in BIS. Most of the work included website management, maintaining the huge hardware and software infrastructure commissioned under this project which included servers, computers, printers, networks, VPN connectivity etc, In addition to this, software development, anti-virus management, Test report uploading software, regular updation of data relating to laboratory, foreign certification, etc, and email accounts management have also been done. Consultant for preparation of tender document, etc, for e-sale of standards has been appointed. Wi-Fi has been provided at Conference Hall.

Mission Paperless

In pursuance of a major decision to move towards paperless working, most of the documents (except those requiring confidentiality and financial approvals)

साइट (इंट्रा-बीआईएस) को ज्ञान से समृद्ध शेयर किए जाने वाले संसाधन के रूप में भा मा ब्यूरो के सभी कार्यालयों द्वारा प्रतिदिन उपयोग में लाया जा रहा है।

भा मा ब्यूरो वेबसाइट

वर्तमान सूचना के परिवर्धन/अद्यतन करने के माध्यम से वेबसाइट की अन्तर वस्तु को समृद्ध बनाया गया है। अब भा मा ब्यूरो वेबसाइट पर प्रमाणित विदेशी निर्माताओं/लाइसेंसधारियों की सूची उपलब्ध है। विदेशी सीमेंट विनिर्माताओं के लिए एक अनन्य रूप से खंड बनाया गया है। आवेदकों व लाइसेंसों की स्थिति नियमित रूप से अद्यतन की जाती है। स्वर्ण तथा रजत आभूषणों की हॉलमार्किंग योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए एक पृथक खण्ड शामिल किया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वेबसाइट पर काफी सूचना प्रकाशित की गयी है।

इंट्रानेट (इंट्रा बीआईएस)

दैनिक आधार पर सूचनाओं के परिवर्धन द्वारा इंट्रानेट के आकार और विषय वस्तु में वृद्धि हो रही है। इंट्रानेट को उपयाक्ता अनुकूल बनाने के लिए शीर्षों कों गतिविधिवार बनाया गया है। महत्वपूर्ण कार्यालयी सूचना जैसे कार्यालय परिपत्र, परीक्षण निरीक्षण योजना, संशोधन, मैनुअल, मार्गदर्शी सिद्धान्त, प्रपत्र, परीक्षण प्रभार, परीक्षण सुविधाएँ, ऑनलाइन अद्यतन फीचर इत्यादि सूचना के अधिक तेजी से वितरण और नियमित सन्दर्भ के लिए बीआईएस इंट्रानेट पर डाले जा रहे हैं।

हिंदी संबंधी कार्य

भा मा ब्यूरो इंट्रानेट में कुछ द्विभाषी फार्म जोड़े किए गए हैं।

परियोजना प्रबन्धन

परियोजना प्रबन्ध तथा कार्य विभाग निम्नलिखित कार्य करता है:

1) भा मा ब्यूरो के नए भवनों के निर्माण सहित निर्माण कार्य से सम्बद्ध सभी इंजीनियरी परियोजनाओं पर कार्य करना।

2) वित्त समिति तथा कार्यकारी समिति की बैठकों में विचार के लिए कार्यसूची की मद तैयार करने के साथ परियोजना/कार्य आरम्भ करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना।

3) प्रस्तावित परियोजना/कार्य के लिए उपयुक्त सलाहकार/ठेकेदार नियुक्त करना तथा सक्षम अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

4) सलाहकार/ठेकेदार को भुगतान, समन्वय तथा अन्य सम्बद्ध पहलुओं सहित सिविल, विद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरी प्रकृति की सभी परियोजनाओं एवं कार्यों की निष्पादन गतिविधि का पर्यवेक्षण करना।

5) क्षेत्रीय कार्यालय/केन्द्रीय प्रयोगशाला/प्रशिक्षण संस्थान/मुख्यालय से प्राप्त सिविल, विद्युत तथा यांत्रिक और उद्यान कार्य के त्रैमासिक विवरण का संकलन तथा उसे मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजना और उनकी ओर से उसे आगे केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक को भेजना।

are being transacted over email. The intranet site (Intra-BIS) started as a knowledge rich sharable resource is being used on day- to-day basis by all offices of BIS.

BIS Website

The content of website has been made rich by addition/updation of existing information. List of certified foreign manufacturers/licensees are now available on BIS website. An exclusive section has been created for foreign cement manufacturers. The status of applicants & licenses is updated regularly. A separate section for popularizing the Scheme of Hallmarking Gold and Silver Jewellery has been incorporated. A lot of information has been published on the web site under *Right to Information Act 2005*.

Intranet (Intra BIS)

The intranet is growing in size and content by addition of information on day-to-day basis. In intranet activity wise headings have been created to make it user friendly. Important in-house information such as office circulars, STIs, amendments, manuals/guidelines, forms, testing charges, testing facilities with online updation feature, etc, are hosted on IntraBIS for faster dissemination and regular reference.

Hindi Related Work

Some bilingual forms have been added in BIS intranet.

PROJECT MANAGEMENT

The Project Management and Works Department works with the following scope:

1) To deal with all engineering projects related works including construction of new buildings of BIS.

2) To prepare a proposal for obtaining administrative approval and financial sanction to initiate a project/work including preparation of agenda items for consideration in meetings of Finance Committee and Executive Committee.

3) To appoint suitable consultant/contractor for the proposed project/work and any other task assigned by the competent authority.

4) To supervise the execution activity in all the projects and works of civil, electrical and mechanical engineering nature including payments to consultants/contractors, coordination and other related aspects.

5) Compilation of quarterly statement of civil, electrical & mechanical and horticultural work received from Regional Offices/Central Laboratory/Training Institute / HQs. and sending the same to Chief Vigilance Officer for onwards submission to Chief Technical Central Vigilance Commission.

2008-2009 में परियोजना प्रबन्ध तथा कार्य विभाग ने निम्नलिखित योजनाओं का कार्य देखा :

जम्मू में जम्मू कार्यालय/प्रयोगशाला बिल्डिंग

उक्त कार्यालय-सह-प्रयोगशाला के निर्माण कार्य को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जम्मू द्वारा स्वीकृति दे दी गई है । इस कार्य को प्रारंभ करने के कदम उठाए गए ।

राजकोट में राजकोट कार्यालय बिल्डिंग

भा मा ब्यूरो द्वारा राजकोट में अधिग्रहित भूमि पर कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राजकोट के साथ आरंभिक चर्चा शुरू की गई ।

मानव संसाधन विकास

31 मार्च, 2009 को भा मा ब्यूरो में कुल कर्मचारियों की कुल संख्या 1699 थी । वर्ष 2008-09 के दौरान भा मा ब्यूरो में विभिन्न गतिविधियों में लगे कार्मिकों की सूची निम्नलिखित है:

गतिविधि	31 मार्च 2009 को कार्मिकों की स्थिति
निगमित	50
मानक निर्धारण	167
प्रमाणन	984
प्रयोगशालाएँ	149
तकनीकी सहायी सेवा	190
प्रशासन और वित्त	159
कुल योग	**1699**

31 मार्च, 2009 को समूहवार जनशक्ति निम्नलिखित अनुसार है:

समूह	अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ शारीरिक विकलांग प्रतिनिधित्व	योग
क	109	458
ख	124	528
ग	109	399
घ	141	314

स्टाफ कल्याण

भा मा ब्यूरो द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए अपनाए गए उपाय जैसे सामूहिक बीमा योजना और हॉलिडे होम, अंशकालिक डाक्टर की नियुक्ति, जलपान, कूपन आदि की सुविधा जारी रखी गई ।

उक्त के अतिरिक्त कार्यकारी समिति (ईसी) के अनुमोदन के बाद वर्ष के दौरान समूह ग और घ कर्मचारियों के लिए छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई और महिला कर्मचारियों के लिए अस्वस्थ महिला / क्लब रूम शुरू किया गया ।

भा मा ब्यूरो कार्मिकों को प्रशिक्षण

भा मा ब्यूरो ने मानव संसाधन विकास के अपने प्रयत्न जारी रखे। मानव संसाधन विकास के भाग के रूप में भा मा ब्यूरो कार्मिकों को घरेलू शिक्षण

Project Management and Works Department looked after the following projects in 2008-09.

Jammu Office / Laboratory Building at JAMMU

The work of construction of above office cum laboratory has been accepted by CPWD Jammu. Steps taken for start of work.

Rajkot Office Building at RAJKOT

Initial talks started with CPWD, Rajkot for construction of office building on land acquired by BIS at Rajkot.

HUMAN RESOURCE DEVELOPEMENT

As on 31 March 2009, a total of 1699 persons were on roll in BIS. The deployment of personnel in the various activities of BIS during 2008-09 is given below :

Activity	Deployment of Personnel as on 31 March 2009
Corporate	50
Standards Formulation	167
Certification	984
Laboratories	149
Technical Support Services	190
Administration and Finance	159
Total	**1699**

As on 31 March 2009, the Group-wise strength is as under :

Group	SC/ST/OBC/PH Representation	Total
A	109	458
B	124	528
C	109	399
D	141	314

Staff Welfare

Welfare measures adopted by BIS for its employees such as Group Insurance Scheme, facility of Holiday Homes, engagement of part time doctor, refreshment coupons etc, were continued.

Apart from above, a scholarship scheme after the approval of Executive Committee (EC) for Group C & D employees have been commenced during the year, and a ladies sick/club room has been set up for the women employees.

Training of BIS Personnel

BIS continued to make its efforts on development of human resource. As a part of the development of human resource, BIS personnel are imparted training through in-

कार्यक्रमों द्वारा एनआईटीएस में प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें (भारत में स्थित) विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भी नियुक्त किया जाता है।

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षण

लगातार 20 वें वर्ष अर्थात् 2008-09 के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (भा मा ब्यूरो) ने अपने व्यय तथा अन्य दायित्वों के लिए आत्मनिर्भर रहना जारी रखा। कुल आय (ब्याज को छोड़कर) पिछले वर्ष की आय रू. 16460.51 लाख की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान रू. 17899.10 लाख थी जिसमें 8.74% की वृद्धि हुई। इसमें सबसे बड़ा योगदान आईएसआई प्रमाणन मुहर शुल्क से प्राप्त आय थी जो पिछले साल के रूपए 14379.04 लाख की तुलना में इस वर्ष रूपए 15721.12 थी अर्थात् इसमें 9.33% की वृद्धि हुई । इसका कारण लाइसेंसों की संख्या में वृद्धि और उत्पादन के आधार पर मुहरांकन शुल्क से प्राप्त आय में बढ़ोतरी था।

वर्ष 2008 - 09 के दौरान कुल व्यय रू.12394.51 लाख रहा जबकि वर्ष 2007 - 08 में यह रू.9101.93 लाख था। 36.17 प्रतिशत व्यय अधिक हुआ। इसका मुख्य कारण छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना तथा 1.1.2006 से 40 प्रतिशत बकाये (एरियर्स) का भुगतान करना है।

आय तथा व्यय खाते (कुल आय रू. 19591.41 लाख घटाऐं व्यय रू. 12394.51 लाख) में शेष कुल रू. 7196.90 लाख अधिशेष को पूँजीगत निधि खाते में ले जाया गया।

2008-09 और 2007-08 की आय-व्यय का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है:

house training programmes at NITS and also by deputing them to the training programmes being organized by various agencies (within India).

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

For the Twentieth consecutive year that is 2008-09, Bureau of Indian Standards (BIS) continued to be self reliant in meeting its expenditure and other liabilities. Total income (excluding interest) during the year 2008-09 was Rs. 17899.10 lakhs against Rs. 16460.51 lakhs in the previous year resulting in an increase of 8.74%. The largest contribution to the income was from ISI Certification Marking Fee which stood at Rs. 15721.12 lakhs against Rs. 14379.04 lakhs in the previous year i.e. an increase of 9.33%. This is due to increase in number of licences and marking fee income based on production.

The total revenue expenditure during the year 2008-09 stood at Rs. 12394.51 lakhs as against Rs. 9101.93 lakhs during 2007-08 registering an increase of 36.17% which is mainly due to implementation of the recommendations of Sixth Pay Commision and payment of 40% of arrears of pay w.e.f. 1-1-2006.

The remaining net surplus of Rs. 7196.90 lakhs in Income & Expenditure A/c (Total Income Rs. 19591.41 lakhs less expenditure Rs. 12394.51 lakhs) has been carried over to Capital Fund A/c.

A comparative statement of Income & Expenditure during 2008-09 *vis-a-vis* 2007- 08 is as under :

		(लाख रूपयों में) (Rs. in Lakhs)		वृद्धी / गिरावट (%)
	आय INCOME	**2008 - 09**	**2007- 08**	**Increase/decrease (%)**
1	बिक्री और सेवाओं से आय Income from Sales / Service	16769.84	15436.40	8.64
2	शुल्क / अंशदान Fee / Subscription	168.04	148.01	13.53
3	रॉयल्टी, प्रकाशनों से आय Income from Royalty, Publications	864.97	790.24	9.46
4	अन्य आय Other Income	96.25	85.86	12.10
	योग TOTAL	**17899.10**	**16460.51**	**8.74**
5	निवेश से आय Income from Investment	1692.31	822.62	105.72
	योग TOTAL	**19591.41**	**17283.13**	**13.36**
	व्यय EXPENDITURE			
1	स्थापना व्यय Establishment Expenses	8720.24	5536.82	57.50
2	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि Other Administrative Expenses etc	3359.46	3286.94	2.21
3	अनुदान, सहायिकि आदि पर व्यय Expenditure on Grants, Subsidies etc	–	–	–
4	मूल्यह्रास Depreciation	314.81	278.17	13.17
	कुल TOTAL	**12394.51**	**9101.93**	**36.17**
	पूंजी कोष में अंतरित अधिशेष Surplus Carried to Capital Fund	7196.90	8181.20	(–)12.03

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च 2009 का पक्का चिट्ठा
BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2009

(राशि रु./Amount Rs.)

	अनुसूची SCHEDULE	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
कार्पस निधि एवं देनदारियाँ CORPUS FUND AND LIABILITIES			
कार्पस / पूंजी निधि Corpus / Capital Fund	1	2,446,873,224	1,725,726,948
रिजर्व और निधियाँ Reserves & Funds		–	–
उद्दिष्ट/अक्षय निधि Earmarked / Endowment Fund	2	4,954,512,018	4,556,106,702
प्रतभूत ऋण और उधार Secured Loans and Borrowings		–	–
अहातभूत ऋण और उधार Unsecured Loans and Borrowings		–	–
आस्थगित क्रेडिट देनदारियाँ Deferred Credit Liabilities		–	–
वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान Current Liabilities and Provisions	3	73,722,553	69,941,193
योग Total		**7,475,107,795**	**6,351,774,843**
परिसम्पत्तियाँ ASSETS			
अचल परिसम्पत्तियाँ Fixed Assets	4	298,380,243	269,170,079
निवेश : उद्दिष्ट/अक्षय निधि Investments from Earmarked/Endowment Funds	5	4,894,799,443	4,514,363,538
निवेश : अन्य Investments-Others	6	1,610,212,013	801,965,923
वर्तमान परिसम्पत्तियौं ऋण अग्रिम आदि। Current Assets, Loans, Advances etc	7	671,716,096	766,275,303
विविध खर्च (बट्टे खाते या समायोजित न करने तक) Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		–	–
योग Total		**7,475,107,795**	**6,351,774,843**
सार्थक लेखा सम्बंधी नितियाँ Significant Accounting Policies	16		
आकस्मिक देनदारियाँ और लेखा पर टिप्पणियाँ Contingent Liabilities and Notes on Accounts	17		
निवेश का विवरण Details of Investment	18		

हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-
शरद गुप्ता	**अलिंद चंद्रा**	**के. के. भोजवानी**	**एच. आर. आहूजा**	**वी. पी. गोयल**
SHARAD GUPTA	**ALINDA CHANDRA**	**K. K. BHOJWANI**	**H. R. AHUJA**	**V. P. GOEL**
महानिदेशक	अपर महानिदेशक	उपमहानिदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	निदेशक (लेखा)
Director General	Addl. Director General	Dy. Director General (Finance)	Director (Finance)	Director (Accounts)

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2009

(राशि रु./Amount Rs.)

	अनुसूची SCHEDULE	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
आय INCOME			
बिक्री / सेवा से आय Income from Sales / Servies	8	1,676,984,127	1,543,639,960
अनुदान / सद्ययिकियाँ Grants / Subsidies		–	–
शुल्क / अंशदान Fees / Subscriptions	9	16,803,815	14,801,291
निवेशों से आय Income from Investments	10	169,230,455	82,261,528
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय Income from Royality, Publications etc	11	86,497,083	79,023,827
अर्जित ब्याज Interest Earned	12	124,168	146,945
अन्य आय Other Income	13	9,501,401	8,439,419
तैयार माल और डब्ल्यूआईपी के स्टॉक में वद्धि Increase in stock of Finished goods and WIP		–	–
योग (ए) Total (A)		**1,959,141,049**	**1,728,312,970**
व्यय EXPENDITIURE			
स्थापना खर्च Establishment Expenses	14	872,024,259	553,682,640
अन्य प्रशासनिक खर्च आदि Other Administrative Expenses etc	15	335,945,936	328,693,989
अनुदान, सद्ययिकियों आदि पर खर्च Expenditure on Grants, Subsidies etc		–	–
ब्याज Interest		–	–
मूल्यह्रास Depreciation		31,480,502	27,816,684
योग (बी) Total (B)		**1,239,450,697**	**910,193,313**
शेष अधिशेष कार्पस / पूंजी कोष में लाया गया BLANCE BEING SURPLUS CARRIED TO CORPUS / CAPITAL FUND		**719,690,352**	**818,119,657**
सार्थक लेखा सम्बंधी नीतियाँ Significant Accounting Policies	16		
आकस्मिक देनदारियाँ और लेखा पर टिप्पणियाँ Contingent Liabilities and notes on Accounts	17		
निवेश का विवरण Details of Investment	18		

हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-
शरद गुप्ता	**अलिंद चंद्रा**	**के. के. भोजवानी**	**एच. आर. आहूजा**	**वी. पी. गोयल**
SHARAD GUPTA	**ALINDA CHANDRA**	**K. K. BHOJWANI**	**H. R. AHUJA**	**V. P. GOEL**
महानिदेशक	अपर महानिदेशक	उपमहानिदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	निदेशक (लेखा)
Director General	Addl. Director General	Dy. Director General (Finance)	Director (Finance)	Director (Accounts)

31 मार्च 2009 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची बनाने का भाग
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2009

(राशि रु./Amount Rs.)

अनुसूची 1 – कार्पस / पूंजी निधि SCHEDULE 1 – CORPUS / CAPITAL FUND		चालू वर्ष CURRENT YEAR 2008 - 09		पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2007- 08
वर्ष के प्रारम्भ में रोकड जमा **Opening balance at the beginning of the year**		1,725,726,948		906,066,626
कार्पस / पूंजी निधि में अंशदान जोड़ें **Add Contributions towards Corpus / Capital Fund**				
i) मंत्रालय से योजना अनुदानों से पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत [अनुसूची 2 (कालम 5)] Cost of assets capitalised from plan grants from Ministry [Schedule 2 (column 5)]	93,672		94,791	
ii) बिहार सरकार के अनुदान से पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत Cost of assets capitalised from Grant from Govt. of Bihar	–		502,194	
iii) अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के अनुदान से पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत [अनुसूची 17 (टिप्पणी 9) और अनुसूची 2, कालम 4] Cost of assets capitalised from grant from Ministry of Non-conventional Energy Sources [Schedule17(Note 9) & Schedule 2, column 4]	309,687		810,082	
iv) उपभोक्ता कल्याण कोष की सहायता से पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत Cost of assets capitalised from assistance from Consumer Welfare Fund	–		21,798	
v) स्पाइस बोर्ड द्वारा सहायता के रूप में प्रदान की गई परिसम्पत्तियों (2 लेपटाप) की लागत Cost of Assets (2 Laptops) provided by Spice Board as aid	–		111,800	
vi) मंत्रालय की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणता आधारिक संरचना योजना के अन्तर्गत परियोजना से प्राप्त कोष से पूंजीकृत परिसम्पत्तियों का खर्च [अनुसूची 2 कालम 2 और अनुसूची 17 (टिप्पणी 8] Cost of Assets capitalzied from funds from Ministry under XIth Five Year Plan under the project "Quality Infrastructure for Consumer Protection" [Schedule 2, Column 2 & Schedule 17 (Note 8)]	1,052,565		–	
योग (i) से (vi) **TOTAL (i) to (vi)**		**1,455,924**		**1,540,665**
आय और व्यय लेखा से हस्तांतरित निवल आय का शेष जोड़ें Add : Balance of Net Icome transferred from Income & Expenditure Account		719,690,352		818,119,057
शेष वर्ष अंत जैसा **BLANCE AS AT THE YEAR-END**		**2,446,873,224**		**1,725,726,948**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च 2009 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची बनाने का भाग SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2009

अनुसूची 2 – इयरमार्क / अक्षय निधि SCHEDULE 2 – EARMARKED / ENDOWNMENT FUNDS

	हालमार्किंग केंद्रो को स्थापित करने की योजना के अंतर्गत उपभोक्ता मंत्रालय मामले से सहायता Assistance from MOCA under Scheme for Setting up of Hallmarking Centres (1)	उपभोक्ता संरक्षण के लिए परियोजना गुणता आधारभूत ढाँचे के अंतर्गत उपभोक्ता मामले मंत्रालय से सहायता (ग्यारहवी योजना) Assistance from MOCA Under the Project Quality Infrastractrue for Consumer Protection (XIth Plan) (2)	सी.डब्ल्यू.एफ. के अंतर्गत उपभोक्ता मामले मंत्रालय से सहायता Assistance from MOCA under C.W.F. (3)	अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के मंत्रालय से अनुदान Grant from Ministry of Non-conv-entional Energy Sources (4)	प्रयोगशाला उपस्कर अनुदान निधि (ग्यारहवी योजना से पूर्व) Lab Equipment Grant Fund (Prior to XIth Plan) (5)	भा मा ब्यूरो कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि G.P. Fund of BIS Employees (6)	अंशदान पेंशन निधि नई पेंशन योजना Contributary Pension Fund-New Pension Scheme (7)	पेंशन देयता लेखा Pension Liability Account (8)	योग / Total चालू वर्ष Current Year (9)	पिछला वर्ष Previous Year (10)
क) निधियों का रोकड शेष **a) Opening balance of the funds**	9,288,995	5,000,000	402,067	644,044	93,672	724,724,506	6,647,758	3,809,305,660	4,556,106,702	4,267,766,988
ख) निधियों में जोड **b) Additions to the Funds** i) सहायता / अनुदान Assistance/Grants	0	16,200,000	–	–	–	–	–	–	16,200,000	15,000,000
ii) निधि खाते से किये गए निवेशों पर ब्याज से आय Income from interest on investments made on account of funds	522,843	260,677	5,577	0	0	0	708,165	370,771,609	372,268,871	376,988,606
iii) अन्य जोड - निधि को अंशदान Other Addition-Contribution to the fund	0	0	0	0	0	156,954,592	5,258,888	109,289,328	271,502,808	149,756,156
योग (क + ख) TOTAL (a+b)	**9,811,838**	**21,460,677**	**407,644**	**644,044**	**93,672**	**881,679,098**	**12,614,811**	**4,289,366,597**	**5,216,078,381**	**4,809,511,750**
ग) निधियों के उद्देशों के लिए उपयोग / खर्च **c) Utillization / Expenditure towards objectives of funds** i) पूँजीगत खर्च अचल सम्पतियों Capital Expenditure - Fixed Assets	0	1,052,565	0	309,687	93,672	0	0	0	1,455,924	1,428,865
ii) राजस्व खर्च Revenue Expenditure - कर्मचारियों / पेंशनरों को भुगतान - Payments to employees / pensioners	0	0	0	0	0	90,572,391	62,755	158,967,224	249,602,370	248,721,019
- हॉलमार्किंग केंद्रो को सहायत प्रशिक्षण Assistance to Hallmarking Centres	3,386,677	0	0	0	0	0	0	0	3,386,677	2,451,378
सहयोग के लिए एटीआईएस और एसआईआरडीएस राज्य को सहायता Assistance to States, ATIs & SIRDs for Trg. Aids	0	5,346,010	0	0	0	0	0	0	5,346,010	–
अन्य प्रशासनिक खर्च Other Administrative Expenses	742,402	1,032,980	0	0	0	0	0	0	1,775,382	800,786
योग कुल राजस्व खर्च Total Revenue Expenditure	4,129,079	6,378,990	0	0	0	90,572,391	62,755	158,967,224	260,110,439	251,973,183
योग (ग) TOTAL (c)	**4,129,079**	**7,431,555**	**0**	**309,687**	**93,672**	**90,572,391**	**62,755**	**158,967,224**	**261,566,363**	**253,402,048**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क + ख + ग) NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b+c)	**5,682,759**	**14,029,122**	**407,644**	**334,357**	**0**	**791,106,707**	**12,552,056**	**4,130,399,373**	**4,954,512,018**	**4,556,106,702**

31 मार्च 2009 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची बनाने का भाग
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2009

(राशि रु./Amount Rs.)

अनुसूची 3 – चालू परिसम्पत्तियों और उपबंध SCHEDULE 3 – CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
क) चालू परिसम्पत्तियों CURRENT LIABILITIES		
1) सामान और सेवाओं के लिए फुटकर लेनदारियाँ Sundry creditors for Goods and Services		
क) अंतःदेशीय Inland	27,473,683	24,889,321
ख) निदेश Abroad	8,742,292	9,291,276
2) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम Advances received from Customers		
क) बिक्री Sales	444,296	346,227
ख) प्रमाणन Certification	5,559,084	8,380,380
3) संविधिक परिसम्पत्तियों Statutory Liabilities		
अन्य – देय सेवाकर Others – Service Tax Payable	719,529	429,369
4) अन्य चालू परिसम्पत्तियों Other Current Liabilities		
क) बयाना / धारण मूल्य Earnest Money/Retention Money	19,521,783	16,628,042
ख) लेखा देय कर्मचारी Accounts Payable Employees	1,862,220	453,765
ग) यूएनडीपी सहायता – अव्यपित खर्च शेष UMDP Assistance – Unspent Balance	0	210,702
घ) गुजरात सरकार (एबीओ बिल्डिंग लेखा) Govt. of Gujarat (ABO Building A/c)	1,399,666	1,312,111
ड) आस्थगित आय लेखा (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 5.4 देखें) Deferred Income A/c (See Note No. 5.4 of Schedule 17)	8,000,000	8,000,000
योग (क) TOTAL (A)	**73,722,553**	**69,941,193**
ख) उपबंध PROVISIONS	–	–
योग (क + ख) TOTAL (A+B)	**73,722,553**	**69,941,193**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च 2009 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची बनाने का भाग SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2009

अनुसूची 4 – विवरण
SCHEDULE 4 – DISCRIPTION

		सकल ब्लाक GROSS BLOCK				मूल्यह्रास DEPRECIATION				निवल ब्लाक NET BLOCK	
		वर्ष के प्रारम्भ पर सर्वमान Cost / Valuation As at beginning of the year	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	वर्ष के अंत में लागत मान Cost / valuation at the year end	वर्ष के प्रारम्भ में As at the beginning of the year	वर्ष के दौरान परिवर्धन On Additions during the year	वर्ष के दौरान कटौती पर On Deductions during the year	वर्ष के अंत तक योग Total up to the Year-end	चालू वर्ष के अंत को As at the Current year - end	पूर्व वर्ष के अंत को As at the Previous year -end
A	**स्थायी परिसम्पत्तियाँ FIXED ASSETS**										
1	**पट्टा भूमि Land - Leasehold**										
1.1	भूमि - जम्मू Land-Jammu	49,467	0	0	49,467	0	0	0	0	49,467	49,467
1.2	भूमि - राजकोट Land-Rajkot	0	41,096,467	0	41,096,467	0	0	0	0	41,096,467	0
	योग (1) TOTAL (1)	49,467	41,096,467	0	41,145,934	0	0	0	0	41,145,934	49,467
2	**भवन - पट्टा भूमि पर Building - On Leasehold Land**										
2.1	मुख्यालय, दिल्ली Headquarters, Delhi	14,608101	0	0	14,608,101	11,216,539	345,295	0	11,561,834	3,046,267	3,391,562
2.2	चैन्नई Chennai - I	1,133,556	0	0	1,133,556	912,832	20,102	0	932,934	200,622	220,724
2.3	चैन्नई Chennai - II	9,262,130	0	0	9,262,130	6,168,899	309,323	0	6,478,222	2,783,908	3,093,231
2.4	केन्द्रीय प्रयोगशाला साहिबाबाद Central Laboratory, Sahibabad	14,365,960	0	0	14,365,960	10,848,309	351,765	0	11,200,074	3,165,886	3,517,651
2.5	मुम्बई Mumbai	7,674,627	0	0	7,674,627	4,473,493	345,627	0	4,819,120	2,855,507	3,201,134
2.6	कोलकत्ता Kolkata - I	3,112,636	0	0	3,112,636	2,396,498	52,059	0	2,448,557	664,079	716,138
2.7	कोलकत्ता Kolkata - II	10,033,560	0	0	10,033,560	5,726,535	376,703	0	6,103,238	3,930,322	4,307.025
2.8	मुख्यालय की बिल्डिंग का विस्तार - मानक भवन में आडिटोरियम Ext.of HQ Building - Auditorium in Manak Bhawan	1,442,902	0	0	1,442,902	1,215,304	23,017	0	1,238,321	204,581	227,598
2.9	नौएडा में प्रशिक्षण संस्थान Training Institute at Noida	111,232,700	0	0	111,232,700	27,066,204	8,416,650	0	35,482,854	75,749,846	84,166,496
2.10	भोपाल Bhopal	15,882,997	0	0	15,882,997	7,892,613	799,039	0	8,691,652	7,191,345	7,990,384
2.11	जयपुर Jaipur	46,208,680	0	0	46,208,680	6,001,132	2,539,793	0	8,540,925	37,667,755	40,207,548
2.12	फरिदाबाद Faridabad	13,388,106	0	0	13,388,106	6,046,671	734,620	0	6,781,291	6,606,815	7,341,435
2.13	आवासी फ्लैट Residential Flats	62,296,310	0	0	62,296,310	29,690,281	1,630,300	0	31,320,581	30,975,729	32,606,029
	योग (2) TOTAL (2)	310,642,265	0	0	310,642,265	119,655,310	15,944,293	0	135,599,603	175,042,662	190,986,955
3	**संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर PLANT, MACHINARY AND EQUIPMENTS**										
3.1	प्रयोगशाला उपस्कर - योजना निधि Laboratory Equipment Plan Funds	143,473,856	93,672	225,101	143,342,427	137,571,107	870,132	231,182	138,210,057	5,132,370	5,902,749
3.2	प्रयोगशाला उपस्कर - भा मा ब्यूरो निधि Laboratory Equipment - BIS Funds	32,837,965	9,771,011	0	42,608,976	13,873,701	2,542,222	0	16,415,923	26,193,053	18,964,264
3.3	रिप्रोग्राफीय और जीरॉक्स उपस्कर Reprographic and Xerox Equipment	653,909	0	0	653,909	652,033	281	0	652,314	1,595	1,876
3.4	मुख्यालय बिल्डिंग का विस्तार - अग्नि शमन योजना Ext.of HQ Building - Fire Fighting Project	2,801,090	0	0	2,801,090	2,474,341	37,865	0	2,512,206	288,884	326,749
3.5	विश्व बैंक परियोजना उपस्कर World Bank Project Equipment	25,064,949	0	66,325	24,998,624	20,640,938	663,677	64,799	21,239,816	3,758,808	4,424,011
3.6	अग्नि सुरक्षा उपायों का परिवर्धन Additional Fire Safety Measures	3,255,717	0	0	3,255,717	2,131,045	168,701	0	2,299,746	955,971	1,124,672
3.7	प्रयोगशाला उपस्कर अनुदान - एन सी ई एस मंत्रालय Laboratory Equipments Grant - Min. of NCES	1,005,956	309,687	0	1,315,643	145,244	156,410	0	301,654	1,013,989	860,712
	योग (3) TOTAL(3)	209,093,442	10,174,370	291,426	218,976,386	177,488,409	4,439,288	295,981	181,631,716	37,344,670	31,605,033
4	**वाहन VEHICLES**	3,502,034	0	0	3,502,034	2,271,636	183,864	0	2,455,500	1,046,534	1,230,398
5	**फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर और कम्प्यूटर परिधीय FURNITURE, OFFICE EQUIPMENTS & COMPUTER PERIPHERALS**										
5.1	फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर और कम्प्यूटर परिधीय Furniture, Office Equipments & Computer Peripherals	120,533,391	7,529,773	2,434,386	125,628,778	92,772,844	7,247,026	2,119,827	97,900,043	27,728,735	27,760,547
5.2	एकीकृत कम्प्यूटीकरण परियोजना के अंतर्गत कम्प्यूटर (एनसीआई) Computers under Integrated Computerization Project (NIC)	80,632,667	0	39,785	80,592,882	77,681,599	1,770,072	39,378	79,412,293	1,180,589	2,951,068
5.3	एन आई टी एस पर सी डब्ल्यू एफ में से परिसम्पत्तियाँ Assets out of CWF at NITS	11,215,824	0	0	11,215,824	5,573,122	646,533	0	6,219,655	4,996,169	5,642,702
5.4	अचल परिसम्पत्तियाँ Fixed Assets - Out of XIth Plan Funds	0	1,052,565	0	1,052,565	0	130,662	0	130,662	921,903	0
	योग (5) TOTAL(5)	212,381,882	8,582,338	2,474,171	218,490,049	176,027,565	9,794,293	2,159,205	183,662,653	34,827,396	36,354,317
6	**पुस्तकालय की पुस्तकें LIBRARY BOOKS**	22,013,738	1,147,902	0	23,161,640	21,677,225	1,118,764	0	22,795,989	365,651	336,513
	चालू वर्ष का योग TOTAL OF CURRENT YEAR	**757,682,828**	**61,001,077**	**2,765,597**	**815,918,308**	**497,120,145**	**31,480,502**	**2,455,186**	**526,145,461**	**289,772,847**	**260,562,683**
	पूर्व वर्ष का योग PREVIOUS YEAR	731,954,485	27,253,638	1,525,295	740,396,881	470,571,269	27,816,684	1,267,808	470,571,269		
B	**प्रगति में पूंजीगत कार्य CAPITAL WORK IN PROGRESS**									**8,607,396**	**8,607,396**
	योग TOTAL									**298,380,243**	**269,170,079**

31 मार्च 2009 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची बनाने का भाग
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2009

(राशि रु./Amount Rs.)

अनुसूची 5 – उद्दिष्ट / अक्षय निधि से निवेश SCHEDULE 5 – INVESTMENTS FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUND	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
1) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	132,925,888	117,228,000
2) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government Securities	97,983,701	88,929,000
3) डिबेंचर और बंधपत्र Debentures and Bonds	681,885,231	274,070,000
4) आरबीआई विशेष जमा RBI Special Deposits	312,708,594	312,709,000
5) बैंकों के पास सावधि जमा Fixed Deposits with Banks	3,669,296,029	3,721,427,538
योग TOTAL	**4,894,799,443**	**4,514,363,538**

प्रत्येक उद्दिष्ट अक्षय निधि के विरुद्ध अनुसूची 5 में दिये गये निवेश निम्नानुसार है :

The Investments given in Schedule 5 held against each earmarked / endowment fund are as under :

1) पेंशन देयता लेखा Pension Liability Account		
1.1 डिबैंचर और बंधपत्र Debentures and Bonds	490,455,400	103,355,000
1.2 बैंकों में सावधि जमा Fixed Deposits with Banks	3,639,943,973	3,705,950,660
योग TOTAL (1)	**4,130,399,373**	**3,809,305,660**
2) नई पेंशन योजना निधि - बैंकों में सावधि जमा New Pension Scheme Fund-Fixed Deposits with Banks	12,552,056	6,218,082
3) कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि GP Fund of Employees		
3.1 सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	132,925,888	117,228,000
3.2 राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ State Government Securities	97,983,701	88,929,000
3.3 डिबेंचर और बंधपत्र Debentures and Bonds	191,429,831	170,715,000
3.4 आरबीआई विशेष जमा RBI Special Deposits	312,708,594	312,709,000
3.5 बैंकों में सावधि जमा Fixed Deposits with Banks	15,500,000	2,999,796
योग (3) TOTAL (3)	**750,548,014**	**692,580,796**
4) उपभोक्ता मामलों मंत्रालय द्वारा हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना के अन्तर्गत सहायता, बैंक मे सावधि जमा Assistance from MOCA under Scheme for setting up of Hallmarking Centres-Fixed Deposit with Bank	0	4,500,000
5) अहमदाबाद लेखा कार्यालय की बिल्डिंग परियोजना - बैंक में सावधि जमा ABO Building Project-Fixed Deposit with Bank	1,300,000	1,300,000
6) प्रयोगशाला उपस्कर अनुदान निधि - बैंक में सावधि जमा Laboratory Equipment Grant Fund-Fixed Deposit with Bank	0	459,000
योग TOTAL	**4,894,799,443**	**4,514,363,538**

(राशि रु./Amount Rs.)

अनुसूची 6 – निवेश – अन्य SCHEDULE 6 – INVESTMENTS – OTHERES	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
1. बैंकों में सावधि जमा (कार्पस/पूंजीगत निधि से सामान्य निवेश) Fixed Deposits with Banks (General Investments towards the Corpus / Capital Fund)	1,610,212,013	801,965,923
योग TOTAL	**1,610,212,013**	**801,965,923**

अनुसूची 7 – चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि
SCHEDULE 7 – CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC

क) चालू परिसम्पत्तियाँ		
A) CURRENT ASSETS		
1. वस्तुसूची INVENTORIES		
क) मुद्रण कागज a) Printing Paper	330,973	440,960
ख) प्रयोगशाला उपकरण और स्टोर का समान b) Laboratory Apparatus and Stores	2,279,947	1,400,645
ग) लेखन सामग्री, कम्प्यूटर की खपत योग्य सामग्री और कैंटीन c) Stationery, Computer Consumables and Canteen	2,599,746	2,132,716
घ) मरम्मत व रखरखाव उपयोज्य सामग्री d) Repair & Maintenance Consumables	991,716	955,021
ङ) स्वर्ण आभूषण का स्टॉक e) Stock of Gold Jewellary	762,018	762,018
योग TOTAL	**6,964,400**	**5,691,360**
2. फुटकर लेनदारियाँ Sundry Debtors		
क) प्रकाशनों की बिक्री a) Sale of Publications		
i) छः माह से अधिक Exceeding Six Months	1,462,449	1,485.396
ii) अन्य Others	602,157	234,744
ख) प्रमाणन b) Certification		
i) छः माह से अधिक Exceeding Six Months	3,639,019	3,642,115
ii) अन्य others	5,022,274	7,821,515
ग) लेखा संबंधी वसूली योग्य c) Accounts Recoverable		
i) लेखा संबंधी वसूली (कर्मचारी) (अनुसूची 17 पर टिप्पणी संख्या 15 देखें) Accounts Recoverable (Employees) (See Note No.15, of Schedule 17)	370,187	354,989
ii) एन आई टी एस द्वारा सरकारी विभागों से वसूली (एमओएफ, एमईए और डीसीए के द्वारा) Recoverables from Government Departments by NITS (From MOF, MEA & DCA)	3,244,808	6,453,831
iii) लेखा वसूली (अन्य) (अनुसूची 17 पर टिप्पणी संख्या 14 देखें) Accounts Recoverable (Others) (See Note No.14 of Schedule 17)	21,774,713	19,531,156
योग TOTAL	**36,115,607**	**39,523,746**
3. नगद रोकड़ (अग्रदाय सहित) Cash Balance In Hand (Including Imprest)	574,127	688,013
4. बैंक शेष Bank Balances :		
क) अनुसूचित बैंकों में a) With Schedule Banks		
चालू लेखों में On Current Accounts	96,228,485	105,767,484
बचत लेखों में On Savings Accounts	21,633,267	6,839,562
5. पारगमनचैक Cheques in Transit	1,335,922	6,250,000
6. फ्रैंकिंग मशीन शेष Franking Machine Balance	336,457	291,628
योग (क) TOTAL (A)	**163,188,265**	**165,051,793**

(आगे जारी है / Contd...)

(राशि रु./Amount Rs.)

अनुसूची 7 – चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि SCHEDULE 7 – CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
ख) ऋण, अग्रिम और चालू परिसम्पत्तियाँ		
B) LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. निम्नलिखित के लिये स्टाफ को ऋण Loans to Staff for		
i) वाहन खरीद Purchase of Conveyance	8,569,103	10,342,859
ii) आवास निर्माण House Construction	19,774,867	23,049,953
iii) कम्प्यूटर Computer	2,727,767	3,022,807
योग TOTAL	**31,071,737**	**36,415,619**
2. अग्रिम और वसूली योग्य अन्य राशियाँ अथवा प्राप्त की जाने वाली राशि		
Advances and other amounts recoverable or for value to be received		
क) बाहरी पार्टियों को पूंजीगत लेखा और अन्य		
a) On capital Account & others to outside parties		
i) एकीकृत कम्प्यूटरीकरण परियोजना (एनआईसी) (अनुसूची 117 की टिप्पणी 10 देखें) Integrated Computerization Project (NIC) (See Note 10 of Schedule17)	4,945,846	4,945,846
ii) योजनागत परियोजना स्कीम (प्रयोगशाला उपस्कर) Plan Project Scheme(Lab. Equipment)	0	93,672
iii) एसी परियोजना - के.लो.नि.वि. (अनुसूची 17 की टिप्पणी 12 देखें) AC Project - CPWD (See Note 12 of Schedule 17)	2,000,000	0
iv) उपभोक्ता कल्याण निधि (एनबीसीसी) Consumer Welfare Fund (NBCC)	332,260	332,260
v) अन्य (क्षे. कार्या./ शा. कार्या./ मुख्यालय) Others (ROs / BOs / HQ)	11,859,943	10,763,726
ख) पूर्व प्रदत्त व्यय b) Prepaid Expenses	10,260	217,277
ग) स्टाफ को निम्नलिखित के लिये अग्रिम c) Advances to Staff for		
i) त्यौहार Festival	710,905	679,855
ii) प्राकृतिक आपदाएँ Natural Calamities	327,650	20,750
iii) यात्रा व्यय Travelling Expenses	3,016,701	2,789,188
iv) छुट्टी यात्रा Leave Travel	914,439	666,869
v) पंखा अग्रिम Fan Advance	49	49
vi) सामान्य भविष्य निधि से स्टाफ को अग्रिम Advances from GPF to Staff	18,394,900	18,221,960
घ) पंजीयक - छोटे मामले न्यायालय - मुम्बई (अनुसूची 17 की टिप्पणी 1.6 देखें) **d) Registrar- Small Causes Court - Mumbai** (See Note 1.6 of Schedule 17)	18,360,598	18,360,598
ङ) भुगतान किया गया प्रतिभूति जमा e) Security Deposits Paid	2,494,352	2,468,897
योग TOTAL	**63,367,903**	**59,560,947**
3. प्राप्त आय Income Accrued		
क) उद्दिष्टों/अक्षय निधि से निवेश a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds		
i) भा मा ब्यूरो निधियाँ BIS Funds	362,615,005	464,544,832
ii) सामान्य भविष्य निधि GP Fund	19,641,603	15,136,151
iii) नई पेंशन योजना New Pension Scheme	0	391,663
iv) अन्य others	0	67,665
योग TOTAL	**382,256,688**	**480,140,311**
4. प्राप्ति योग्य बावे Claim Receivable		
i) आयकर वापसी Income Tax Refund	30,852,654	23,520,274
ii) सेवाकर सेनवेट क्रेडिट Service Tax Cenvet Credit	449,266	1,020,135
iii) हितकारी निधि Benovolent Fund	529,583	566,224
योग TOTAL	**31,831,503**	**25,106,633**
योग (क) TOTAL (A)	**508,527,831**	**601,223,510**
योग (क + ख) TOTAL (A+B)	**671,716,096**	**766,275,303**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च 2009 का आय एवं व्यय लेखा की अनुसूची बनाने का भाग

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2009

(राशि रु./Amount Rs.)

अनुसूची 8 – बिक्री / सेवाओं से आय SCHEDULE 8 – INCOME FROM SALE / SERVICES	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
1. सेवाओं से आय Income from Services		
क) उत्पाद प्रमाणन Product Certification	1,572,112,481	1,437,904,113
ख) स्वर्ण हालमार्किंग प्रमाणन Gold Hallmarking Certification	78,505,736	76,166,383
ग) पद्धति प्रमाणन Systems Certification	24,697,922	26,447,808
घ) प्रयोशालाओं में व्यावसायिक परीक्षण Commercial Testing in Laboratories	1,667,988	3,121,656,
योग TOTAL	**1,676,984,127**	**1,543,639,960**

अनुसूची 9 – शुल्क/अंशदान SCHEDULE 9 – FEE / SUBSCRIPTION		
1) सम्मेलन, परामर्श प्रशिक्षण शुल्क Confrences,Consultancy & Training Fees	13,338,154	11,626,744
2) पुस्तकालय सदस्यता शुल्क Library Membership Fee	3,226,516	2,876,045
3) स्टैंडर्स इंडिया जर्नल का चंदा Subscription for Standards India Journal	239,145	298,502
योग TOTAL	**16,803,815**	**14,801,291**

अनुसूची 10 – निवेशों से आय
SCHEDULE 10 – INCOME FROM INVESTMENTS

	ईयरमार्क निधि से निवेश Investment from Earmarked Fund		अन्य - निवेश Investment - Others	
	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
उद्दिष्ट/निधि से अंतरित अक्षय निधि से निवेश से आय Income on Investment from Earmarked / Endowment Fund Transferred to Fund				
1) ब्याज Interest	372,268,871	324,292,652	167,970,390	82,109,278
2) किराया Rent	–	–	1,260,065	152,250
योग TOTAL	**372,268,871**	**324,292,652**	**169,230,455**	**82,261,528**
(उद्दिष्ट / अक्षय निधि से अंतरित) (TRANSFERRED TO EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS)	**372,268,871**	**324,292,652**		

[(संदर्भ अनुसूची 2, मद ख (ii)] [Refer Schedule 2, Item b (ii)]

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च 2009 का आय एवं व्यय लेखा की अनुसूची बनाने का भाग

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2009

(राशि रु./Amount Rs.)

अनुसूची 11 – रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय SCHEDULE 11 – INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
1) भारत में आईएसओ और आईईसी के प्रकाशनों की बिक्री से आय Retrocession from ISO and IEC on Sale of their Publications in India	10,543,681	8,451,972
2) इलैक्ट्रानिक मीडिया पर भा मा ब्यूरो प्रकाशनों की बिक्री से आय Proceeds towards Sale of BIS Publications on Electronic Media	28,981,140	25,146,495
3) भारतीय मानकों की बिक्री से आय Income from Sale of Indian Standard	45,216,440	44,798,426
4) विदेशी निकायों के प्रकाशनों की बिक्री पर मार्जिन Margin on Sale of Publications of Overseas Bodies	1,755,822	626,934
योग TOTAL	**86,497,083**	**79,023,827**

अनुसूची 12 – अर्जित ब्याज SCHEDULE 12 – INTEREST EARNED		
1) बचत लेखा से on Savings Account		
क) अनुसूचित बैंकों से a) With Scheduled Banks	124,168	146,945
योग TOTAL	**124,168**	**146,945**

अनुसूची 13 – अन्य आय SCHEDULE 13 – OTHER INCOME		
विविध आय Miscellaneous Income		
क) वाहक, कम्प्यूटर व आवास गृह निर्माण से ब्याज a) Interest from Conveyance, Computer & House Building Loans	2,197,735	2,109,075
ख) सीजीएचएस अंशदान b) CGHS Contribution	608,430	559,520
ग) स्टाफ क्वाटरों से लाइसेंस शुल्क c) Licence Fee Staff Quarters	410,194	474,163
घ) भर्ती शुल्क d) Recruitment Receipts	481,050	0
ङ) मुख्यालय में अन्य विविध आय e) Other Miscellaneous Income at HQ	608,900	638,012
च) क्षे. कार्या./ शा. कार्या. से विविध आय f) Miscellaneous Income at RO/Bos	3,283,870	2,603,934
छ) प्रयोगशाला में विविध आय g) Miscellaneous Income at Laboratories	1,911,222	1,482,062
ज) विनिमय दर में परिवर्तन से प्राप्तियाँ h) Exchange Rate Variation Gain	0	572,653
योग TOTAL	**9,501,401**	**8,439,419**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च 2009 का आय एवं व्यय लेखा की अनुसूची बनाने का भाग

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2009

(राशि रु./Amount Rs.)

अनुसूची 14 – स्थापना व्यय SCHEDULE 14 – ESTABLISHMENT EXPENSES	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
1) वेतन और भत्ते PAY & ALLOWANCES		
क) वेतन आदि Salaries & Wages	500,334,038	279,290,715
ख) भत्ते और बोनस Allowances and Bonus	220,102,250	181,582,252
योग TOTAL (1)	**720,436,288**	**460,872,967**
2) सेवा निवृति लाभ RETIREMENT BENEFITS		
क) घाटे खाते में सामान्य भविष्य निधि का अंशदान (अनुसूची 17 की टिप्पणी 18 देखें) a) Salaries Contribution to GPF towards Deficit (See Note 18 of Schedule 17)	313,850	280,662
ख) पैंशन देयता खाते में वार्षिक अंशदान (अनुसूची 17 की टिप्पणी 3.2.1 देखें) b) Yearly Contribution to Pension Liability A/c (See Note 3.2.1 of Schedule 17)	109,289,328	57,281,584
ग) अंशदायी नई पेंशन योजना को अंशदान c) Contribution to Contributory New Pension Scheme	2,587,043	1,553,554
योग TOTAL (2)	**112,190,221**	**59,115,800**
3) अन्य स्टाफ लाभ OTHER STAFF BENEFITS		
क) सीजीएचएस और अन्य चिकित्सा लाभ – कर्मचारी a) CGHS and other Medical Benefits – Employees	16,120,309	16,686,284
ख) चिकित्सा लाभ – पेंशनधारी b) Medical Benefits – Pensioners	8,034,782	7,814,891
ग) स्टाफ कल्याण c) Staff Welfare	5,471,931	6,045,340
घ) छुट्टी यात्रा रियायत d) Leave Travel Concession	9,770,728	3,147,358
योग TOTAL (3)	**39,397,750**	**33,693,873**
योग TOTAL (1+2+3)	**872,024,259**	**553,682,640**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च 2009 का आय एवं व्यय लेखा की अनुसूची बनाने का भाग

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2009

(राशि रु./Amount Rs.)

अनुसूची 15 – अन्य प्रशासनिक व्यय SCHEDULE 15 – OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
1) यात्रा व्यय TRAVELLING EXPENSES		
क) विदेश a) Overseas	4,798,442	4,644,540
ख) अधिकारी और स्टाफ b) Officers and Staff	37,886,858	33,974,394
ग) समिती सदस्य c) Committee Members	432,938	378,394
योग TOTAL (1)	**43,118,238**	**38,997,328**
2) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे SUBSCRIPTION TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS		
क) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन a) International Standards Organization	11,701,243	10,720,168
ख) अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग b) International Electrotechnical Commission	6,401,588	6,168,650
योग TOTAL (2)	**18,102,831**	**16,888,818**
3) उत्पाद PRODUCTION		
क) मानक a) Standards	10,547,364	6,826,348
ख) बुलेटिन b) Bulletin	956,197	317,826
योग TOTAL (3)	**11,503,561**	**7,144,174**
4) परीक्षण TESTING		
क) परीक्षण शुल्क a) Testing Fees	67,005,942	64,120,302
ख) प्रयोगशाला में खपत योग्य सामान और प्रयोगशाला उपस्कर की मरम्मत और रखरखाव b) Laboratory Consumables and Repair & Maintenance of Lab. Equipment	4,987,116	6,690,703
ग) बाजार के नमूने c) Market Sampled	3,906,394	4,329,907
घ) बाहरी एजेंसी के निरिक्षण प्रभार d) Inspection Charges to Outside Agencies	9,053,833	15,849,117
योग TOTAL (4)	**84,953,285**	**90,990,029**
5) प्रचार PUBLICITY	24,506,232	20,432,951
6) कार्यालय व्यय OFFICE EXPENSES		
क) लेखन सामग्री a) Stationery	8,446,497	9,396,375
ख) डाक b) Postage	6,272,443	5,939,260
ग) दूरभाष c) Telephone and Telex	10,248,621	9,198,789
घ) भर्ती d) Recruitment	2,282,253	564,154
ङ) जलपान और मनोरंजन e) Refreshment and Entertainment	1,280,664	1,424,154
च) वर्दी f) Liveries	255,507	432,995
छ) भाडा और ढुलाई g) Freight and Cartage	2,200,525	2,000,859
ज) बीमा और चैक प्रभार h) Insurance and Bank Charges	1,847,343	1,030,706
झ) विविध i) Miscellaneous	2,949,265	3,562,412
ण) किराया और कर j) Rent and Taxes	11,593,670	12,271,407
ट) बिजली और पानी k) Electricity and Water	26,837,896	23,422,637
योग TOTAL (6)	**74,214,684**	**70,152,838**

(आगे जारी है / Contd...)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च 2009 का आय एवं व्यय लेखा की अनुसूची बनाने का भाग

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2009

(राशि रु./Amount Rs.)

अनुसूची 15 – अन्य प्रशासनिक व्यय SCHEDULE 15 – OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
7) मरम्मत और रखरखाव REPAIRS AND MAINTENANCE		
क) फर्नीचर एवं उपस्कर a) Furniture and Equipment	3,619,108	3,915,665
ख) भवन b) Building	31,013,790	32,929,184
ग) वाहन और डीएलवाई टैक्सियाँ c) Vehicles & DLY Taxies	4,975,296	4,065,052
योग TOTAL (7)	**39,608,194**	**40,909,901**
8) अन्य व्यय OTHER EXPENSES		
क) सम्मेलन परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम a) Conferences,Consultancy and Training Programme	13,215,994	13,541,546
ख) इलैक्ट्रानिक आंकडा संसाधन b) Electronic Data Processing	11,213,849	9,795,836
ग) पुस्तकालय चंदा और अन्य व्यय c) Library Subscription and Other Expenses	359,720	345,761
घ) लेखा परिक्षा शुल्क d) Audit Fees	1,697,084	1,738,535
ङ) विविध प्रभार e) Legal Charges	2,610,964	3,809,276
च) स्टाफ प्रशिक्षण f) Staff Training	89,573	201,959
छ) आवास निर्माण ऋण पर ब्याज / ब्याज पर छूट g) Interest/Interest Subsidy on House Building Loan	279,148	379,221
ज) डूबा ऋण बट्टे खाते में डाला (अनुसूची 17 की टिप्पणी 16 देखें) h) Bad Debts Written Off (See Note 16, Schedule 17)	12,349	4,535,520
झ) पूंजी निवेश (अचल परिसम्पत्तियाँ) i) Capital Investments (Fixed Assets) Written off (Net)	239,798	133,260
ण) गुणता पद्धति प्रभार j) Quality System Charges	5,661,515	4,689,984
ट) हिन्दी प्रोत्साहन गतिविधियाँ k) Hindi Promotional Activities	2,867,211	2,217,227
ठ) प्रवर्तन आउटसोर्सिंग व्यय l) Enforcement Outsourcing Expenses	837,191	1,789,825
ड) विनिमय दर परिवर्तन m) Exchange Rate Variation	592,136	0
ढ) सेनवेट क्रेडिट व्यय n) Cenvat Credit Expenses	262,379	0
योग TOTAL (8)	**39,938,911**	**43,177,950**
योग TOTAL (1-8)	**335,945,936**	**328,693,989**

अनुसूची 16 – विशिष्ट लेखाकरण नीतियाँ
SCHEDULE 16 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. लेखाकरण परिपाटी

अन्यथा नियत न होने पर प्रमाणन आय एवं चूक वाले निवेशों पर देय ब्याज को छोडकर जिनका लेखांकन नकद आधार पर किया जाता हैं, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी और सामान्यतः लेखांकन की उपार्जन पद्धती के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. माल सूचियाँ

भारतीय मानको तथा अन्य प्रकाशनों के स्टॉक के मूल्य का लेखा - जोखा नीतिगत रूप सें नही रखा जाता। तथापि, कागज, प्रयोगशाला की उपभोज्य मदों, स्पेयर पार्ट लेखन सामग्री एवं स्वर्ण के स्टॉक का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता हैं।

3 निवेश

3.1 निवेश का लेखा-जोखा सामान्यतः लागत पर रखा जाता हैं।

3.2 स्थायी निवेश के अधिग्रहण पर भूगतान किए गए प्रीमियम परिपक्वता तिथि तक समय अनुपात आधार पर परिशोधित किए जाते हैं।

4 अचल परिसम्पत्तियाँ

4.1 अचल परिसम्पत्तियों का लेखा-जोखा इन्वर्ड भाडे, ड्यूटी एवं करों सहित अधिग्रहण की लागत पर रखा जाता हैं।

4.2 मंत्रालयों की अनुदानों / सहायता से उपार्जित स्थायी परिसंम्पत्तियाँ संग्रह / पूंजीगत निधि में नियम मूल्य पर पूंजीगत की जाती हैं।

4.3 नॉन मोनिटरी अनुदानों के रूप में प्राप्त अचल परिसम्पत्तियाँ संग्रह / पूंजीगत निधि में जमा के बाद नियत मूल्यों पर पूंजीगत की जाती हैं।

5. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार बट्टाखाता मूल्य पद्धती पर किया जाता हैं।

6. सरकारी अनुदान / सहायता

6.1 सरकारी अनुदान / सहायता वसूली आधार पर लेखांकित होता हैं।

6.2 मंत्रालयों से प्राप्त सभी सरकारी अनुदान / सहायता एवं उनके उपयोग उद्दीष्ट/ अक्षयनिधि अनुसूची में दर्शाए गये हैं।

6.3 परियोजनाओं की नीतिगत लागत एवं अचल परिसम्पत्तियों के

1. ACCCOUNTING CONVENTION

The Financial Statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and generally on the accrual method of accounting except the Certification Income and the interest due on default investments which are accounted on cash basis.

2. INVENTORIES

The value of Stock of Indian Standards and other publications are not accounted for as a matter of policy. However, the Stock of Paper, Laboratory Consumables, Spares, Stationery and gold are valued at cost.

3. INVESTMENT

3.1 The Investments are usually carried at cost.

3.2 The premium paid on acquisition of permanent investment is amortized on a time proportion basis upto the date of maturity.

4. FIXED ASSET

4.1 Fixed Assets are stated at Cost of acquisition inclusive of inward Freight, Duties and Taxes.

4.2 Fixed Assets acquired out of Grants / Assistance from Ministries are capitalized at values stated, by corresponding credit to Corpus/ Capital Fund.

4.3 Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at values stated by corresponding credit to Corpus/Capital Fund.

5. DEPRECIATION

Depreciation is provided on written down value method as per the rates specified in the Income Tax Act, 1961.

6. GOVERNMENT GRANTS/ASSISTANCE

6.1 Government Grants/Assistance are accounted on realization basis.

6.2 All Government Grants/Assistance from Ministries and their utilization are shown in the Earmarked/Endowment Fund Schedule.

6.3 The Government Grants/Assistance utilized towards

अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त सरकारी अनुदान / सहायता संग्रह / पूंजीगत निधि के योजक रूप में दिखाई गई हैं।

7. विदेशी मुद्रा का लेनदेन

7.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन की तिथि पर लागू विनिमय दर पर लेखांकित होते हैं।

7.2 वर्तमान देनदारियाँ वर्ष के अंत में लागू विनिमय दर पर परिवर्तनीय होती हैं तथा संबंधित लाभ / हानि आय एवं व्यय लेखा में अंतरित की जाती है ।

8. वेतन और भत्ते

वेतन और भत्तों तथा नकदीकरण भुगतान वेतन एवं भत्तों के तहत नकद आधार पर आय एवं व्यव लेखा से प्रभारित किया जाता हैं।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 उपार्जन मूल्यांकन आधारित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं ग्रेच्युटी की देयता तय करके उसका उद्दिष्ट/स्थायी निधि के तहत दर्शाए गये पेंशन देयता लेखा के अंतर्गत प्रावधान किया जाता हैं।

9.2 उपार्जन मूल्यांकन आधारित वर्तमान कर्मचारियों की भावी पेंशन एवं ग्रेच्युटी की देयता का हिसाब लगाकर प्रतिवर्ष आय एवं व्यय लेखा में पेंशन देयता लेखा में जमा कर दिया जाता हैं।

9.3 वर्ष के दौरान सभी पेंशन लाभों के वास्तविक भुगतान पेंशन देयता लेखा के नामे डाले जाते हैं।

10. कर्मचारियों को ऋण

कर्मचारियों को दिए गये भवन निर्माण, यातायात एवं कम्प्यूटर संबंधी ऋणों के ब्याज को ऋण के मूल्यधन की वसूली के बाद नकदी आधार पर लेखांकित किया जाता हैं।

11. सा भ नि लेखा

कर्मचारियों के साभनि लेखा में अधिशेष / घाटे को ब्यरों की आय / खर्च के रूप में माना जाता हैं।

Capital Cost of setting of projects and acquisition of Fixed Asset are shown as addition to Corpus/Capital Fund.

7. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

7.1 Transaction denominated in Foreign Currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

7.2 Current Liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the end of the year and the relevant gain/loss is transferred to Income & Expenditure Account.

8. PAY & ALLOWANCES

The payments of Pay & Allowances and leave encashment are charged to Income & Expenditure Account on cash basis under Pay and Allowances.

9. RETIREMENT BENEFITS

9.1 Liability towards Pension and gratuity of retired employees based on the Actuarial Valuation is accrued and provided in the Pension Liability Account shown under the Schedule - Earmarked/Endowment Fund.

9.2 Liability towards future service pension & gratuity of present employees based on the Actuarial Valuation is accrued and provided every year in the Income and Expenditure Account by corresponding credit to Pension Liability Account.

9.3 The actual payments of all pensionary benefits during the year are debited to Pension Liability Account.

10. LOANS TO EMPLOYEES

The Interest on House Building, Conveyance and Computer Loan given to employees is accounted on cash basis after the recovery of the principal amount of Loan.

11. GPF ACCOUNTS

The surplus/deficit in the GPF Account of employees are treated as income/expense of the Bureau.

अनुसूची 17 – विशिष्ट लेखाकरण नीतियाँ SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. तत्काल देयताएँ

1.1 एलडी, संयुक्त आयुक्त, सेवाकर, चैन्नई ने दिनांक 13.9.07 के कारण बताओं नोटिस सं. 168/2007 का अवलोकन करें, जिस द्वारा लाइसेंसी स्वर्णकारों से लिए गए हालमार्किंग प्रभार (न्यूनतम रू 2/- प्रति नग के साथ) 10% के रूप में दिनांक 10.9.04 से 31.3.07 तक हालमार्किंग केन्द्रों से भा मा ब्यूरो द्वारा ली गई राशि पर धारा 73 (1) के अंतर्गत रू. 14,76,620, धारा 75 के अंतर्गत ब्याज, दिनांक 10.9.04 से 17.4.06 तक प्रतिदिन रू.100 तथा प्रतिदिन रू. 200/- या प्रतिमाह 2 प्रतिशत का जुर्माना, जो भी अधिक हो, 18.4.2006 से भुगतान की अंतिम तिथि तक धारा 76 के तहत सशर्त अधिकतम रू. 14,47,666 तथा *वित्त अधिनियम*,1994 की धारा 78 के तहत रूपये 14,76,620 का जुर्माना लगाया । एलडी संयुक्त आयुक्त, सेवाकर, चैन्नई के दिनांक 11.12.2008 के कारण बताओं नोटिस सं. 378/ 2008 द्वारा दिनांक 1.2.08 से 30.9.08 की अवधी के लिए वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 (1) के अंतर्गत रू. 18,91,578 की अतिरिक्त मांग, धारा 75 के तहत उपयुक्त दर से ब्याज तथा वित्त अधिनियम 1994 की धारा 76 के तहत जुर्माना वसूल किया गया । **ये मांगे विवादास्पद हैं और भा मा ब्यूरो ने आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) चैन्नई के समक्ष अपील दायर की हुई है।**

1.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अतिरिक्त आयुक्त, पुणे - III आयुक्तालय, पुणे ने जुलाई 2003 से परे कर योग्य सेवाकर लगाने के लिए अगस्त 2002 से जून 2003 की अवधि के लिए धारा 75 के तहत ब्याज सहित धारा 73 (1) के तहत रू. 11,79,860 की माँग एवं धारा 78 के तहत जुर्माना लगाया। यह माँग भी विवादास्पद है और इस कारण बताओं नोटिस के खिलाफ ब्यूरो ने अपना उत्तर दाखिल किया है।

1.3 आयुक्त (अपील) सीसीई ने नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान पर एकत्रित किए गए प्रशिक्षण शुल्क पर सेवाकर के संबंध में की गई अपील पर अपने आदेश द्वारा *वित्त अधिनियम*, 1994 की धारा 78 के अंतर्गत तथा धारा 76 के अंतर्गत प्रतिदिन लगाए गये रू. 200/- जुर्माने की देयता उपार्जन तिथि से सेवाकर के मूलधन (लगभग रू. 2.39 लाख) का भुगतान किये जाने तक रू. 100000 की माँग को कायम रखा। दिनांक 22.5.08 की विवादास्पद मुद्दों संबंधी समिति की बैठक में विचार किया गया। समिति ने भा मा ब्यूरो को अनुमति दी कि एनआईटीएस जुर्माने के पहलू पर अधिकरण के समक्ष अपील करे । अग्रिम सुनवाई के दौरान अधिकरण में एक आदेश पास किया कि भा मा ब्यूरो जुर्माने की राशि जमा किए बगैर अपनी अपील प्रस्तुत करें, जो कि अपील दायर करने से पहले अन्यथा जरूरी थी।

1.4 जुलाई 2003 से सितम्बर 2004 की अवधि के लिए सर्विस कर के भुगतान में हुई देरी के लिए सहायक आयुक्त, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, पटना ने धारा 76 के तहत रू 100/- प्रतिदिन की दर से ब्याज सहित धारा 73 के तहत रू. 1,04,568 की मांग एवं धारा 77 के तहत केवल रू. 500/- के जुर्माने की मांग की गई । मांग विवादास्पद थी और भा मा ब्यूरो ने कारण बताओं नोटिस के खिलाफ उत्तर दाखिल किया।

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Demand of Rs. 14,76,620 under Section 73 (1), interest under Section 75, penalty of Rs. 100/- per day from 10.9.2004 to 17.4.2006 and Rs. 200/- per day or 2% per month whichever is higher from 18.4.2006 till actual date of payment subject to maximum of Rs. 14,47,666 under Section 76 and penalty of Rs. 14,76,620 under Section 78 of Finance Act, 1994 imposed by Ld. Joint Commissioner, Service Tax, Chennai vide Show Cause Notice No. 168/2007 dated 13.9.2007 in respect of amount received by BIS from Hall Marking centres from 10.9.2004 to 31.3.2007 towards 10% cost of hallmarking charged by Centres (with minimum of Rs. 2 per article) from the licenced jewellers. **An additional demand of Rs. 18,91,578 under Section 73(1)** of the *Finance Act*, 1994 covering the period 1.2.2008 to 30.09.2008., Interest at appropriate rates under Section 75, and Penalty under Section 76 of the *Finance Act*, 1994 has been received vide Show Cause Notice No. 378/2008 dated 11.12.2008 from Ld. Joint Commissioner, Service Tax, Chennai. **These demands are disputed and BIS has filed an appeal before the Commissioner of Central Excise (Appeals), Chennai.**

1.2 Demand of Rs. 1179860 under Section 73 (1) with interest under Section 75, and penalty under Section 78, imposed by Additonal Commissioner of Central Excise, Pune-III Commissionerate, Pune for the period Aug 2002 to June 2003 for providing the taxable services beyond July 2003. The demand is disputed and BIS has filed reply to the show cause notice.

1.3 Demand of penalty of Rs. 1,00,000/- under Section 78 and penalty of Rs. 200/- per day under Section 76 of *Finance Act*, 1994 from the date liability accrued till principal amount of service tax was paid(approx. Rs. 2.39 lakhs), sustained by Commissioner (Appeals) CCE vide order in appeal in respect of Service Tax on Training Fee collected at Training Institute, Noida. BIS has filed an appeal before the Appellate Tribunal. The issue was considered in a meeting of Committee of Disputes held on 22.5.2008. The Committee permitted BIS, NITS to pursue the appeal before the Tribunal on the Penalty aspect. During the last hearing, the Tribunal passed an order that BIS may submit the appeal without depositing the penalty amount which was otherwise necessary before filing appeal.

1.4 Demand of Rs. 1,04,568 under Section 73 with interest @ Rs. 100/- per day under Section 76, and penalty of Rs. 500/- only under Section 77, imposed by Asstt. Commissioner of Central Excise & Service Tax, Patna for delayed payment of Service Tax during the period from July 2003 to September 2004. The demand is disputed and BIS has filed reply to the show cause notice.

1.5 जयपुर में भवन तथा प्रशिक्षण संस्थान भवन नोएडा की सलाहकार एनबीसीसी ने जयपुर में भवन और प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा के लिए क्रमशः रू. 34.28 लाख और रू.14.30 लाख का भुगतान मांगा है, परंतु संविदकार द्वारा किए गये कार्य का भौतिक सत्यापन अभी तक पूरा नही हो पाया है और प्रगति पर है । करार के अनुसार प्रतिदेय राशि भौतिक सत्यापन पर दी जाएगी, इसलिए इसे 31.3.09 तक परिसम्पत्तियों और देयताओं के अतिरिक्त के रूप में नही लिया गया है । भा मा ब्यूरो द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यालय के नए केन्द्रीय एसी संयंत्र के मामलों का समाधान होने पर इन दो परियोजनाओं के लिए एनबीसीसी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।

1.6 मुम्बई में रिक्त कर दिए गए भा मा ब्यूरो के विक्री कार्यालय के किराया मामले के संबंध में लघु वाद न्यायालय, मुम्बई को भुगतान : भा मा ब्यूरो का नावल्टी सिनेमा भवन, ग्रांट रोड, मुम्बई - 400007 में एक किराये के भवन में बिक्री कार्यालय था, जिसके मालिक मैं. गुडविल थिएटर प्रा. लि. थे। भारतीय मानक ब्यूरो ने यह परिसर अप्रैल 2004 में खाली कर दिया था । गुडविल थिएटर प्रा. लि. द्वारा 2000 का मामला सं. 60 /82 दायर किया गया तथा लघु वाद न्यायालय, मुम्बई ने 9.9.05 को आज्ञप्ति के साथ निर्णय पारित कर दिया तथा भा मा ब्यूरो द्वारा अदा किए जाने वाला मासिक (मैंस) लाभ 1.6.2000 से 30.4.2004 तक 3255 वर्गफूट के क्षेत्रफल के लिए 205/- रूपए प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर पर नियत किया, जिस पर आवेदन पत्र की तिथि, अर्थात 27.2.2002 से (मासिक) लाभ की संपूर्ण राशि के भुगतान पर मेंस (मासिक) लाभ की राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा। पारित की गई आज्ञप्ति के अनुसार 3,66,60,598/- रूपये की कुलराशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। भा मा ब्यूरो द्वारा दायर की गई आस्थगन अपील पर माननीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सीपीसी (अपराधिक दंड संहिता) के आदेश 41 नियम 5 के अनुसार आस्थगन इस शर्त पर प्रदान किया जाएगा कि अपीलकर्ता संपूर्ण आज्ञप्ति राशि न्यायालय में जमा करा देगा । अनुरोध की गई आज्ञप्ति राशि के लिए अपीलकर्ता को उसके लिए बैंक गारंटी देने का अनुदेश दिया जा सकता है तथा चूँकि अपीलकर्ता विशेष संविधि के अधीन एक सरकारी संगठन है, आज्ञप्ति के तहत राशि सदैव सुरक्षित है। तथापि, माननीय न्यायालय में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा न्यायालय में 50 प्रतिशत आज्ञप्ति राशि जमा करने तथा शेष 50 प्रतिशत राशि के लिए बैंक गारंटी देने का निदेश जाहिर करके 9.9.2005 के निर्णय तथा आदेश पर सहर्ष रोक प्रदान कर दी । तदानुसार केनरा बैंक के पास **भा मा ब्यूरो की रू. 33 करोड का दिनांकित 17.10.08 की आईडी सं. 10358881 की (सावधि जमा परिपक्वता दिनांक 17.10.2010)** सावधि जमा प्राप्ति के प्रति भा मा ब्यूरो ने लघु वाद न्यायालय के पक्ष में रू. 1,83,00,000 की बैंक गारंटी प्रदान की 19.1.2006 को रजिस्ट्रार, लघु वाद न्यायालय के पक्ष में न्यायालय ने 1,83,60,598 की राशि जमा की गयी। इस भुगतान को वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत **[अनुसूची 7 ख (मद 2 घ)]** में रखा गया है ।

एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 9.9.2005 के निर्णय को चुनौती देते हुए भा मा ब्यूरो ने लघु मामले न्यायालय की दोहरी पीठ, मुम्बई के समक्ष अपील सं.3/2006 दायर की। माननीय लघु मामले अपीलीय न्यायालय द्वारा अंतीम निर्णय / फैसला पारित किया गया, जिसके तहत अपील को अंशतः स्वीकार किया गया तथा परिक्षण न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गये आदेश के अनुसार रू. 6,67,272 प्रति माह के बजाय 6 प्रतिशत के ब्याज के साथ रू. 5,17,500 प्रति माह के मासिक लाभ संशोधन के साथ लगभग रू. 80 लाख की राहत प्रदान की गई।

1.5 NBCC, the consultant for the Jaipur Building and Training Institute Building Noida has claimed payment of Rs. 34.28 lakhs and Rs. 14.30 lakhs in respect of work at Jaipur Building and Training Institute, Noida Building respectively, However, physical verification of work done by the contractor(s) is not yet complete and is under progress. As the amount payable is subject to physical verification as per the contract, therefore, these have not been taken as Addition to Assets and Liabilities as on 31.3.2009. It has been decided by BIS that no payment shall be released to NBCC against these two projects till settlement of the issues in the New Central AC Plant at Headquarter.

1.6 Payments to Small Causes Court, Mumbai regarding the rent case of vacated BIS Sales Office in Mumbai: BIS was having its Sales Office in a rented building at Novelty Cinema Building, Grant Road, Mumbai - 400007 which was owned by M/s Goodwill Theatres Private Ltd. BIS had vacated the premises in April 2004. A case No. 60/82 of 2000 was filed by M/s Goodwill Theatres Private Ltd. and the Small Causes Court Mumbai passed a judgment with decree on 9.9.05 and fixed mense profit to be paid by BIS at the rate of Rs. 205 per sq, feet per month for the area of 3255 Sq. Ft. from 1.6.2000 to 30.4.2004 with interest @ 6% p.a. on the amount of mense profit from the date of application i.e. from 27.2.2002 till payment of entire amount of mense profit. As per the decree passed, a total sum of Rs. 3,66,60,598 was directed to be paid. On the stay appeal filed by BIS, the Hon'ble Court came to the conclusion of that as per order 41 Rule 5 of CPC, the stay would be granted on condition that the Appellant would deposit the entire decreetal in the court. For the plea decreetal amount. Appellant could be directed to give bank guarantee for the same and as appellant is a Government Organization under the special statute and thereby the amount under decree is always secured. However, the Hon'ble Court was pleased to grant stay on the judgement and order dated 9.9.05 by issuing a direction to deposit 50% of decreetal amount in the Court by Demand Draft and a bank guarantee be given for the balance 50% of amount. Accordingly, BIS had obtained Bank Guarantee of Rs. 1,83,00,000/- in favour of Registrar Small Causes Court from Canara Bank against its **Fixed Deposit Receipt No. ID 10358881 dated 17.10.2008 of Rs. 33 crores (FD maturing on 17.10.2010).** An amount of Rs. 1,83,60,598/- in favour of Registrar, Small Causes Court, Mumbai was deposited with the Court on 9.1.2006. This payment has been kept under Current Asset Loan & Advances **[Schedule 7B (item 2(d)]**.

An appeal No. 3/2006 was filed by BIS before Double Bench of Small Causes Court, Mumbai, challenging the judgment dated 9.9.2005 passed by Single Judge. A final decision/ judgment has been passed by the Hon'ble Appellate Court of Small Causes, Mumbai vide which Appeal has been partly allowed and revision of mesne profit @ 5,17,500/- per month with 6% interest p.a. instead of Rs.6,67,272/- per month as ordered earlier by the Trial Court, thereby the relief of approximately Rs. 80 Lacs have been granted.

चूँकि लघु वाद न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भा मा ब्यूरो की प्रत्याशाओं की अनुसार नही था इसलिए जमा की गई राशि, जिसे प्रतिवादी वापस ले सकता है, की निर्मुक्ति के स्थगन हेतु एक आवेदन भा मा ब्यूरो के वकील द्वारा दायर किया गया और मुम्बई न्यायाधिकरण क्षेत्र के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका सं. 7380/06, 8.11.2006 को माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया । मामला अभी भी लंबित है।

यदि उपरोक्त मामला भा मा ब्यूरो के पक्ष में जाता है तो प्राप्त राशि को समायोजित कर दिया जाएगा अन्यथा अदा की गई राशि को आय एवं व्ययों के लिए प्रभारित किया जाना अपेक्षित होगा, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा ।

1.7 मै. वरियन बीवी पोस्ट ऑफिस बॉक्स 8033, 4330 ईए मिडल बुर, नीदरलैंड से जीसीएमएस (नग 2) की सप्लाई के लिए यूएस डालर 250000 (लगभग रू. 127.38 लाख) के लिए केनरा बैंक, डीडीयू मार्ग, नई में दिनांकित 12.2.2009 लेटर ऑफ क्रेडिट नं. एफएलसी 0179/62/2009 खोला । यह रू. 33 करोड (एफडी) परिपक्वता तिथि 17.10.2010 की दिनांक 17.10.08 की सावधि जमा रसीद सं. आईडी 10358881 में से खोली गई ।

1.8 मै. एनालिटिक जेना, एजी, जर्मनी से कार्बन सल्फर एनालाईजर की सप्लाई के लिए यूएस डॉलर 31500 (लगभग रू. 16.05 लाख) के लिए केनरा बैंक, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली में दिनांकित 24.03.2009 **लेटर ऑफ क्रेडिट नं. एफएलसी 0179/144/2009 खोला। यह रू. 33 करोड (एफडी परिपक्वता तिथि 17.10.2010) की दिनांक 17.10.2008 की सावधि जमा रसीद सं. आईडी 10358881 में से खोली गई ।**

1.9 भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा यथा अनुमोदत कुछ लिखित संशोधनों को छोडकर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप है। छठे वेतन आयोग कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के बाद अनुशंसाएँ केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है और भा मा ब्यूरो में भी लागू की गई हैं। वर्ष 2008 - 09 में दिनांक 1.1.2006 से लागू वेतन के 40 % बकाया राशि के लिए रू. 1283 लाख भुगतान किए गए तथा आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किए गए। 60% शेष बकाया राशि रू.1925 लाख (लगभग) का भुगतान वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद 2009 - 10 में दिया जाएगा।

1.10 दिनांक 01.01.2004 से पहले भा मा ब्यूरो की सेवाओं में आनेवाले कर्मचारियों पर केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 लागू होती हैं। पेंशनरो के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के प्रशासनिक अनुमोदन प्रशासनिक मंत्रालय से अप्रैल 2009 में प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप, मई 2009 में 1.1.2006 से लागू बकाया के 40% के अनुसार रू. 535 लाख का भुगतान किया है एवं लेखाकरण निति के तहत इसे पेंशन देयता लेखा में प्रभारित किया गया है। शेष बकाया 60% रू. 802 लाख (लगभग) वित्त मंत्रालय से प्राप्त अधिसूचना के बाद भुगतान किया जाएगा ।

Since, the order passed by the Appellate Court was not as per the expectations of BIS , an application for stay for release of deposited money which respondent may likely to withdraw has been filed through BIS Advocate and a writ petition No. 7380/06 filed on 8.11.2006 before the Hon'ble High Court of Judicature at Mumbai has been admitted for hearing by the Hon'ble Court. The case is still pending.

In case BIS wins the subject case, the amount received back will be adjusted else the amount paid will be required to be charged to Income & Expenditure Account for which provision shall be made in the Budget.

1.7 Letter of Credit No. FLC0179/62/2009 dated 12.2.2009 opened in Canara Bank, DDU Marg, New Delhi for US $ 250000 (Approx. Rs. 127.38 lakhs) for supply of GCMS (2 Nos.) from M/s. VARIAN BV P.O. Box 8033,4330 Ea Middle Bur, Netherlands. The L/C was opened against Fixed Deposit Receipt No. ID 10358881 dated 17.10.2008 of Rs. 33 crores (FD maturing on 17.10.2010).

1.8 Letter of Credit No. FLC0179/14/ 2009 dated 24.3.2009 opened in Canara Bank, DDU Marg, New Delhi for **US $ 31500** (Approx Rs. 16.05 lakhs) for supply of Carbon Sulphur Analyser from M/s. Analytik Jena, AG, Germany. The L/C was opened against **Fixed Deposit Receipt No. ID 10358881 dated 17.10.2008 of Rs. 33 crores (FD maturing on 17.10.2010).**

1.9 The pay & allowances of the employees of BIS are same as applicable to the employees of Central Government except for certain modifications as approved by the Executive Committee. The recommendations for implementation of the Sixth Pay Commission have been notified by the Central Government and have also been implemented in BIS after the approval of the Administrative Ministry. The 40% of the arrears of pay w.e.f. 1.1.2006 amounting to Rs. 1283 lakhs were paid in the year 2008-09 and charged to Income & Expenditure A/c. The remaining arrears of 60% which will amount to approx. Rs. 1925 lakhs shall be paid in 2009 -10 after issuance of the Notification by Ministry of Finance.

1.10 The employees who joinod the services of BIS before 1.1.2004 are governed by the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. The administrative approval for implementation of the recommendations of the Sixth Pay Commission in respect of pensioners was received in April 2009 from the Administrative Ministry. Consequently, the 40% of the arrears w.e.f. 1.1.2006 amounting to Rs. 535 lakhs have been paid in May 2009 and charged to the Pension Liability Account as per the Accounting Policy. The remaining arrears of 60% which will amount to approx. Rs. 802 lakhs will be paid after the notification by Ministry of Finance.

2. पूंजीगत वचनबद्धताएँ

2.1 पूंजीगत लेखा एवं अनुपलब्ध (अग्रिमों का योग) संबंधी निष्पादित किए जानेवाली संविदा के मूल्य निम्नानुसार हैं :

i) केलोनिवि द्वारा मुख्यालय बिल्डिंग के एयरकंडशिनिंग के लिए – रू.1572.48 लाख (रू. 20 लाख का अग्रिम)

ii) भा मा ब्यूरो के पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद – रू. 11.64 लाख

iii) भा मा ब्यूरो की केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा उपकरणों की खरीद – रू. 85.94 लाख

3. पेंशन देयता लेखा (अनुसूची 2 - कालम 8)

3.1 पेंशन / सेवानिवृत्ति का लाभ देयता के निर्धारण पर **मैं हेविट आऊटसोर्सिंग सर्विसेज इंडिया लि.** की वास्तविक मूल्यांकन रिपोर्ट का कार्यकारिणी समिति (ईसी) ने 23.03.2006 को आयोजित अपनी 70 वीं बैठक में अनुमोदन कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार 31.3.2005 तक पेंशन और ग्रेच्युटी की कुल उपार्जित देयता रू. 36422.00 है। इसके अतिरिक्त सेवारत कर्मचारियों की भावी सेवा पेंशन देयता का वास्तविक मूल्य रू.7298.00 लाख और भावी सेवा ग्रेच्युटी देयता का वास्तविक मूल्य रू.464.00 लाख है, जिसके लिए मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का क्रमशः 20.40 प्रतिशत एवं 1.20 प्रतिशत का अंशदान वार्षिक रूप से देयता को पूरा करने के लिए लिया जाएगा ।

3.2 वास्तविक रिपोर्ट के अनुरूप 31.03.2008 तक पेंशन देयता लेखा में निम्नलिखित जमा / नामे किए गए :

3.2.1 अर्हक वेतन के 20.4 प्रतिशत की दर से परिकलित सेवारत कर्मचारियों की भावी सेवा पेंशन देयता के लिए 102,038,908 रूपए की राशि तथा अर्हक वेतन के 1.20 प्रतिशत की दर से परिकलित भावी सेवा उपदान देयता के लिए 7250420 रूपए की राशि, जो कुल मिलाकर 10,92,89,328 रूपए बैठती है, **'पेंशन देयता के लिए प्रावधान के लिए अंशदान खाता' [अनुसूची 14 - मद (2 ख)] को प्रभारित कर दी गई है तथा उसे लेखा शीर्ष पेंशन देयता खाते (अनुसूची 2 - कालम 8) में जमा कर दिया गया है।**

3.2.2 **उपार्जन आधार पर कमाया कुल ब्याज रू. 539450164 है।** संग्रह / पूँजी निधि के सामने भा मा ब्यूरो के पेंशन देयता लेखा, नई पेंशन योजना निधि के विनिवेश एवं सामान्य विनिवेश पर ब्याज इसमें शामिल है। इसमें से रू.708165 की रकम 8% की देर से नई पेंशन योजना निधि में आबंटित की गई एवं जमा की गई । एनपीएस अभिदाताओं को एनपीएस की नई निवेश योजना के प्रचालन में आने तक 8% ब्याज (अर्थात जीपीएफ के समान) दिया जा रहा है। इसलिए पूर्व परिपाटी के अनुसार कुल अर्जित रू.538741999 के ब्याज को 'पेंशन देयता खाता एवं आय तथा व्यय खाते के बीच 1.4.2008 तक के आरंभिक शेष के अनुपात में निम्नलिखित के अनुसार बांट दिया गया है:

2. CAPITAL COMMITMENTS

2.1 The value of the contract remaining to be executed on Capital Account and not provided for (net of advances) are given as under:

i) Air Conditioning of HQ Building by CPWD – Rs. 1572.48 lakhs (net of advances of Rs. 20 lakhs)

ii) Purchase of Laboratory Equipments by Western Regional Office of BIS – Rs. 11.64 lakhs

iii) Purchase of Laboratory Equipments by Central Laboratory of BIS – Rs. 85.94 lakhs

3. PENSION LIABILITY ACCOUNT (SCHEDULE 2 - Column 8)

3.1 The Acturial Valuation Report for assessment of liability for Pension/Retirement benefits of **M/s Hewitt Outsourcing Services India Ltd.,** was approved by Executive Committee in its 70th meeting held on 23.3.2006. According to Report, the total accrued liability in respect of Pension and Gratuity amounted to Rs.36422.00 lakhs as on 31.3.2005. In addition to this the actuarial value of future service pension liability of active employees amounted to Rs. 7298.00 lakhs and the actuarial value of future service gratuity liability amounted to Rs. 464.00 lakhs for which an annual contribution of 20.40% and 1.20% respectively of basic pay and dearness pay shall be made every year to meet up this liability.

3.2 In consonance with the actuary report, the following credits/debits have been made to the Pension Liability Account as on 31.3.2009.

3.2.1 An amount of Rs. 10,20,38,908 towards future service pension liability of active employees calculated @ 20.4% of qualifying salary and Rs. 72,50,420 towards future service gratuity liability calculated @ 1.20% of qualifying salary, totaling to Rs. 10,92,89,328 has been charged to Income and Expenditure Account under the account head **'CONTRIBUTION TO PENSION LIABILITY ACCOUNT' [Schedule 14 - Item (2 b)] and credited to account head 'Pension Liability Account' (Schedule 2, Column 8).**

3.2.2 The total interest earnings on accrual basis amounted to Rs. 539450164. This includes the interest on the Investment towards Pension Liability A/c, Investment towards New Pension Scheme Fund and the general investment of BIS against Corpus/Capital Fund. Out of this, the interest @ 8% amounting to Rs. 708165 have been allocated and credited to New Pension scheme Fund. The NPS subscribers are being given 8% interest (i.e. equal to GPF) till the new investment scheme of NPS comes into operation. The remaining interest earnings of Rs. 538741999 have been apportioned between Pension Liability A/c and Income & Expenditure A/c in the ratio of opening balance as on 1.4.2008 in Pension Liability Account and Corpus Capital fund A/c in accordance with the past practice as under :

(राशि रूपयों में)

	01.04.2008 तक आरंभिक शेष	01.04.2008 तक आरंभिक शेष अनुपात में विभाजित रू.538741999 का ब्याज
पेंशन देयता खाता (अनुसूची 4, कालम 8)	380,93,05,660	37,07,71,609
पूंजीगत निधि (अनुसूची '1')	172,57,26,948	16,79,70,390
कुल	**553,50,32,608**	**53,87,41,999**

अतः पेंशन देयता रू. 370771609 के अर्जित ब्याज को **पेंशन देयता खाते** (अनुसूची 2 कालम 8) में जमा कर दिया है तथा शेष ब्याज **रू. 167970390** (अनुसूची 10 देखें) में दिखाया गया है।

3.2.3 लेखा नीति के अनुसार ब्याज आय की पहचान के लिए युपीसीएसएमएफएल, एमपीईबी और एमपीएसआईडीसी में चूंके निवेश पर संचयी उपार्जित ब्याज को आय के रूप में नही लिया गया है। इसे वर्ष की आय में तब लिया जाएगा जब इस पर ब्याज वास्तव में प्राप्त होगा। आईएफसीआई के संदर्भ में संविदात्मक दर और परिपक्व हुए निवेश पर 1.4.2003 से 9 प्रतिशत के ब्याज के अंतर को वास्तविक प्राप्ति के वर्ष की आय में डाला जाएगा ।

3.2.4 वर्ष 2008-09 के दौरान पेंशन, उपदान तथा कम्युटेशन के कुल भुगतानों की राशि **रू.15,89,67,224** थी (प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों से **रू 15,70,838** तथा अंशदान सामान्य निधि योजना के अंतर्गत सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों से प्राप्तियों को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पेंशनर्स में परिवर्तित कर दिया गया हैं।) इसे **'पेंशन देयता खाते (अनुसूची 2 कालम 8)** के नामे डाल दिया गया है।

3.2.5 उक्त लेन-देनो के परिणामस्वरूप पेंशन देयता खाते में शेष राशि 31.3.2009 को रू. 4130399372 बैठती है (अनुसूची 2)

4. 1.1.2004 को आगे भर्ती किए गए कर्मचारियों पर लागू अंशदायी (अनुसूची 2, कालम 7) नई पेंशन योजना :

4.2.2004 के का. ज्ञा. सं. 1(7)(2) / 2003 / टीए / 67-74 के साथ पठित भारत सरकार के आदेश सं.जीआईएमएफ (सीजीए) का.ज्ञा.सं.1 (7)(2) / 2003 / टीए / 11, दिनांक 7.1.2004 के अनुसार 1.1.2004 से आगे (केन्द्रीय सरकारी विभागों से आय कर्मचारियों के मामलों को छोडकर) भा मा ब्यूरो में सभी नए भर्ती किए गए कर्मचारियों पर सरकार की नई पेंशन योजना प्रयोज्य है। 1.4.2008 को अंशदायी नई पेंशन योजना में आरंभिक शेष की राशि **रू. 66,47,758** लाख थी । 2008-09 में योजना निधि में कर्मचारियों का अंशदान तथा भा मा ब्यूरो का अंशदान एवं अभिदाताओं के खाते में जमा ब्याज **रू. 59,04,298** था (उन कर्मचारियों के प्रतिदायों को घटाकर, जिन्होंने भा मा ब्यूरो छोड दिया)। इस प्रकार 31.3.2009 को अंशदायी नई पेंशन योजना निधि में शेष राशि **रू. 125,52,056** थी।

5. भा मा ब्यूरो निधियों का निवेश

5.1 भा मा ब्यूरो निधियों के लिए (अर्थात् पेंशन देयता लेखा के लिए निवेश, नई पेंशन योजना के लिए निवेश एवं संग्रह / पूँजीगत निधि के लिए निवेश) दिनांक **31.3.2009 को रू. 57531.63 लाख** का कुल निवेश था । इस में से रू. 41303.99 लाख **'पेंशन देयता खाते'** के निवेश के लिए आबंटित किए गए हैं

(Amount in Rupees)

	Opening Balance as on 1.4.2008	Interest of Rs. 538741999 apportioned in the ratio of opening balance as on 1.4.2008
Pension Liability A/C (Schedule 4, Column 8)	380,93,05,660	37,07,71,609
Capital Fund (Schedule 1)	172,57,26,948	16,79,70,390
Total	**553,50,32,608**	**53,87,41,999**

Therefore the interest earnings of Rs. 370771609 have been credited to **"Pension Liability Account"**(Schedule 2 Column 8) and the remaining interest earnings of **Rs.167970390** appear in the Income & Expenditure Account (Refer Schedule 10).

3.2.3 As per the Accounting Policy for recognition of the interest income, the cumulative interest accrued on default investments in UPCSMFL, MPEB and MPSIDC has not been considered as income. It shall be considered as income in the year when the interest is actually received. As regards IFCI the difference of interest between contractual rate and 9% w.e.f. 1.4.2003 on investments already matured shall be credited to income in the year of actual receipt.

3.2.4 The total net payments of pension, gratuity and commutation during 2008-09 amounted to Rs. **15,89,67,224** {net of receipts of **Rs.15,70,838** from deputationists and employees retired under Contributory Provident Fund Scheme which have been converted into pensioners under C.C.S.(Pension) Rules, 1972. This has been debited to **'Pension Liability Account' [Schedule 2, column 8]**

3.2.5 As a result of the above transactions, the balance in the Pension Liability Account thus amounts to Rs. 413,03,99,373 as on 31.3.2009. [Schedule 2]

4. Contributory New Pension Scheme Fund [Schedule 2, Column 7] applicable to recruits from 1.1.2004 onwards:

The new pension scheme of Govt. of India is applicable to all recruits in BIS from 1.1.2004 (except in cases of employees who joined from Central Government Departments) onwards as per GOI Order No. GI.M.F.(CGA) O.M. No.1(7) (2)/2003/ TA/11 dated 7.1.2004 read with O.M. No. 1(7)(2)/2003/TA/67-74 dated 4.2.2004. The opening balance in Contributory New Pension Scheme Fund as on 1.4.2008 amounted to **Rs. 66,47,758.** The contribution of employees, the BIS contribution and the interest credited to subscribers account for 2008-09 amounted to **Rs. 59,04,298** (net of refunds to employees who had left BIS). The balance in the Contributory New Pension Scheme Fund as on 31.3.2009 thus amounted to **Rs.125,52,056.**

5. INVESTMENT OF BIS FUNDS

5.1 The total investments of BIS Funds (i.e. Investment against Pension Liability A/c, Investment against New Pension scheme Fund and Investment against Corpus/ Capital Fund) **as on 31.3.2009 amounted to Rs. 57531.63 lakhs.** Out of this, the investments of Rs. 41303.99 lakhs have been allocated to **"Pension Liability A/c"**, (equal to the

10. एनआईसी को एकीकृत कम्प्यूटरीकरण परियोजना के लिए समायोजनीय अग्रिम [अनुसूची 7 ख (मद 2 (क) (i)] : भा.मा.ब्यूरो की एकीकृत कम्प्यूटरीकरण परियोजना के लिए 2002-03 से 2005-06 के दौरान भा.मा.ब्यूरो ने एनआईसी को कुल रू.8,22,16,000 की अग्रिम राशि दी। इस अग्रिम में से 2007-08 तक रू.7,72,10154 का अग्रिम किया गया जिसके बाद 31.3.2009 तक रू.49,45,846 की राशि शेष रह गई जिसके समायोजन प्राप्त होने शेष हैं। इसे एनआईसी से कम्प्यूटर एवं संम्बद्ध उपकरणों के संतोषप्रद संस्थापन रिपोर्ट का प्रमाणपत्र मिलने के बाद समायोजित किया जाएगा। इस कार्य का समन्वय भा.मा.ब्यूरो के सूचना प्रौद्योगिकी सेवा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

11. एन बी सी सी द्वारा मानक भवन की इमारत के लिए ए.सी. संयंत्र : मानक भवन मुख्यालय के लिए नए केन्द्रीय ए.सी. संयंत्र की स्थापना की परियोजना वर्ष 2003-04 में शुरू की गई थी। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) नियुक्त किया गया। अनुमोदित परियोजना की लागत रू.2.68 करोड थी। परियोजना कार्य एनबीसीसी द्वारा रू.2.55 करोड की कुल लागत पर सितम्बर 2004 में मै आरिफ इंजीनियर्स प्रा.लि., नई दिल्ली को सौंपा गया था। कार्य मार्च 2005 में शुरू किया गया तथा अनेक बार एक या अन्य कई कारणों से रोक दिया गया। जून 2006 से परियोजना रूकी हुई है।

परियोजना के लिए एनबीसीसी को किए गए रू.80,00,000 के कुल अग्रिम भुगतान में से रू.31,60,194 की राशि समायोजित कर ली गई है तथा 31.3.2008 तक की स्थिति के अनुसार एनबीसीसी के पास शेष बकाया अग्रिम की राशि रू.48,39,806 है। समायोजित राशि को स्थिर परिसम्पत्तियों की अनुसूची **(अनुसूची 4)** में चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है। यह परियोजना जून 2006 से रूकी हुई है, इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया था कि अन्य परियोजनाओं नामतः जेबीओ भवन तथा एनआईटीएस, नोएडा के निर्माण के लिए एनबीसीसी को कोई भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।

कार्यकारिणी समिति की 27 मार्च 2008 को हुई 79 वीं बैठक में एनबीसीसी के साथ संविदा और करार समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तदानुसार एनबीसीसी को करार समाप्त करने के लिए 45 दिनों का नोटिस दिया गया। कार्यकारिणी समिति ने यह अनुमोदन भी किया कि मानक भवन और मानकालय दोनों की एयरकंडीशनिंग से संबद्ध सिविल और विद्युत कार्य को रू.16 करोड की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कराया जाए।

12. मानक भवन परियोजना का आधुनिकीकरण : मानक भवन की इमारत के आधुनिकीकरण की योजना को आरंभ में कार्यकारी समिति द्वारा 29 मार्च 2004 को आयोजित अपनी लागत में 4.08 करोड रूपए की परियोजना लागत पर पूर्ण किया गया था तथा वर्ष 2004-05 में आरंभिक आरेख, रूपरेखा तथा अनुमान तैयार करने के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ((एनबीसीसी) को रू.1,68,828 की राशि अदा की गई । अदा की गई राशि को स्थिर परिसम्पत्तियों की अनुसूची **(अनुसूची 4)** में चालू पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है । बाद में मानक भवन की इमारत के आधुनिकीकरण की परियोजना का कार्य क्षेत्र 0.83 करोड रूपए की संशोधित परियोजना लागत का कार्य फाल्स सीलिंग की व्यवस्था करना, आंतरिक बिजली की तारों को प्रतिस्थापित करना, अग्नि सचेतक प्रणाली तथा पेंटिंग का कार्य, तक सीमित कर दिया गया जैसाकि कार्यकारी समिति की 3 मई 2005 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया ।

10. Adjustable advances for Integrated Computerization Project to NIC [Schedule 7B (Item 2 (a) (i)] : BIS had paid total advances of Rs. 8,22,16,000 to NIC during 2002-03 to 2005-06 for Integrated Computerization Project of BIS. Out of this, advances of Rs. 7,72,10,154 were adjusted upto 2007-08 leaving a balance of Rs. 49,45,846 as on 31.3.2009 for which adjustments are yet to be received. This shall be adjusted after receipt of certificate of satisfactorily installation report of computers & related equipments from NIC being coordinated by Information Technology Services Department of BIS.

11. New Central AC Plant for Manak Bhawan Building by NBCC: The project of Installation of New Central AC Plant for Manak Bhawan at HQ was initiated in the year 2003-04. National Building Construction Corporation (NBCC) was appointed as Project Management Consultant (PMC) for the project. The cost of the project approved was Rs. 2.68 crores. The project work was awarded to M/s. Arief Engineers Pvt. Ltd., New Delhi by NBCC at a total cost of Rs. 2.55 crores in Sept 2004. The work was started in March 2005 & was discontinued at number of times due to one or other reasons. The project is at standstill condition since June 2006.

Out of the total advance payment of Rs. 80,00,000 to NBCC for the project, a sum of Rs. 31,60,194 was adjusted upto 2007-08 and the balance outstanding advance as on 31.3.2009 with NBCC amounts to Rs. 48,39,806. All total payments of Rs. 84,38,568 made up to 2008-09 under this project have been shown as Capital work in progress in the Schedule of Fixed Assets **(Schedule 4).** As the project is in standstill condition since June 2006, therefore it was decided by the Competent Authority that no payment shall be released to NBCC against other projects namely Construction of JBO Building and NITS, Noida.

Executive Committee (EC) in its 79th meeting held on 27 March 2008 had decided to close the contract and agreement with NBCC. Accordingly, NBCC was served with notice for termination of the agreement. EC also approved the project related to air conditioning of both Manak Bhawan & Manakalaya and related civil and electrical works to be undertaken through the CPWD at an estimated expenditure of Rs. 16 crores.

12. Modernization of Manak Bhawan Building Project: The project of Modernization of Manak Bhawan Building was initially approved by the Executive Committee in its meeting held on 29 March 2004 with the project cost of Rs. 4.08 crores and an amount of Rs. 1,68,828 was paid to National Building Construction Corporation (NBCC) in the year 2004-05 for preparation of preliminary sketches, drawings and estimates. The amount paid has been shown as Capital work in progress in the Schedule of Fixed Assets **(Schedule 4).** Later on the scope of Project of Modernization of Manak Bhawan Building was restricted to cover work namely providing and fixing, false ceiling, replacement of internal electrical wiring, fire alarm system and painting work with the revised project cost of Rs. 0.83 crore as approved in Executive Committee at its meeting held on 3 May 2005.

उपरोक्तानुसार संशोधित कार्यक्षेत्र के साथ मानक भवन की इमारत के आधुनिकीकरण की परियोजना का कार्य मानक भवन के नए एसी संयंत्र की संस्थापना के साथ संबद्ध है । चूंकि मानक भवन के नए एसी संयंत्र की संस्थापना की परियोजना जून 2006 से रूकी हुई स्थिति में हैं, अतः मानक भवन की इमारत के आधुनिकीकरण की परियोजना का कार्य भी आरंभ नहीं किया जा सका ।

कार्यकारिणी समिति की 27 मार्च 2008 को हुई 79 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मानक भवन और मानकालय दोनों की एयरकंडीशनिंग से संम्बद्ध सिविल और विद्युत कार्य को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कराया जाए।

भा मा ब्यूरो के सक्षम प्राधिकरण ने सीपीडब्लूडी, सफदरजंग हस्पताल परियोजना वैद्युत प्रखंड द्वारा भा मा ब्यूरो मुख्यालय के भवनों में केन्द्रीय वातानुकलन और ई एवं एम कार्य के लिए रू. 1592.25 लाख की अनुमानित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की । इसकी सूचना भा मा ब्यूरो के पत्र सं. डब्लूआरडी / एसी प्लांट / 1 दिनांक 31.12.2008 द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दे दी गई थी । फलस्वरूप केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निवेदन के अनुसार भा मा ब्यूरो ने 13.02.2009 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को रू. 20 लाख की राशि जमा कर दी। इसे अनुसूची 7 ख (मद 2 (क)(iii)) में दर्शाया गया है।

13. भा मा ब्यूरो की निधियों में से पूंजीगत व्यय : वर्ष 2008-089 के दौरान समायोजित अग्रिम सहित भा मा ब्यूरो की निधियों में से किया गया पूंजीगत व्यय **रू. 5,95,45,153 है (अनुसूची 4)** (अर्थात अनुसूची 1 में दिए गए अनुसार सरकारी अनुदान/सहायता से पूंजीगत परिसंपत्तियों के रू.14,55,924 निकाल कर अनुसूची 4 के अनुसार रू.6,10,01,077 का कुल वर्धन)। रू. 59545153 के वर्धन के ब्यौरे निम्नानुसार है :

The work of Modernization of Manak Bhawan Building Project with the revised scope as above is linked up with project work of "Installation of New AC Plant of Manak Bhawan" . As the Project of Installation of New AC Plant of Manak Bhawan is in standstill condition since June 2006, therefore the work of Modernization of Manak Bhawan Building Project also could not be initiated.

It was decided by Executive Committee in its 79th meeting held on 27 March 2008 that the project related to air conditioning of both Manak Bhawan & Manakalaya and related civil and electrical works to be undertaken through the CPWD.

The competent authority of BIS had accorded administrative approval and financial sanction estimated cost of Rs. 1592.25 lakhs towards the Central Air Conditioning and E & M work for BIS Buildings at BIS HQ by CPWD, Safdarjung Hospital Project Electrical Division. This was conveyed to CPWD vide BIS letter No. WRD/ACPlant/1 dated 31.12.2008. Consequently, as requested by CPWD, BIS had deposited Rs. 20 lakhs with CPWD on 13.2.2009. This has been shown in Schedule 7B [Item 2 (a) (iii)].

13. Capital Expenditure out of BIS Funds: The capital expenditure out of BIS Funds including adjustment of advances during 2008-09 amounted to **Rs. 5,95,45,153 (Schedule 4)** ((i.e. Rs.6,10,01,077 of total addition as per Schedule 4 LESS Rs. 14,55,924 towards assets capitalized from Govt. Grants/assistance at as given in **Schedule 1**). The details of addition of Rs. 59545153 are as under :

(राशि रूपयों में) (Amount in Rupees)

परिसम्पत्ति समूह Assets Group	2008 - 09	2007- 08
प्रयोगशाला उपकरण - भा मा ब्यूरो निधियाँ Laboratory Equipments-BIS Funds	97,71,011	1,01,64,226
फर्नीचर एवं फिक्सर, कार्यालय उपकरण तथा कम्प्यूटर Furniture & Fixtures, Office equipments & Computers	7529,773	1,15,49,961
नया केन्द्रीय एसी संयंत्र मानक भवन (पूंजीगत डब्ल्यू आई पी) New Central AC Plant Manak Bhawan by NBCC (Cap. WIP)	–	1,65,000
पुस्तकालय पुस्तके Library Books	11,47,902	10,71,402
एकीकृत कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत कम्प्यूटर तथा संबद्ध उपकरण एनआईसी (अग्रिम राशियों का समायोजन) Computer & Associated Equipments under Integrated Computerization Project-NIC (Adjustment of Advances)	–	28,59,830
राजकोट में भूमि Land in Rajkot	4,10,96,467	–
भवन - प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा Building – Training Institute, Noida	–	67,554
कुल TOTAL	**5,95,45,153**	**2,58,77,973**

14. अनुसूची 7 क [मद 2 (ग) (iii)] अंतर्गत वसूली योग्य लेखे (अन्य) : इसमें स्वर्गीय श्री डी. के. चड्ढा, अवर श्रेणी लिपिक, कानपुर शाखा कार्यालय द्वारा अपविनियोजित किए गए 5,17,450 रुपए शामिल हैं। ब्यूरो ने मृत्यु उपदान तथा अवकाश नकदीकरण का भुगतान रोक लिया है। श्री एस एस त्रिपाठी, अनुभाग अधिकारी, कानपुर के विरूद्ध आरंभ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है ।

15. अनुसूची 7 क (मद 2 (ग)(i) के अंतर्गत वसूलनीय राशि (कर्मचारी): इसमें निलम्बाधीन श्री मोहन सिंह, अवर श्रेणी लिपिक द्वारा कथित रूप से की गई जालसाजी/गबन के रू. 12,000 शामिल है। एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी तथा मामला दिल्ली पुलिस की अभियोजन शाखा के जाँचाधीन है । इस मामले के अनुशासनिक प्राधिकारी उपमहानिदेशक (मध्य क्षेत्र) द्वारा श्री मोहन सिंह के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक जाँच की जा रही है ।

16. अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अशोध्य ऋणों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बट्टे खाते में डाल दिए जाने के बाद आय एवं व्यय लेखे में प्रभारित किया जाता है। वर्ष 2008-09 के दौरान रू. 12,349 के अषोध्य ऋण को बट्टे खाते में डाला गया जिसे अनुसूची 15 मद 8 (ज) में दर्शाया गया है।

17. विनिमय दर में भिन्नता से अर्जन : विनिमय दर में भिन्नता में राशि में अंतर (अर्थात 2007-08 के लेखा मे आईएसओ और आईईसी को भुगतान की देयताओं मे विनिमय दर तथा 2008-09 में किए गए भुगतान की वास्तविक विनिमय दर के बीच भिन्नता सृजित की गई) को आय एवं व्यय लेख में प्रभारित किया गया जिसे [अनुसूची 15 अन्य प्रशासनिक व्यय (मद 8 (ड)] के अंतर्गत दर्शाया गया है।

18. भविष्य निधि खातों में घाटा: अभिदाता खातों में 8 प्रतिशत की दर पर जमा की गई ब्याज की कुल राशि तथा निधि के निवेष पर अर्जित कुल ब्याज के बीच अंतर के कारण वर्ष 2008-09 के भविष्य निधि खाते में रू.313850 का घाटा था। इसे लेखाकरण नीति के अनुसार भा मा ब्यूरो का व्यय माना गया है तथा लेखा शीर्ष **"भविष्य निधि खाते में अंशदान " [अनुसूची 14 मद 2 (क)]** के अंतर्गत आय एवं व्यय खाते में प्रभारित कर दिया गया है।

19. परोपकारी निधि : 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार परोपकारी निधि में रू. 5,29,583 का नामे शेष दर्शाया गया है जो कि उसमे फंड की कमी और विगत में भा मा ब्यूरो के खाते से परोपकारी निधि - में राशि के अस्थायी अंतरण के कारण है। इसे "वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम" **[अनुसूची 7 (ख) मद 4 (ग)]** में दिखाया गया है। 31.3.2009 तक, परोपकारी निधि द्वारा भा मा ब्यूरो के रू. 8,04,500 देय हैं जो लेखे वसूलनीय (अन्य) तथा विविध लेनदार के अन्तर्गत दर्शाया गया हैं।

20. आय-कर में छूट : महानिदेशक, आयकर (छूट), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश सं.167 दिनांक 30-4-2008 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के की धारा 10 की उपधारा 23 सी की उपधारा (iv) के लिए भारतीय मानक ब्यूरो को अनुमोदित किया गया है। तदानुसार भा.मा.ब्यूरो की आय को कुल आय में नहीं लिया जाता है। आयकर विभाग का यह आदेश निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए और आगे के लिए भा.मा.ब्यूरो पर

14. The Accounts recoverable (Others) under schedule 7A [item 2 (c) (iii)] : This includes Rs. 5,17,450 misappropriated by Late Shri D.K. Chadha, UDC, in Kanpur Branch Office in past. Bureau has withheld his payment of death gratuity and leave encashment. The disciplinary proceedings initiated against Shri S.S. Tripathi, Section Officer, Kanpur Branch Office are under progress.

15. Accounts Recoverable (Employees) under Schedule 7A(item 2 (c) (i) : This includes Rs. 12000/- towards forgery / embezzlement allegedly committed by Shri Mohan Singh, UDC who is under suspension. A FIR was registered and the case is under scrutiny in the prosecution branch of Delhi Police which will thereafter be filed in the Court by Delhi Police. The departmental disciplinary enquiry is being undertaken against Shri Mohan Singh by Dy. Director General (Central Region), the disciplinary authority in this case.

16. Provision for Bad and Doubtful Debts : No provision is made for Bad and doubtful Debts. The Bad debts are charged to Income & Expenditure Account after the same are written off by the competent authority. During 2008-09 bad debts of Rs. 12,349 were written off by the Competent Authority of BIS and have been shown under **Schedule 15 Item 8 (h)**.

17. Expenditure on account of exchange rate variation : The difference in amount due to exchange rate variation (i.e. the difference between the exchange rate at which the liabilities for payments to ISO & IEC were created in the Accounts of 2007-08 and the actual exchange rate at which the payments have been made in 2008-09), has been charged to Income & Expenditure Account and shown under Schedule 15 – Other Administrative Expenses **[Item 8(m)]**

18. Deficit in Provident Fund Accounts : There was a deficit of **Rs. 313850** in Provident Fund Accounts during 2008-09. This has been treated as expense of BIS as per the Accounting Policy and charged to Income and Expenditure Account under the account head, **"Contribution to Provident Fund Account" [Schedule 14 Item 2(a)].**

19. Benovolent Fund: The Benovolent Fund as on 31.3.2009 shows a debit balance of Rs. 5,29,583 which is due to shortage of funds therein and temporary transfer of amount to the Benevolent Fund from BIS Account in the past. This has been reflected under the Schedule of "Current Assets, Loans & Advances" **[Schedule 7(B) Item 4(c)]**.The Benovolent Fund owes Rs. 8,04,500 to BIS as on 31.3.2009 which has been reflected under Accounts Recoverable (others) and Sundry Creditors.

20. Income-tax Exemption : Bureau of Indian Standards has been approved for the purpose of sub-clause (iv) of Clause 23C of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 vide Order No. 167 dated 30.4.2008 issued by Director General of Income-tax (Exemptions), Deptt. of Revenue, Ministry of Finance, Govt. of India [F.No. DGIT(E) /10(23C)(iv)/2008]. This order of Income-tax Department is applicable to BIS for Assessment Year 2007-08 and onwards. A Show Cause

लागू है। धारा 2 (15) में कल्याणकारी प्रयोजनों की परिभाषा में संशोधन, आकलन वर्ष 2009-10 से प्रभावी, के मद्देनजर धारा 10 (23 ग) (iv) 2008 के अंतर्गत भा मा ब्यूरो को मिलने वाली छूट का रद्द / वापिस लेने के लिए भा मा ब्यूरो को डीजीआईटी (छूट) के कार्यालय से एक कारण बताओं नोटीस दिनांक 28.05.2009 प्राप्त हुआ। जिसमें ब्यूरो को 09.07.2009 को सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था। भा मा ब्यूरो ने 12.06.2009 को डीजीआईटी (छूट) को अपना जवाब दिया। इस जवाब में यह कहा गया कि *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम*, 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना मानकीकरण, मुहरांकन के सुमेलित विकास के कार्यकलापों और वस्तुओं के गुणतापरक प्रमाणन तथा उससे संबद्ध अथवा उसके प्रासंगिक विषयों के उद्देश से की गई है। भा मा ब्यूरो के सभी कार्यकलापों का लक्ष्य *भा मा ब्यूरो अधिनियम* ,1986 द्वारा उपभोक्ता हित में राजकिय कार्य करना है। भा मा ब्यूरो आकलन वर्ष 2009-10 में लागू किये जाने वाले आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) के प्रावधान में भी नहीं आता, क्योंकि भा मा ब्यूरो कोई व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय नहीं करता अथवा व्यापार, वाणिज्य अथवा व्यवसाय से संबंधित कोई सेवा नहीं देता। भा मा ब्यूरो के कार्यकलाप पूरी तरह से जन उपयोगी उद्देश के उन्नयन से जुडे हैं, इसलिए भा मा ब्यूरो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) के मूल भाग में निर्दिष्ट 'कल्याणकारी कार्यों' की परिभाषा में आता है। भा मा ब्यूरो ने डीजीआईट (छूट) से निवेदन किया है कि आरंभ की गई प्रक्रिया को उपरोक्त कारणों से वापिस ले लिया जाए । चूंकि धारा 10 (23 ग) (iv) के अंतर्गत भा मा ब्यूरो को मिलने वाली छूट के लिए डीजीआईटी (छूट) द्वारा जारी आदेश सं. 167 दिनांक 30.04.2008 को अभी तक निर्दिष्ट प्राधिकरण ने वापिस नहीं लिया है, इसलिए आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भा मा ब्यूरो ने उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रायल के माध्यम से स्थायीकर छूट के लिए केंन्द्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से भी अनुरोध किया है। इसके निर्णय का अभी इंतजार है।

21. आय एवं व्यय लेखे में अधिशेष राशि : आय एवं व्यय लेखे में **रू.71,96,90352** की अधिशेष राशि को **समग्र/पूंजी निधि** में अग्रनीत कर दिया गया है **(अनुसूची 1)**।

22. भा.मा.ब्यूरो के 2008-09 के वार्षिक लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित एकीकृत प्रारूप में तैयार किया गया है। इसलिए विगत वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक पाया गया, पुनः समूहबद्ध किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के वर्गों और आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके।

23. अंतिम लेखा में आंकडो को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किया गया है।

24. अनुसूची 1 से 17 के साथ संलग्न की जाती है और यह 31 मार्च 2009 तक के तुलन पत्र तथा इस तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा का अभिन्न हिस्सा है।

Notice dated 28.5.2009 was received by BIS from the Office of DGIT (Exemptions) for rescinding/withdrawal of the exemption given to BIS under Section 10 (23 c) (iv) in view of the amendment in the definition of Charitable purpose in Section 2 (15) w.e.f. Assessment Year 2009-10. BIS has been asked to appear for hearing on 9.7.2009. BIS has filed its reply before DGIT (Exemptions) on 12.6.2009. It has been stated in the reply that *The Bureau of Indian Standards Act*, 1986 *(BIS Act)* is an Act to provide for the establishment of a Bureau for the harmonious development of the activities of standardization, marking and quality certification of goods and for matters connected therewith or incidental therein. All the activities of BIS are aimed at carrying out a sovereign direction through *BIS Act*, 1986 in the interest of the consumer. BIS does not also fall under the provision to section 2(15) of the *Income Tax Act*, 1961 introduced from AY 2009-2010, because the activities of BIS do not involve any trade, commerce or business or rendering of any service in relation to trade, commerce or business. The activities of BIS are purely in the advancement of object of general public utility and is thus covered under the definition of "charitable purpose" as prescribed in the substantive part of Section 2(15) of the *Income Tax Act*, 1961. BIS has prayed before DGIT (Exemptions) that for the afore stated reasons,the proceedings commenced may kindly be withdrawn. As the Order No. 167 dated 30.4.2008 issued by DGIT (Exemptions) towards exemption given to BIS under Section 10 (23c) (iv) has not been withdrawn as on date by the prescribed authority, therefore, no provision has been made for Income Tax. BIS had also requested to Central Board of Direct Taxes (CBDT), Ministry of Finance through Deptt. of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution for a permanent tax exemption. The decision is awaited.

21. Surplus in Income & Expenditure Account : The surplus of **Rs. 71,96,90,352** in the Income & Expenditure Account has been carried to **Corpus/Capital Fund (Schedule 1).**

22. The Annual Accounts of BIS for 2008-09 have been prepared in the Uniform Formats of Accounts prescribed by the Ministry of Finance. Therefore, previous year figures have been re-grouped wherever found necessary to make them comparable with current year groups and figures.

23. Figures in Final Accounts have been rounded off to the nearest rupee.

24. Schedule 1 to 17 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March 2009 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date.

अनुसूची 18 – 31.03.2009 तक निवेश का विवरण
SCHEDULE 18 – DETAILS OF INVESTMENT AS ON 31.3.2009

1. भा मा ब्यूरो की धनराशियों के निवेश
INVESTMENT OF BIS FUNDS

(लाख रूपयों में)
(Rupees in Lakhs)

1.1 **बैंकों को छोड़ कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में बांडों तथा जमा राशियों में निवेश**
Investment with PSUs & Financial Institutions other than Banks in Bonds & Deposits

क्र.सं. Sl.No.	संस्थान का नाम Name of Institution	लागत पर निवेश Investment at Cost	निवेश का संकेतात्मक बाजार मूल्य* Indicative Market Value of investment*
1.1.1	9.30 % पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन बांड - उद्धृत 9.30% Power Finance Corporation Bonds - Quoted	300.00	307.14
	9.40 % पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन बांड - उद्धृत 9.40% Power finance Corporation Bonds - Quoted	3496.85	3592.31
	9.40 % पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन बांड - उद्धृत 9.40% Power finance Corporation Bonds - Quoted	277.70	284.01
	10.75 % पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन बांड - उद्धृत 10.75% Power Finance Corporation Bonds - Quoted	150.00	157.32
1.1.2	13.25 % इंडस्ट्रीयल फाइनेंस कार्पो. ऑफ इंडिया (आईएफसीआई) (अनुसूची 17 की टिप्पणी 5.4 देखें) 13.25% Industrial Finance Corpn of India (IFCI) (See Note 5.4 of Schedule 17)	80.00	80.00
1.1.3	15.00 %मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोड (अनुसूची 17 की टिप्पणी 5.3 देखें) 15.00% Madhya Pradesh State Electricity Board (MPSEB) (See Note 5.3 of Schedule 17)	100.00	100.00
1.1.4	14.40 % मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.(एमपीएसआईडीसी) (अनुसूची 17 की टिप्पणी 5.3 देखें) 14.40% M.P.State Industrial Development Corporation (MPSIDC) (See Note 5.3 of Schedule 17)	300.00	300.00
1.1.5	16 % उ.प्र. सहकारी कताई मिल संघ लि.(यूपीसीएसएमएफएल) (अनुसूची 17 की टिप्पणी 5.3 देखें) 16% U.P. Co-operative. Spinning Mills Federation Ltd. (UPCSMFL) (See Note 5.3 of Schedule 17)	200.00	200.00
	योग (1.1) TOTAL (1.1)	**4904.55**	**5020.78**
1.2	**बैंकों में सावधिक जमा राशियां Investment with banks in fixed deposits**		
1.2.1	इलाहबाद बैंक Allahabad Bank	690.00	690.00
1.2.2	एक्सिस बैंक Axis Bank	1651.88	1651.88
1.2.3	केनरा बैंक Canara Bank	10377.00	10377.00
1.2.4	एचडीएफसी बैंक HDFC Bank	375.00	375.00
1.2.5	आईसीआईसीआई बैंक ICICI Bank	6297.97	6297.97
1.2.6	इंडस्ट्रीयल डिवल्पमेंट बैंक ऑफ इंडिया Industrial Development Bank of India	13146.40	13146.40
1.2.7	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स Oriental Bank of Commerce	2040.00	2040.00
1.2.8	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर State Bank of Indore	3443.82	3443.82
1.2.9	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर State Bank of Bikaner & Jaipur	1157.32	1157.32
1.2.10	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद State Bank of Hyderabad	650.00	650.00
1.2.11	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर State Bank of Mysore	4103.33	4103.33
1.2.12	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला State Bank of Patiala	7626.39	7626.39
1.2.13	सिंडिकेट बैंक Syndicate Bank	1054.59	1054.59
1.2.14	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India	13.38	13.38
	योग (1.2) TOTAL (1.2)	**52627.08**	**52627.08**
	योग (1) TOTAL (1)	**57531.63**	**57647.86**

निम्नलिखित हेतु कुल आबंटित निवेश Total Investment allocated towards:

क)	पेंशन देयता खाता Pension Liability Account	41303.99
ख)	नई पेंशन योजना निधि New Pension Scheme Fund	125.52
ग)	सामान्य निवेश - समग्र / पूंजी निधि General Investments - Corpus / Capital Fund	16102.12
	योग (1) (अनुसूची 17 की टिप्पणी 5 देखें) TOTAL(1) (See Note 5 of Schedule 17)	**57531.63**

क्र.सं. Sl.No.	संस्थान का नाम Name of Institution	लागत पर निवेश Investment at Cost	निवेश का संकेतात्मक बाजार मूल्य* Indicative Market Value of investment*
2.	**कर्मचारी कोष निवेश INVESTMENT OF EMPLOYEES FUNDS**		
2.1	सामान्य भविष्य निधि General Provident Fund		
2.1.1	विशेष जमा में निवेश (आरबीआई) Investment in Special Deposit (RBI)	3127.08	3127.08
2.1.2	भारत सरकार में प्रतिभूतियां Government of India Securities - Quoted	1329.26	1311.29
2.1.3	राज्य सरकार में प्रतिभूतियां - उद्धृत State Government Securities - Quoted	979.84	976.03
2.1.4	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में बांड तथा जमाराशियों में निवेश Investment with PSUs & Financial Institutions in Bonds & Deposits		
	उद्धृत Quoted	1863.83	1729.89
	अनुद्धृत - 14.40% मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम (एमपीएसआईडीसी)		
	Unquoted - 14.40% M. P. State Industrial Development Corporation (MPSIDC)	45.00	45.00
	बिहार जैडएसी बांड Bihar ZAC Bonds	5.47	5.47
2.1.5	बैंकों में सावधि जमा Fixed Deposits with Banks	155.00	155.00
	योग (2) TOTAL (2)	**7505.48**	**7349.76**
3.	**निवेश – अन्य INVESTMENT – OTHERS**		
3.1	एबीओ भवन परियोजना - सावधि जमा - सिंडिकेट बैंक ABO Building Project - Fixed Deposit - Syndicate Bank	13.00	13.00
	कुल योग (1+2+3) GRAND TOTAL (1+2+3)	**65050.11**	**65010.62**

टिप्पणी : *निवेशों का बाजार मूल्य भा मा ब्यूरो के निधि प्रबंधक मैसर्स आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि., मुम्बई द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्य पर किया गया, जहां बाजार मूल्य उपलब्ध थे अथवा यदि बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं थे वहां अंकित/क्रय मूल्य पर किया गया। निम्नलिखित में बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं थे आईएफसीआई, एमपीईबी, एमपीएसआईडीसी, यूपीएमएफएसएल और बिहार ज़ैडएसी 2013 के बाज़ार मूल्य उपलब्ध नहीं थे। बैंको की सावधि जमा अंकित मूल्य पर दर्शायी गई है। इसका विवरण निम्नानुसार हैं :

सकल उद्धृत निवेश	=	8397.48 लाख रूपये (बाजार मूल्य 8357.99 लाख रूपये)
सकल अनुद्धृत निवेश (सावधि जमा सहित)	=	56652.63 लाख रूपये
कुल निवेश	=	**65050.11 लाख रूपये**

*Note : *Market Value of investments have been made available by BIS Fund Manager M/s. IDBI Capital Market Services Ltd., Mumbai. The securities have been valued at market price where market quotes were available or at face value/purchase price if the market quotes are not available. The market quotes were not available in respect of IFCI, MPEB, MPSIDC, UPCSMFL ,and Bihar ZAC 2013 Bonds. The Fixed Deposits with Banks have been shown at face values. The break-up is as follows :*

The aggregate quoted investment	=	*Rs. 8397.48 lakhs (Market value Rs.8357.99 lakhs)*
The aggregate unquoted investment (including fixed deposits)	=	*Rs. 56652.63 lakhs*
Total Investment	=	***Rs. 65050.11 lakhs***

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
वर्ष 2008 - 09 का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2008-09

प्राप्ति RECEIPT		भुगतान PAYMENT	
विवरण PARTICULARS	राशि (रू.) AMOUNT(Rs.)	विवरण PARTICULARS	राशि (रू.) AMOUNT(Rs.)
I) आरंभिक रोकड एवं बैंक अधिशेष Opening Cash and Bank Balances	112,685,402	I) खर्चे Expenses	1,054,900,593
II) भारत सरकार से प्राप्त अनुदान Grants received from Govt. of India	16,200,000	II) विभिन्न परियोजनाओं हेतु निधियोंके लिए किया गया भुगतान Payments made against Funds for various Projects	
III) निवेश पर आय Income on Investments	492,372,390	क) हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना की योजना a) Scheme for setting up of Hall Marking Centres	4,129,079
IV) प्राप्त ब्याज-बचत बैंक खाता Interest received – Saving Bank Accounts	465,732	ख) उपभोक्ता संरक्षण हेतू गुणता अवसंरचना–ग्यारहवी योजना b) Quality Infrastrucutre for Consumer Protection–XIth Plan	7,430,326
V) आय – सेवा, बिक्री एवं अन्य प्राप्तियां Income – Services, Sales and Miscellaenous	1,758,816,390	ग) सौर फ्लैट कलेक्टर्स हेतू एनसीईएस मंत्रालय c) Ministry of NCES for Solar Flat Plate Collectors	309,687
VI) अन्य प्राप्तियां Other Receipts		III) किया गया निवेश एवं जमा (शुद्ध) Investments and Deposits made (Net)	989,020,703
क) वर्तमान परिसंम्पत्तियाँ, वर्तमान देयताएं तथा अंर्तलेख a) Current Assets, Current Liabilities and Inter Accounts (Net)	6,686,289	IV) स्थिर परिसंपत्तियों पर व्यय Expenditure on Fixed Assets	55,916,927
ख) पेंशन लाभ b) Pension Benefits	1,570,838	V) अन्य भुगतान Other Payments क) पेंशन लाभ a) Pension Benefits	160,538,062
ग) परोपकारी निधि c) Benovolent Fund	928,584	ख) परोपकारी निधि b) Benovolent Fund	800,000
		VI) रोकड शेष एवं बैंक अधिशेष Closing Cash & Bank Balances	116,680,248
योग TOTAL	2,389,725,625	योग TOTAL	2,389,725,625

भारतीय मानक ब्यूरो : सामान्य भविष्य निधि BUREAU OF INDIAN STANDARDS : GENERAL PROVIDENT FUND

I) आरंभिक रोकड शेष Opening Bank Balance	609,657	I) वापसी एवं अंतिम भुगतान Withdrawals & Final Payments	90572391
II) निवेश पर प्राप्त ब्याज Interest Received on Investments	53,962,148	II) कर्मचारियों को अग्रिम Advances to employees	7916720
III) कर्मचारियों का अंशदान Employees' Subscriptions	101,000,104	III) मृत्यु बीमा Death Linked Insurance	549663
IV) अग्रिम वापसी Refund of advances	7,743,780	IV) किया गया निवेश एवं जमा (शुद्ध) Investments and Deposits made (net)	60240459
		V) अन्य भुगतान Other Payments	
		क) वर्तमान देयताएं a) Current Liabilities	2276767
		ख) बैंक प्रभार b) Bank Charges	4058
		VI) रोकड शेष Closing Bank Balance	1755631
योग TOTAL	163,315,689	योग TOTAL	163,315,689

दिनांक 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष की भारतीय मानक ब्यूरो के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का मसौदा

1. हमने *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम*, 1986 की धारा 22 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (भा मा ब्यूरो) के दिनांक 31 मार्च 2009 तक के तुलन-पत्र एवं इस दिनांक को समाप्त वर्ष की आय एवं खर्चों के लेखा / प्राप्तियों एवं भुगतान लेखाओं का ऑडिट किया है । इन वित्तीय विवरणों में भारतीय मानक ब्यूरो के 21 शाखा कार्यालयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं साहिबाबाद स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला के खातों को सम्मिलित किया गया है । इन वित्तीय विवरणों के लिए भा मा ब्यूरो का प्रबंधन उत्तरदायी है । हमारा उत्तरदायित्व हमारी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है ।

2. इस पृथक ऑडिट रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने वर्गीकरण, लेखा संबंधी सर्वोत्तम रीतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों एवं डिस्कलोजर नार्मस इत्यादि से संबद्ध लेखाकरण समाधान पर टिप्पणी की है । कानूनों, नियम एवं विनियमों (प्रापर्टी एवं रेगुलेटरी) तथा दक्षता-सह-कार्यकारिता पहलुओं इत्यादि, यदि कोई है, के अनुपालन से संबद्ध वित्तीय लेनदेनों पर निरीक्षण रिपोर्टों/अलग से सीएजी की ऑडिट रिपोर्टों के माध्यम से ऑडिट टिप्पणियाँ की गई हैं ।

3. हमने यह ऑडिट भारत में लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकृत मानकों के अनुसार किया है । इन मानकों में यह अपेक्षित है कि इन वित्तीय विवरणों की सामग्री गलत बयानी से मुक्त होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करके ऑडिट की योजना बनाई जाए । ऑडिट में रकमों के समर्थक सबूतों एवं वित्तीय विवरणों में प्रकटन संबंधी, परीक्षण आधार पर, जाँचें सम्मिलित होती हैं । ऑडिट में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए विशेष अनुमानों तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है ।

4. **ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :**

(i) हमने अपने ऑडिट के प्रयोजनार्थ अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी जानकारियाँ एवं स्पष्टीकरण लिए हैं ।

(ii) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलन पत्र आय एवं खर्च, लेखा / प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा संबंधी एकरूप फार्मेट में लेने की अपेक्षा पूर्त में लेखा के लिए निर्धारित फार्मेट में लिया गया है ।

(iii) हमारी राय में खाता बहियों एवं अन्य संबंधित रिकार्डों की समुचित जाँच करने के बाद लगता है इन्हें *भा मा ब्यूरो अधिनियम*, 1986 की धारा 22 (2) के तहत सही ढंग से बनाया गया है ।

(iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF BUREAU OF INDIAN STANDARDS (BIS) FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2009

1. We have audited the attached Balance Sheet of Bureau of Indian Standards (BIS) as at 31 March 2009 and the Income and Expenditure Account/Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22 (2) of the *Bureau of Indian Standards Act*, 1986. These financial statements include the accounts of 21 Branch Offices, 4 Regional Offices and 1 Central Laboratory at Sahibabad of the BIS. These financial statements are the responsibility of the BIS's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules, & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. **Based on our audit, we report that :**

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the Uniform Format of Accounts prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records, have been maintained under Section 22 (2) *Bureau of Indian Standards Act*, 1986 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that :

क. तुलन पत्र

रू.4894,799,443 की उद्दिष्ट / अक्षय निधि में से निवेश अनुसूची - 5

अभिदत्त/अक्षय निधि, नई पेंशन योजना और एबीओ भवन परियोजना के लिए बैंक में कराई गई क्रमशः रू.36399.44 लाख, रू.155.00 लाख और रू.13.00 लाख की सावधि जमा राशियों को भूलवश 'अनुसूची - 5' में डाल दिया गया जबकि इसे 'अनुसूची - 7' के अंतर्गत बैंक शेष में डाला जाना था।

इसी प्रकार कोरप्स / पूंजीगत निधि की रू.16102.12 लाख की सावधि जमा राशियों को बैंक शेष 'अनुसूची - 7' के स्थान पर अन्य निवेश - 'अनुसूची 6' में डाल दिया गया।

इस तरह "अनुसूची - 7' में बैंकों में अधिशेष - बैंकों में सावधि जमा की रू.52795.08 लाख की न्यूनोक्ति दिखाई गई है और 'अनुसूची 5' में अभिदत्त/अक्षय निधि से निवेश की रू.36693.00 लाख की उपरोक्ति दिखाई गई है और 'अनुसूची 6' में निवेश - अन्य में रू.16102.12 लाख की भी उपरोक्ति दिखाई गई है।

ख. सहायता अनुदान

पिछले वर्ष रू. 0.50 करोड के अधि शेष को जोड् कर वर्ष के दौरान प्राप्त कुल रू.2.12 करोड के सहायता अनुदान (योजना) में से ब्यूरो रू.0.72 करोड की राशि का प्रयोग कर पाया जिससे कि 31 मार्च 2009 तक रू.1.40 करोड की राशि अनप्रयुक्त अनुदान के रूप में अधिशेष रह गई।

ग. प्रबंधन पत्र

जो त्रुटियां पृथक ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं उन्हें उचित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से ब्यूरो के महानिदेशक के ध्यान में लाया गया।

(v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों का अवलोकन करने पर हम सूचित करते हैं कि इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन पत्र और आय एवं व्यय का लेखा / प्राप्तियां और भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं ।

(vi) हमारी राय तथा हमारी सूचना तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखों पर लेखा संबंधी नीतियों और टिप्पणियों के साथ पढ़े गए तथा उपरोक्त सार्थक मामले तथा इस अलग आडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक में दिये गये। मामलों के अध्याधीन उक्त वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वाकृत लेखा संबंधी सिद्धांतों की अनुरूपता की दृष्टि से सत्य और स्पष्ट हैः

क) जहाँ तक इसका संबंध 31 मार्च 2009 के भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यों के तुलना पत्र से हैः और

ख) जहाँ तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के अधिशेष के आय और खर्च लेखा से है।

A. Balance Sheet

Investment from Earmarked / Endowment fund Rs. 4894,799,443 (Schedule-5)

Fixed deposits with banks amounting to Rs. 36399.44 lakh, Rs. 125.52 lakh, Rs. 155.00 lakh and Rs. 13.00 lakh made against the earmarked/endowment fund, new pension scheme fund, GPF and ABO building project respectively have been included under investment ' Schedule-5' instead of Bank Balances – under 'Schedule-7'

Similarly, Fixed Deposits amounting to Rs. 16102.12 lakh made towards the Corpus/Capital Fund have been included under Investments-Others-'Schedule 6'instead of Bank Balances- under 'Schedule-7'

Thus, the Bank Balance- Fixed Deposit with Banks has been understated by Rs. 52795.08 lakh 'Schedule-7' and Investment from Earmarked/Endowment funds has been overstated by Rs. 36692.96 lakh 'Schedule-5' and Investments-Others- has also been overstated by Rs. 16102.12 lakh 'Schedule-6'

B. Grants-in-aid

Out of the total grant-in-aid (Plan) of Rs. 2.12 crore received during the year including previous years balance of Rs. 0.50 crore, the Bureau could utilize a sum of Rs. 0.72 crore leaving a balance of Rs. 1.40 crore as unutilized grant as on 31 March 2009.

C. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of Director General of Bureau through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payment account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Bureau of Indian standards as at 31 March 2009, and

b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

हस्ता./-
(के. आर. श्रीराम)
लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 31 अक्टूबर 2009

Sd/-
(K.R. SRIRAM)
Principal Director of Audit
Economic & Service Ministries

Place : New Delhi
Date : 31 October 2009

अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. अंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

भारतीय मानक ब्यूरो का आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा किया जा रहा है इसलिये संगठन के साइज और गतिविधियों के अनुरूप पाया गया।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

भा मा ब्यूरो (मुख्यालय) में आंतरिक नियंत्रण निरोधक की एक स्पष्ट प्रभावी प्रणाली है।

3. स्थिर परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2008-09 में स्थिर परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।

4. वस्तुसूची (इनवेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2008-09 में वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया, तथापि भा मा ब्यूरो के 31.44 करोड़ रू. के मानक प्रकाशनों का लेखा-जोखा नहीं रखा गया।

5. लागू सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता

भा मा ब्यूरो निर्विवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान नियमित रूप से करता है।

Annexure to Separate Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit System

The internal audit of BIS is being conducted by Chartered Accountant commensurate with the size and activities of the organization.

2. Adequacy of Internal Control System

There is a fairly effective system of Internal Control prevalent in BIS (Headquarters).

3. System of Physical Verification of Fixed Assets

Physical verification of fixed assets has been conducted for the year 2008-09.

4. System of Physical Verification Inventory

Physical verification of inventories has been conducted for the year 2008-09. However, value of Standard Publications of BIS amounting to Rs. 31.44 crore have not been accounted for.

5. Regularity in Payment of Statutory Dues Applicable to Them

BIS is regular in payment of undisputed statutory dues.